TOPPERS CLUB
IAS ACADEMY

₹ 49/-

Monthly
CURRENT AFFAIRS
By - Toppers Club

Jan-2026

Er Dev Pratap Singh
Director

Contact Us
+91 6388671098
dpsctc@gmail.com
www.topperclubiasacademy.in

IAS | IPS | PCS | IFS | IRS & OTHER COMPETITIVE EXAMS

नए पायलट सुरक्षा नियम
इंडिगो की उड़ानों में बड़ी रुकावट

डोपिंग उल्लंघन
भारत दुनिया का अग्रणी देश बना

सुप्रीम कोर्ट
मां की जाति के आधार पर SC स्टेटस

संसद में पास हुए
विभिन्न बिल/अधिनियम

संचार साथी
विवाद

पीएम मोदी
इथियोपिया और ओमान
सर्वोच्च नागरिक सम्मान

बांग्लादेश हाई कमीशन
कांसुलर सेवाएं निलंबित

ऑस्ट्रेलिया
16 साल से कम उम्र
सोशल मीडिया बैन

भारत
नया सिम बाइंडिंग नियम

HAPPY NEW YEAR 2026

तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल
सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला

toppers club ias acacdemy
all copyright reserved

contact info:
phone no: +91 6388671098
mail: dpsctc@gmail.com
website: www.topperclubiasacademy.in

अस्वीकरण

यह पुस्तक विशेष रूप से शैक्षणिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए तैयार की गई है। लेखक(ों) द्वारा यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास किया गया है कि किसी भी मौजूदा कॉपीराइट या बौद्धिक संपदा अधिकार का उल्लंघन न हो। यदि किसी स्रोत का अनजाने में उल्लेख नहीं किया गया है या किसी प्रकार का अनचाहा उल्लंघन हुआ है, तो कृपया प्रकाशक को लिखित रूप में सूचित करें ताकि आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई तुरंत की जा सके।

हालाँकि सामग्री की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए गहन समीक्षा की गई है, फिर भी अनजाने में कुछ त्रुटियाँ या चूक हो सकती हैं। किसी भी पाई गई विसंगति को आगामी संस्करणों में ठीक किया जाएगा। लेखक(ों), प्रकाशक और वितरक इस पुस्तक में दी गई जानकारी के उपयोग या दुरुपयोग के कारण होने वाले किसी भी नुकसान, क्षति या परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी कानूनी, तथ्यात्मक या महत्वपूर्ण जानकारी की पुष्टि के लिए आधिकारिक स्रोतों से परामर्श करें।

बाइंडिंग में दोष, प्रिंटिंग में त्रुटि या पृष्ठों की कमी जैसी समस्याओं के मामलों में प्रकाशक की ज़िम्मेदारी केवल उसी या समकक्ष संस्करण की दोषपूर्ण प्रति के प्रतिस्थापन तक ही सीमित है। प्रतिस्थापन के लिए अनुरोध खरीद की तारीख से सात दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और इससे संबंधित सभी लागतें, जैसे कि शिपिंग, क्रेता द्वारा वहन की जाएंगी।

सर्वाधिकार सुरक्षित

इस प्रकाशन के किसी भी भाग को बिना प्रकाशक की पूर्व लिखित अनुमति के किसी भी रूप में—चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटोग्राफिक या अन्य कोई माध्यम हो—प्रतिलिपि, संग्रह या प्रेषित नहीं किया जा सकता है। बिना अनुमति के उपयोग, पुनरुत्पादन या वितरण के परिणामस्वरूप कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

लेखक इस कृति की मूल सामग्री पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, सिवाय उन उद्धरणों के जहाँ उपयुक्त अनुमति के साथ स्रोत का उल्लेख किया गया है। यह प्रकाशन किसी कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, गोपनीयता कानूनों का उल्लंघन नहीं करता है, और इसमें कोई मानहानिकारक सामग्री सम्मिलित नहीं है।

प्रिय अभ्यर्थियों,

"सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्टता की शुरुआत सूचित सोच और अनुशासित तैयारी से होती है।"

यूपीएससी अभ्यर्थी के लिए *करेंट अफेयर्स* केवल समाचारों का संकलन नहीं, बल्कि सिविल सेवा परीक्षा की आधारशिला हैं। प्रारंभिक परीक्षा से लेकर मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार तक, समसामयिक घटनाओं को संविधानिक मूल्यों, शासन व्यवस्था, नैतिकता और नीतिगत प्रभावों से जोड़कर समझने की क्षमता ही एक गंभीर उम्मीदवार को अन्य अभ्यर्थियों से अलग करती है। इसलिए करंट अफेयर्स का निरंतर, सुव्यवस्थित और विश्लेषणात्मक अध्ययन गहराई, संतुलन और स्पष्टता विकसित करने के लिए अनिवार्य है—यही गुण भावी सिविल सेवकों से अपेक्षित होते हैं।

यह मासिक अंक उसी अनुशासित यात्रा को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें ऑस्ट्रेलिया द्वारा 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगाए गए नए प्रतिबंधों और भारत के नए सिम-बाइंडिंग नियम का विश्लेषण किया गया है, जिससे डिजिटल शासन, गोपनीयता और सार्वजनिक सुरक्षा जैसे आधुनिक प्रशासनिक विषयों को बेहतर ढंग से समझा जा सके। नए पायलट सुरक्षा नियमों के कारण इंडिगो की उड़ानों में आई बड़ी बाधाओं की व्याख्या की गई है, जो नियामक निगरानी, संचालन क्षमता और जनहित के बीच संतुलन को दर्शाती है। साथ ही, संचार साथी विवाद को भी स्पष्ट किया गया है, जिससे दूरसंचार क्षेत्र में जवाबदेही और प्रशासनिक चुनौतियों की समझ विकसित होती है।

न्यायिक और संवैधानिक विकासों पर विशेष ध्यान देते हुए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा मां की जाति के आधार पर अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की अनुमति तथा तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल के ऐतिहासिक मामले की व्याख्या की गई है। ये विषय संघवाद, सामाजिक न्याय और संवैधानिक व्याख्या को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। विधायी जागरूकता को सुदृढ़ करने के लिए इस महीने संसद में पारित महत्वपूर्ण विधेयकों और अधिनियमों का संक्षिप्त विवरण भी शामिल किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया और ओमान के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया जाना भारत की बढ़ती कूटनीतिक भूमिका और सॉफ्ट पावर को दर्शाता है। वहीं, नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग द्वारा सभी कांसुलर सेवाओं का निलंबन क्षेत्रीय संबंधों और कूटनीतिक प्रक्रियाओं के महत्व को रेखांकित करता है। इसके अतिरिक्त, डोपिंग उल्लंघनों के मामलों में भारत का विश्व में अग्रणी देश के रूप में उभरना खेल प्रशासन, नैतिकता और संस्थागत सुधारों से जुड़े गंभीर प्रश्नों को सामने लाता है।

यह पत्रिका केवल जानकारी प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि दृष्टिकोण, विश्लेषण क्षमता और उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने का प्रयास है। इसे घटनाओं के संग्रह के रूप में नहीं, बल्कि शासन और समाज के बदलते स्वरूप को समझने के मार्गदर्शक के रूप में पढ़ें। आज की आपकी तैयारी ही कल की आपकी प्रशासनिक नेतृत्व क्षमता का आधार बनेगी।

बड़े सपने देखें। समझदारी से तैयारी करें। देश की सेवा करें।

इस संस्करण में शामिल हैं

1. नियुक्तियाँ 5
2. राजतन्त्र एवं शासन 10
3. अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं घटनाएँ 25
4. अर्थव्यवस्था एवं व्यापार 34
5. रक्षा एवं सुरक्षा 42
6. सामाजिक मुद्दे एवं योजनाएँ 45
7. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 50
8. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 51
9. संस्कृति एवं इतिहास 54
10. खेल-कूद 57
11. निधन 60
12. परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण दिन 63
13. पुस्तकें एवं लेखक 64

बिजनेस न्यूज, फाइनेंशियल न्यूज, इकोनॉमी न्यूज, पॉलिटिक्स न्यूज, इंडिया न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज एवं कई अन्य विषयों को कवर किया गया .....

समाचार साभार

बीबीसी, रॉयटर्स, अल जज़ीरा, पीआईबी, पीटीआई, बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिन्दू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, बिज़नेस लाइन, इंडिया टुडे, मनी कंट्रोल एवं अन्य सभी प्रमुख समाचार पत्र

नियुक्तियाँ

IIFL फाइनेंस ने RBI के र्व डिप्टी गवर्नर बी. पी. कानूनगो को चेयरमैन नियुक्त किया

भारत की एक प्रमुख नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) IIFL फाइनेंस ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के पूर्व डिप्टी गवर्नर बिभु प्रसाद (बी. पी.) कानूनगो को अपने बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया है। इस नियुक्ति का मकसद कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रेगुलेटरी कंप्लायंस और रणनीतिक फैसले लेने की प्रक्रिया को मज़बूत करना है।

बी. पी. कानूनगो के बारे में

- RBI के डिप्टी गवर्नर के तौर पर करेंसी मैनेजमेंट, पेमेंट सिस्टम, फाइनेंशियल रेगुलेशन और सुपरविज़न की ज़िम्मेदारी संभाली
- RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) के सदस्य
- RBI रीजनल डायरेक्टर और बैंकिंग ओम्बड्समैन जैसे सीनियर पदों पर रहे
- बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में भारत का प्रतिनिधित्व किया

IIFL फाइनेंस के बारे में

- एक प्रमुख NBFC जो होम लोन, गोल्ड लोन, MSME लोन, माइक्रोफाइनेंस और डिजिटल लेंडिंग जैसी सेवाएं देती है
- कमज़ोर सेक्टरों को क्रेडिट देकर फाइनेंशियल इन्क्लूजन में अहम भूमिका निभाती है
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रेगुलेटेड

जोस एंटोनियो कास्ट चिली के राष्ट्रपति चुने गए

रिपब्लिकन पार्टी के नेता जोस एंटोनियो कास्ट चिली के राष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्होंने दिसंबर 2025 के राष्ट्रपति चुनाव में लगभग 58% वोट हासिल करके जीत हासिल की और वामपंथी उम्मीदवार जेनेट जारा को हराया। कास्ट की जीत चिली में एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत है, जो 1990 में लोकतंत्र की वापसी के बाद पहली बार एक धुर-दक्षिणपंथी नेता को सत्ता में ला रही है।

पृष्ठभूमि: जोस एंटोनियो कास्ट कौन हैं

- उम्र और पेशा: कास्ट लगभग 59 साल के हैं और पेशे से वकील हैं।
- राजनीतिक करियर: उन्होंने 2002-2018 तक चिली चैंबर ऑफ डेप्युटीज़ के सदस्य के रूप में काम किया और 2019 में रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना से पहले वह इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक यूनियन (UDI) में थे।
- राष्ट्रपति चुनाव: कास्ट ने 2017 और 2021 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ा था, जिसके बाद उन्होंने 2025 में जीत हासिल की।
- वह अपने अति-रूढ़िवादी और धुर-दक्षिणपंथी विचारों के लिए जाने जाते हैं, जो कानून-व्यवस्था और सुरक्षा नीतियों पर ज़ोर देते हैं।

चिली:

- राजधानी: सैंटियागो
- राष्ट्रपति: गेब्रियल बोरिक
- मुद्रा: चिली पेसो

रवि रंजन स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त

भारत के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) ने रवि रंजन को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) नियुक्त किया है। यह नियुक्ति SBI के टॉप मैनेजमेंट को मज़बूत करती है ताकि वह रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर अपना ध्यान केंद्रित रख सके।

स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) के बारे में

- स्थापना: 1 जुलाई 1955 (SBI के रूप में; इससे पहले बैंक ऑफ़ कलकत्ता था, 1806)।
- मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र।
- चेयरमैन: भारत सरकार द्वारा नियुक्त।
- वर्तमान चेयरमैन: सी. श्रीनिवासुलु सेट्टी

- SBI भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसके पास शाखाओं और ATM का एक विशाल नेटवर्क है।
- SBI सरकारी योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY), मुद्रा योजना और डिजिटल इंडिया पहल शामिल हैं।

SBI गवर्नेंस स्ट्रक्चर

- SBI का संचालन एक चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर्स द्वारा किया जाता है, जिनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।
- MD आमतौर पर रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, रिस्क, ऑपरेशंस, ट्रेजरी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे विशिष्ट पोर्टफोलियो संभालते हैं।
- बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स RBI नियमों और कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानकों का पालन सुनिश्चित करता है।

राज कुमार गोयल ने मुख्य सूचना आयुक्त का पदभार संभाला

पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी राज कुमार गोयल ने भारत के मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) के रूप में शपथ ली है। उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ भारत के राष्ट्रपति ने दिलाई। उनकी नियुक्ति से लंबे समय से खाली पद भर गया है और केंद्रीय सूचना आयोग पूरी तरह से काम करने की स्थिति में आ गया है।

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के बारे में

- केंद्रीय सूचना आयोग सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।

इसमें शामिल हैं:

- एक मुख्य सूचना आयुक्त
- 10 तक सूचना आयुक्त
- सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- CIC के लिए चयन समिति
- प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)
- लोकसभा में विपक्ष के नेता
- प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री

CIC के कार्य और शक्तियां

- RTI अधिनियम के तहत दूसरी अपील और शिकायतों की सुनवाई करता है।
- इसके पास सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां हैं, जिसमें गवाहों को बुलाना और दस्तावेज मांगना शामिल है।
- यह सार्वजनिक प्राधिकरणों को जानकारी देने का आदेश दे सकता है।
- संसद को RTI कार्यान्वयन पर एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
- शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त उपयोगी तथ्य

- RTI अधिनियम, 2005 केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू होता है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता या व्यक्तिगत गोपनीयता के आधार पर जानकारी देने से इनकार करना RTI अधिनियम के अपवादों के तहत आता है।
- राज्य सूचना आयोग इसी अधिनियम के तहत राज्य स्तर पर काम करते हैं।
- पारदर्शिता को सुशासन का एक प्रमुख स्तंभ माना जाता है।
- RTI अधिनियम नागरिकों को भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के खिलाफ एक उपकरण के रूप में सशक्त बनाता है।

संगीता बरुआ पिशारोटी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गईं

सीनियर पत्रकार संगीता बरुआ पिशारोटी को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया (PCI) की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है, जो देश के मीडिया जगत में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। उनका चुनाव भारतीय पत्रकारिता में बढ़ते लैंगिक प्रतिनिधित्व और नेतृत्व को दिखाता है।

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया (PCI) के बारे में

- प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पत्रकारों का एक स्वतंत्र पेशेवर संगठन है।
- यह पत्रकारों के लिए विचारों का आदान-प्रदान करने, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने और प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने का एक मंच है।
- यह क्लब नई दिल्ली में स्थित है और मुख्य रूप से संसद, सरकार और राष्ट्रीय संस्थानों को कवर करने वाले पत्रकारों का प्रतिनिधित्व करता है।
- PCI अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पत्रकारिता के अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

PNB हाउसिंग फाइनेंस ने अजै कुमार शुक्ला को MD और CEO नियुक्त किया

PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने अजै कुमार शुक्ला को अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है, जिससे भारत की प्रमुख हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में से एक में लीडरशिप की निरंतरता और कॉर्पोरेट गवर्नेंस मजबूत होगा। PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (HFC) के रूप में रजिस्टर्ड है। RBI, HFCs को RBI एक्ट, 1934 के तहत रेगुलेट करता है (2019 में NHB से RBI को रेगुलेशन ट्रांसफर होने के बाद)।

पंजाब नेशनल बैंक:

- स्थापना: 19 मई 1894
- मुख्यालय: द्वारका, दिल्ली, भारत
- नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन: के जी अनंतकृष्णन
- MD और CEO: अशोक चंद्र

वेंकटेश प्रसाद KSCA के नए अध्यक्ष चुने गए

पूर्व भारतीय तेज़ गेंदबाज़ वेंकटेश प्रसाद 7 दिसंबर 2025 को कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) के अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्होंने कुल 1,307 वोटों में से 749 वोटों से अपने प्रतिद्वंद्वी केएन शांत कुमार को 558 वोटों से हराया।

उनके नेतृत्व में, "टीम गेम चेंजर्स" नामक नए KSCA पैनल ने प्रमुख पदों पर भी नियुक्तियाँ कीं:

- उपाध्यक्ष: सुजीत सोमसुंदर
- सचिव: संतोष मेनन
- कोषाध्यक्ष: बीएन मधुकर

आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) नियुक्त

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने जनरल आसिम मुनीर को नए बनाए गए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) के पद पर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वह आर्मी चीफ (COAS) के पद पर रहते हुए यह पद भी संभालेंगे। यह नया पद उन्हें पांच साल के कार्यकाल के लिए तीनों रक्षा सेवाओं पर एक साथ कमांड देता है। CDF का पद 27वें संवैधानिक संशोधन के ज़रिए बनाया गया था, जो पाकिस्तान के रक्षा नेतृत्व ढांचे में एक बड़े बदलाव को दिखाता है। इस कदम से टॉप लेवल पर मिलिट्री अथॉरिटी मज़बूत होती है, जिससे CDF को पाकिस्तान के रक्षा तंत्र पर पूरा रणनीतिक कंट्रोल मिलता है।

जनरल आसिम मुनीर के बारे में

नवंबर 2022 में पाकिस्तान के आर्मी चीफ (COAS) नियुक्त हुए।

पहले के पद:

- इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) के डायरेक्टर-जनरल
- मिलिट्री इंटेलिजेंस (MI) के डायरेक्टर-जनरल
- नए बनाए गए CDF पद को एक साथ संभालने वाले पहले COAS।

चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) के बारे में

- पाकिस्तान में नया बनाया गया सबसे सीनियर मिलिट्री पद।
- दायरा: इन पर पूरा कमांड
- पाकिस्तान आर्मी
- पाकिस्तान नेवी
- पाकिस्तान एयर फोर्स
- कार्यकाल: 5 साल
- 27वें संवैधानिक संशोधन के ज़रिए बनाया गया।

पाकिस्तान में नागरिक-सैन्य संदर्भ

- पाकिस्तान में राजनीतिक संस्थानों पर मिलिट्री के प्रभाव का इतिहास रहा है।
- पहले, आर्मी चीफ को पहले से ही सबसे शक्तिशाली पद माना जाता था।
- CDF के निर्माण से मिलिट्री की संरचनात्मक अथॉरिटी और बढ़ती है।

मुख्य राजनीतिक हस्तियां

- पाकिस्तान के राष्ट्रपति: आसिफ अली जरदारी
- प्रधानमंत्री: शहबाज शरीफ

पाकिस्तान का रक्षा ढांचा (CDF से पहले और बाद में)

- पहले: हर सर्विस चीफ स्वतंत्र रूप से काम करता था; जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के पास सीमित ऑपरेशनल अथॉरिटी थी।

- अब: CDF एक ही ऑफिस के तहत ऑपरेशनल कमांड को केंद्रीकृत करता है।

पाकिस्तान में संवैधानिक संशोधन

- दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत की ज़रूरत होती है।
- 27वां संशोधन = CDF पद का निर्माण।

ब्रेंडन नेल्सन HSBC के चेयरमैन बने, मार्क टकर की जगह लेंगे

HSBC ने मुश्किल सर्च के बाद ब्रेंडन नेल्सन को चेयर अपॉइंट किया।

बैकग्राउंड: अपॉइंटमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी

- HSBC कई महीनों से अंदरूनी उथल-पुथल और कुछ समय के लिए लीडरशिप रहने के बाद परमानेंट चेयर की तलाश कर रहा था।
- इस सर्च को मुश्किल बताया गया — इसका मतलब है कि सही कैंडिडेट ढूंढने में देरी हुई, शायद असहमति हुई या मुश्किलें आईं।

ब्रेंडन नेल्सन कौन हैं

- ब्रेंडन नेल्सन KPMG में पहले पार्टनर थे।
- इस अपॉइंटमेंट से पहले, नेल्सन अक्टूबर से HSBC के अंतरिम चेयर के तौर पर काम कर रहे थे।

HSBC

- इंडस्ट्री: फाइनेंशियल सर्विसेज़
- फाउंडर: सर थॉमस सदरलैंड
- हेडक्वार्टर: लंदन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम
- ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव: जॉर्जेस एल्हेडरी

RBI ने विक्रम साहू को तीन साल के टर्म के लिए बैंक ऑफ़ अमेरिका इंडिया का CEO बनाने की मंज़ूरी दी

भारत के सेंट्रल बैंक ने विक्रम साहू को बैंक ऑफ़ अमेरिका N.A. (इंडिया) का CEO बनाने की मंज़ूरी दी

बैकग्राउंड: अपॉइंटमेंट प्रोसेस

- विक्रम साहू को शुरू में मार्च 2025 में बैंक ऑफ़ अमेरिका ने अपने इंडिया ऑपरेशन्स को लीड करने के लिए चुना था, लेकिन CEO के तौर पर उनके फॉर्मल अपॉइंटमेंट के लिए रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) से मंज़ूरी लेनी पड़ी।
- यह मंज़ूरी एक इंटरनल मेमो के ज़रिए मिली, जिसे एक बड़ी न्यूज़ एजेंसी ने रिव्यू किया था — जिससे यह अपॉइंटमेंट ऑफिशियल हो गया।

लीडरशिप में बदलाव

साहू ने काकू नखाटे की जगह ली है, जिन्होंने 15 साल तक बैंक ऑफ़ अमेरिका के इंडिया ऑपरेशन्स को लीड किया था। इस बदलाव के बाद, नखाटे भारत में फर्म की सिक्योरिटीज़ ब्रांच में "चेयर, इंडिया" की भूमिका में आ जाएँगे।

बैंक ऑफ़ अमेरिका

- स्थापित: 1998
- मुख्यालय: नॉर्थ कैरोलिना, US
- चेयरमैन एवं CEO: ब्रायन मोयनिहान
- वाइस चेयरमैन: ब्रूस थॉम्पसन

सिपन गर्ग ने THDC इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का एडिशनल चार्ज संभाला

आर के विश्नोई के निधन के बाद, सिपन कुमार गर्ग ने डायरेक्टर फाइनेंस के अपने मौजूदा पद के अलावा THDC इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) का पद भी संभाला है। 15 नवंबर, 2025 को आर के विश्नोई के निधन के बाद CMD का पद खाली हो गया था। गर्ग को तीन महीने के लिए या फुल-टाइम CMD अपॉइंट होने तक, जो भी पहले हो, एडिशनल चार्ज दिया गया है। उन्होंने ऑफिशियली 25 नवंबर, 2025 को चार्ज संभाला।

THDC इंडिया के बारे में

NTPC की एक सब्सिडियरी, ऋषिकेश में मौजूद THDC इंडिया सोलर, हाइड्रो, थर्मल और पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के ज़रिए पावर जेनरेशन करती है।

तख्तापलट के बाद गिनी-बिसाऊ के जनरल ने ट्रांज़िशनल प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ ली

जनरल होर्टा इंटा-ए ने गिनी-बिसाऊ के ट्रांज़िशनल प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ ली है। मिलिट्री तख्तापलट के बाद प्रेसिडेंट उमारो सिसोको एम्बालो को हटा दिया गया था।

तख्तापलट का बैकग्राउंड

मिलिट्री ने खुद को "हाई मिलिट्री कमांड फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ़ ऑर्डर" बताते हुए, ऐलान किया कि उन्होंने सत्ता पर कब्ज़ा कर लिया है। एक दिन पहले ही कड़े मुकाबले वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में दो लीडिंग कैंडिडेट्स ने जीत का दावा किया था।

होर्टा इंटा-ए की भूमिका

पहले आर्मी के चीफ ऑफ़ स्टाफ के तौर पर काम कर रहे इंटा-ए को हटाए गए प्रेसिडेंट एम्बालो का करीबी माना जाता था। उन्होंने कहा कि सबूतों ने मिलिट्री के एक्शन को सही ठहराया और सभी की भागीदारी वाले तुरंत कदम उठाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।

ज़मीन पर रिएक्शन और हालात

अफ्रीकन यूनियन ने तख्तापलट की निंदा की और एम्बालो और हिरासत में लिए गए दूसरे अधिकारियों को बिना शर्त रिहा करने की मांग की। राजधानी बिसाऊ में ज़्यादातर शांति रही, सैनिक सड़कों पर थे, कई लोग घरों के अंदर रहे, और बिज़नेस और बैंक बंद रहे।

गिनी-बिसाऊ

- राजधानी: बिसाऊ
- करेंसी: वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक
- महाद्वीप: अफ्रीका

CEC ज्ञानेश कुमार इंटरनेशनल IDEA के चेयरपर्सन बनेंगे

चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) ज्ञानेश कुमार साल 2026 के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस (इंटरनेशनल IDEA) के चेयरपर्सन का पद संभालेंगे। वे 3 दिसंबर 2025 को स्टॉकहोम, स्वीडन में होने वाली काउंसिल ऑफ मेंबर स्टेट्स की मीटिंग के दौरान ऑफिशियली चार्ज लेंगे। इंटरनेशनल IDEA एक 35-मेंबर वाली इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गनाइज़ेशन है जिसे 1995 में बनाया गया था, जो दुनिया भर में इलेक्टोरल सिस्टम, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन और गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए डेडिकेटेड है। भारत इस ऑर्गनाइज़ेशन का फाउंडिंग मेंबर है। ज्ञानेश कुमार का अपॉइंटमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) को दुनिया की सबसे भरोसेमंद, ट्रांसपेरेंट और इनोवेटिव इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ में से एक के तौर पर ग्लोबल पहचान दिखाता है। उनके रोल में डिस्कशन को गाइड करना, 2026 में सभी काउंसिल मीटिंग्स की अध्यक्षता करना और ग्लोबल इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ (EMBs) के बीच नॉलेज-शेयरिंग को बढ़ावा देना शामिल होगा।

इंटरनेशनल IDEA के बारे में

- पूरा नाम: इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस
- एस्टैब्लिशमेंट: 1995
- हेडक्वार्टर: स्टॉकहोम, स्वीडन
- मेंबर: 35 देश
- ऑब्ज़र्वर: यूनाइटेड स्टेट्स, जापान

भारत के इलेक्शन कमीशन के बारे में

- स्थापित: 1950
- आर्टिकल 324 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी
- कंपोजीशन: CEC + 2 इलेक्शन कमिश्नर

रामप्रसाद श्रीधरन PUMA इंडिया के नए MD बने

ग्लोबल स्पोर्ट्सवियर ब्रांड PUMA ने रामप्रसाद श्रीधरन को दिसंबर 2025 से PUMA इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) अपॉइंट किया है। वह सीधे PUMA ग्लोबल के चीफ कमर्शियल ऑफिसर (CCO) मैथियास बॉमर को रिपोर्ट करेंगे। श्रीधरन कार्तिक बालगोपालन की जगह लेंगे, जिन्होंने लगभग 20 साल तक PUMA में काम किया और अब दूसरे कामों के लिए पद छोड़ दिया है। रामप्रसाद श्रीधरन के पास एशिया-पैसिफिक रीजन में ब्रांड बिल्डिंग, रिटेल लीडरशिप, डिजिटल ग्रोथ और कमर्शियल स्ट्रैटेजी में 25+ साल का अनुभव है। वह पहले यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन इंडिया के CEO और MD रह चुके हैं और क्लार्क्स और रीबॉक इंडिया में सीनियर रोल निभा चुके हैं। उनका अपॉइंटमेंट PUMA के इंडियन मार्केट को मजबूत करने पर फोकस को दिखाता है, जो कंपनी के सबसे तेजी से बढ़ते ग्लोबल सेगमेंट में से एक है।

PUMA के बारे में

- फाउंडेशन: 1948
- फाउंडर: रुडोल्फ डैसलर
- हेडक्वार्टर: हर्ज़ोगेनॉरच, जर्मनी

राजतन्त्र एवं शासन

सरकार नकली खाद और कीटनाशकों के खिलाफ बिल लाएगी

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि भारत सरकार नकली खाद, कीटनाशकों और बिना लाइसेंस वाले बायो-स्टिमुलेंट्स की बिक्री पर रोक लगाने के लिए संसद में एक बिल पेश करेगी, जिसका मकसद किसानों के हितों की रक्षा करना और अच्छी क्वालिटी के कृषि इनपुट सुनिश्चित करना है।

मुख्य बातें:

- घोषणा करने वाले: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री – शिवराज सिंह चौहान
- बिल का मकसद: नकली खाद, कीटनाशकों और बायो-स्टिमुलेंट्स के उत्पादन, बिक्री और वितरण को रोकना
- मुख्य समस्या: किसानों को नुकसान पहुंचाने वाले धोखे वाले और घटिया कृषि इनपुट
- संसदीय कार्रवाई: आने वाले संसद सत्र में एक नया बिल पेश किया जाएगा
- तरीका: बेईमान व्यापारियों के खिलाफ सख्त कानून और कड़ी सज़ा
- लाभार्थी: किसान और कृषि क्षेत्र

प्रस्तावित बिल के उद्देश्य

- किसानों को नकली इनपुट से होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाना
- अच्छी क्वालिटी के खाद और कीटनाशकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- फसल उत्पादकता और कृषि स्थिरता में सुधार करना
- कृषि-इनपुट बाजार में रेगुलेटरी निगरानी को मजबूत करना

अतिरिक्त उपयोगी तथ्य

भारत में खाद को फिलहाल फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर (FCO), 1985 के तहत रेगुलेट किया जाता है। कीटनाशकों को इंसेक्टिसाइड्स एक्ट, 1968 द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो क्वालिटी और सुरक्षा मानक तय करता है।

संसद ने विकसित भारत – जी राम जी बिल, 2025 पास किया

भारत की संसद ने दोनों सदनों की मंज़ूरी के साथ विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए गारंटी: विकसित भारत – जी राम जी बिल, 2025 पास कर दिया है। लोकसभा में पहले ही पास होने के बाद राज्यसभा ने भी इस बिल को पास कर दिया। यह कानून विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय विज़न के अनुसार ग्रामीण आजीविका को मज़बूत करने का लक्ष्य रखता है।

बिल के मुख्य प्रावधान

यह बिल हर ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य बिना स्किल्ड मैनुअल काम करने को तैयार हैं, हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के वेतन रोज़गार की कानूनी गारंटी देता है। यह गारंटी वाले रोज़गार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 करने का एक कदम है, जिसका मकसद ग्रामीण इलाकों में आय सुरक्षा को बढ़ाना है।

केंद्र और राज्यों के बीच फंड शेयरिंग का पैटर्न इस तरह होगा:

- सामान्य राज्यों के लिए 60:40
- उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10
- राज्य सरकारें बेरोज़गारी भत्ता और मुआवज़े के भुगतान की ज़िम्मेदारी उठाती रहेंगी।

सरकार का रुख

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास राष्ट्रीय विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, और सरकार की "राष्ट्र पहले" की सोच और वंचित वर्गों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया। इस बिल को समावेशी विकास और गांव-केंद्रित विकास की दिशा में एक अहम कदम बताया जा रहा है।

बहस और विपक्ष के विचार

कई विपक्षी सदस्यों ने इन बातों पर चिंता जताई:

- राज्यों और स्टेकहोल्डर्स के साथ अपर्याप्त सलाह-मशविरा
- 60:40 शेयरिंग फॉर्मूले के कारण गरीब राज्यों पर वित्तीय बोझ
- बिल को विस्तृत जांच के लिए एक सेलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग
- आपत्तियों के बावजूद, समर्थकों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत की लगभग 70% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है, और यह बिल आजीविका सुरक्षा को मज़बूत करेगा और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देगा।

अतिरिक्त मुख्य तथ्य:

यह बिल MGNREGA (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005) की विरासत पर आधारित है, जिसने पहली बार ग्रामीण भारत में वेतन रोज़गार के लिए कानूनी गारंटी पेश की थी।

MGNREGA मूल रूप से 100 दिनों के वेतन रोज़गार की गारंटी देता है; नया बिल इसे बढ़ाकर 125 दिन कर देता है। ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं:

- ग्रामीण गरीबी और पलायन को कम करना
- संपत्ति निर्माण और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ाना
- सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देना
- रोज़गार गारंटी योजनाएं राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा हैं, खासकर अनुच्छेद 41, जो राज्य से काम का अधिकार प्रदान करने का आग्रह करता है।
- पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष फंडिंग सहायता भारत की क्षेत्रीय समानता और संतुलित विकास की नीति के अनुरूप है।

लोकसभा ने भारत को बदलने के लिए परमाणु ऊर्जा के स्थायी उपयोग और उन्नति विधेयक, 2025 पर विचार किया

लोकसभा ने भारत को बदलने के लिए परमाणु ऊर्जा के स्थायी उपयोग और उन्नति विधेयक, 2025 (शांति विधेयक) पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए उठाया है। इस विधेयक का उद्देश्य भारत के परमाणु ऊर्जा ढांचे का आधुनिकीकरण करना, स्वच्छ और स्थायी बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित उपयोग के लिए एक व्यापक नियामक तंत्र स्थापित करना है।

शांति विधेयक की मुख्य विशेषताएं

- बिजली उत्पादन और गैर-बिजली अनुप्रयोगों के लिए परमाणु ऊर्जा और आयनीकरण विकिरण के विकास, विनियमन और उपयोग को बढ़ावा देना।
- मौजूदा कानूनों को अपडेट करके भारत के नागरिक परमाणु क्षेत्र के लिए एक एकल, एकीकृत कानूनी ढांचा प्रदान करना।
- वैधानिक समर्थन के माध्यम से परमाणु सुरक्षा और नियामक निगरानी को मजबूत करने का प्रस्ताव।
- परमाणु दुर्घटनाओं की स्थिति में देयता और मुआवजे से संबंधित प्रावधानों को पेश करना।
- भारत में पहली बार परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र और संयुक्त उद्यम की भागीदारी को सक्षम बनाना।

विधेयक के उद्देश्य

- स्वच्छ और कम कार्बन ऊर्जा की ओर भारत के संक्रमण का समर्थन करना।
- विश्वसनीय बेसलोड परमाणु ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- परमाणु क्षेत्र में निवेश, उन्नत प्रौद्योगिकी और नवाचार को आकर्षित करना।
- परमाणु संचालन में सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करना।

अतिरिक्त तथ्य

1. भारत में परमाणु ऊर्जा

- भारत का परमाणु कार्यक्रम 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ शुरू हुआ।
- डॉ. होमी जहांगीर भाभा को भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है।

2. नियामक ढांचा

- परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) भारत में परमाणु सुरक्षा की देखरेख करता है।
- विधेयक का उद्देश्य परमाणु नियामकों को मजबूत वैधानिक अधिकार प्रदान करना है।

3. परमाणु ऊर्जा के फायदे

- कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन
- उच्च ऊर्जा घनत्व
- विश्वसनीय बेस-लोड बिजली

4. भारत की परमाणु ईंधन रणनीति

भारत तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का पालन करता है, जो यूरेनियम और थोरियम भंडार के इष्टतम उपयोग पर केंद्रित है।

5. देयता ढांचा

परमाणु देयता कानून निवेश संबंधी चिंताओं को संतुलित करते हुए दुर्घटनाओं की स्थिति में पीड़ितों को मुआवजा सुनिश्चित करते हैं।

राज्यसभा ने निरसन और संशोधन विधेयक, 2025 पर विचार किया

राज्यसभा ने संसद के चल रहे सत्र के दौरान निरसन और संशोधन विधेयक, 2025 पर विचार किया है। इस विधेयक का उद्देश्य पुराने, अप्रचलित और अनावश्यक कानूनों को रद्द करना और कुछ मौजूदा अधिनियमों में विसंगतियों को दूर करने, शब्दावली को अपडेट करने और मसौदा तैयार करने की त्रुटियों को ठीक करने के लिए संशोधन करना है। यह कानून पहले लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं

- 71 अप्रचलित अधिनियमों को रद्द करने का प्रस्ताव है जो वर्तमान कानूनी और प्रशासनिक ढांचे में अब प्रासंगिक नहीं हैं।
- भाषा को अपडेट करने, पुराने प्रावधानों को हटाने और मसौदा तैयार करने की गलतियों को ठीक करने के लिए 4 मौजूदा अधिनियमों में संशोधन करने का प्रयास है।
- कुछ औपनिवेशिक काल के कानून और क्षेत्र-विशिष्ट अधिनियम जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, उन्हें रद्द करने के लिए शामिल किया गया है।
- संशोधन वर्तमान शासन प्रथाओं के अनुरूप कानूनी शब्दावली के आधुनिकीकरण पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं।
- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में एक मसौदा त्रुटि को ठीक करने का प्रस्ताव है।

विधेयक के उद्देश्य

- अनावश्यक कानूनों को हटाकर कानून की किताब को व्यवस्थित करना।
- कानूनी स्पष्टता और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना।
- नागरिकों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने में आसानी में सुधार करना।
- अप्रचलित, अनावश्यक या भेदभावपूर्ण प्रावधानों को समाप्त करना।

पृष्ठभूमि और शासन संदर्भ

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कानूनी ढांचा प्रासंगिक और अद्यतन रहे, समय-समय पर निरसन और संशोधन विधेयक पेश किए जाते हैं। 2014 से, सरकार ने कानूनी सुधार पहलों के हिस्से के रूप में 1,500 से अधिक अप्रचलित कानूनों को रद्द कर दिया है। पुराने कानूनों को हटाने से अनुपालन का बोझ कम होता है और कानूनों की व्याख्या में भ्रम से बचा जा सकता है।

लोकसभा ने बीमा सेक्टर में FDI लिमिट को 100% तक बढ़ाने वाला बिल पास किया

लोकसभा ने सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) बिल, 2025 पास कर दिया है, जो भारतीय बीमा सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) की लिमिट को 74% से बढ़ाकर 100% कर देता है। इस सुधार का मकसद बीमा बाज़ार को उदार बनाना, ज़्यादा विदेशी पूंजी आकर्षित करना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और पूरे भारत में बीमा की पहुंच में सुधार करना है।

बीमा में FDI की पृष्ठभूमि और विकास

- 2000: प्राइवेट और विदेशी निवेश की अनुमति दी गई, FDI की सीमा 26% तय की गई।
- 2014: FDI की सीमा बढ़ाकर 49% कर दी गई।
- 2021: FDI की सीमा बढ़ाकर 74% कर दी गई।
- 2025: FDI की सीमा और बढ़ाकर 100% कर दी गई, जिससे पूरी तरह से विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों को अनुमति मिल गई।

भारत की अर्थव्यवस्था के लिए महत्व

- वैश्विक पूंजी आकर्षित करता है: अंतर्राष्ट्रीय निवेश और विशेषज्ञता को बढ़ावा देता है।
- प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है: नवाचार, बेहतर सेवाओं और प्रौद्योगिकी को अपनाने को बढ़ावा देता है।
- बीमा की पहुंच में सुधार: भारत में बीमा की पहुंच वैश्विक औसत से कम है।
- नियामक मजबूती: पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करने में IRDAI का समर्थन करता है।
- रोजगार और बाज़ार विस्तार: अधिक विदेशी भागीदारी रोजगार और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है।

अतिरिक्त उपयोगी तथ्य

- FDI (फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट): किसी विदेशी संस्था द्वारा किसी घरेलू कंपनी में किया गया निवेश, जिसमें अक्सर दीर्घकालिक हित और प्रबंधन नियंत्रण शामिल होता है।
- IRDAI: भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण बीमा क्षेत्र को विनियमित और पर्यवेक्षण करता है।
- बीमा पहुंच: कुल बीमा प्रीमियम का GDP से अनुपात।
- बीमा घनत्व: प्रति व्यक्ति बीमा खर्च।
- उदारीकरण भारत के वैश्विक वित्तीय केंद्र बनने और व्यापार करने में आसानी में सुधार करने के लक्ष्य के अनुरूप है।
- विकसित भारत ग्रामीण रोज़गार विधेयक, 2025 लोकसभा में पेश किया गया

ग्रामीण रोज़गार सृजन को मज़बूत करने और ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा में सुधार के लिए विकसित भारत ग्रामीण रोज़गार विधेयक, 2025 लोकसभा में पेश किया गया। यह विधेयक विपक्ष के विरोध के बीच पेश किया गया, जो ग्रामीण रोज़गार नीतियों पर राजनीतिक बहस को उजागर करता है।

मुख्य प्रावधान:

- इस विधेयक का लक्ष्य संरचित सार्वजनिक कार्यों और विकास-उन्मुख गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण भारत में रोज़गार के अवसरों को बढ़ाना है।
- इसका उद्देश्य ग्रामीण रोज़गार को विकसित भारत के व्यापक दृष्टिकोण के साथ जोड़ना है।
- फोकस क्षेत्रों में कौशल-आधारित कार्य, संपत्ति निर्माण और स्थायी ग्रामीण बुनियादी ढांचा शामिल हैं।
- यह विधेयक ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रमों की बेहतर निगरानी, पारदर्शिता और परिणाम-आधारित कार्यान्वयन का प्रस्ताव करता है।

महत्व:

- ग्रामीण बेरोज़गारी और अल्प-रोज़गार को संबोधित करता है, जो एक प्रमुख सामाजिक-आर्थिक चुनौती है।
- ग्रामीण परिवारों के लिए आय सुरक्षा को मज़बूत करता है।
- समावेशी विकास और संतुलित क्षेत्रीय विकास का समर्थन करता है।
- रोज़गार-आधारित विकास पर सरकार के ज़ोर को दर्शाता है।

भारत में ग्रामीण रोज़गार

- ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- रोज़गार योजनाएं ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में संकटग्रस्त प्रवासन को कम करने में मदद करती हैं।
- संपत्ति बनाने वाले कार्य दीर्घकालिक ग्रामीण उत्पादकता में सुधार करते हैं।

विधायी प्रक्रिया

- एक विधेयक को अधिनियम बनने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होना चाहिए और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करनी चाहिए।
- धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं, जबकि सामान्य विधेयक किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं।
- संसदीय विरोध विधायी कामकाज का हिस्सा हैं लेकिन विधेयक को औपचारिक रूप से पेश करने में बाधा नहीं डालते हैं।

रोज़गार और विकास संबंध

- रोज़गार सृजन बुनियादी ढांचे के निर्माण, कौशल विकास और ग्रामीण मांग से निकटता से जुड़ा हुआ है।
- ग्रामीण रोज़गार योजनाएं बढ़े हुए उपभोग के माध्यम से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि में योगदान करती हैं।
- स्थानीय रोज़गार पर ध्यान गरीबी में कमी और सम्मानजनक काम जैसे स्थायी विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का समर्थन करता है।

लोकसभा में परमाणु ऊर्जा बिल पेश किया गया

भारत सरकार ने देश में परमाणु ऊर्जा के विकास, रेगुलेशन और सुरक्षित इस्तेमाल के लिए एक आधुनिक और व्यापक कानूनी ढांचा बनाने के लिए लोकसभा में परमाणु ऊर्जा बिल पेश किया है।

बिल के मुख्य उद्देश्य:

- बिजली उत्पादन, स्वास्थ्य सेवा, उद्योग और अनुसंधान के लिए परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना।
- परमाणु सुरक्षा, संरक्षा और नियामक निगरानी को मजबूत करना।
- परमाणु गतिविधियों में लाइसेंसिंग, पर्यवेक्षण और जवाबदेही के लिए एक स्पष्ट ढांचा प्रदान करना।
- परमाणु दुर्घटनाओं की स्थिति में देयता और मुआवजे के लिए तंत्र स्थापित करना।

संस्थागत प्रावधान:

- यह बिल परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) को उसकी स्वतंत्रता और अधिकार को बढ़ाने के लिए वैधानिक समर्थन प्रदान करता है।
- यह विवाद समाधान और शिकायत निवारण के लिए एक परमाणु ऊर्जा निवारण सलाहकार परिषद के गठन का प्रस्ताव करता है।

संसदीय घटनाक्रम:

बिल पेश होने पर कुछ सांसदों ने इसका विरोध किया, जो सुरक्षा, संघीय मुद्दों और निजी भागीदारी से संबंधित चिंताओं को दर्शाता है।

भारत में परमाणु ऊर्जा

- परमाणु ऊर्जा को कम कार्बन उत्सर्जन के साथ बेस-लोड बिजली का एक स्वच्छ और विश्वसनीय स्रोत माना जाता है।
- भारत थोरियम उपयोग पर आधारित तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का पालन करता है।
- परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत काम करता है।
- भारत उन कुछ देशों में से एक है जिनके पास महत्वपूर्ण थोरियम भंडार हैं।

नीति और रणनीतिक महत्व

- परमाणु ऊर्जा भारत की ऊर्जा सुरक्षा का समर्थन करती है और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करती है।
- यह भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं और दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में योगदान देता है।
- इस बिल का लक्ष्य निवेश, नवाचार और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) जैसी उन्नत तकनीकों को आकर्षित करना है।

सुरक्षा और विनियमन

- भारत में परमाणु सुरक्षा सख्त विकिरण संरक्षण और आपातकालीन तैयारी मानदंडों द्वारा शासित होती है।
- यह बिल परमाणु सुरक्षा और देयता प्रबंधन में सरकारी जिम्मेदारी के सिद्धांत को मजबूत करता है।

अतिरिक्त तथ्य:

- भारत के परमाणु ऊर्जा ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए परमाणु ऊर्जा बिल लोकसभा में पेश किया गया था।
- इस बिल का लक्ष्य परमाणु सुरक्षा, विनियमन और जवाबदेही को मजबूत करना है।
- परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड भारत में प्रमुख परमाणु सुरक्षा नियामक है।
- परमाणु ऊर्जा कम कार्बन वाली बेस-लोड बिजली प्रदान करती है।
- भारत का परमाणु कार्यक्रम तीन-चरणीय विकास रणनीति पर आधारित है।
- परमाणु ऊर्जा विभाग प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत काम करता है।

केंद्रीय कैबिनेट ने परमाणु ऊर्जा कानून में संशोधन को मंज़ूरी दी

केंद्रीय कैबिनेट ने परमाणु ऊर्जा कानूनी ढांचे में संशोधनों से जुड़े एक प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है, जिसका मकसद भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को मज़बूत करना और ज़्यादा दक्षता, सुरक्षा और रेगुलेटरी स्पष्टता लाना है। यह मंज़ूरी भारत की बढ़ती स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा सुरक्षा ज़रूरतों के हिसाब से परमाणु ऊर्जा गवर्नेंस को आधुनिक बनाने की सरकार की मंशा को दिखाती है। उम्मीद है कि इस कदम से परमाणु परियोजनाओं को आसानी से लागू करने में मदद मिलेगी, उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा मिलेगा, और कम कार्बन वाली ऊर्जा का हिस्सा बढ़ाकर भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की क्षमता बढ़ेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों पर इसके असर के कारण परमाणु ऊर्जा सरकार के नियंत्रण में एक रणनीतिक क्षेत्र बना हुआ है।

भारत में परमाणु ऊर्जा

भारत में परमाणु ऊर्जा एटॉमिक एनर्जी एक्ट, 1962 द्वारा नियंत्रित होती है। यह क्षेत्र परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के तहत आता है, जो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत काम करता है। परमाणु ऊर्जा भारत के स्वच्छ ऊर्जा बदलाव का एक प्रमुख घटक है।

परमाणु ऊर्जा क्यों महत्वपूर्ण है

परमाणु ऊर्जा बहुत कम कार्बन उत्सर्जन के साथ बेसलोड बिजली प्रदान करती है। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने में मदद करता है। पेरिस समझौते के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं का समर्थन करता है।

भारत में परमाणु ऊर्जा

भारत मुख्य रूप से न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) के माध्यम से कई परमाणु ऊर्जा संयंत्र संचालित करता है। भारत थोरियम के उपयोग पर आधारित तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का पालन करता है। भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े थोरियम भंडार में से एक है।

सरकार ने कोयला लिंकेज नीलामी के लिए 'कोलसेतु' नीति को मंज़ूरी दी

भारत सरकार ने कोलसेतु नीति को मंज़ूरी दे दी है, यह एक नया फ्रेमवर्क है जिसका मकसद एक पारदर्शी कोयला लिंकेज नीलामी तंत्र के ज़रिए कोयले के आवंटन और परिवहन में सुधार करना है। इस नीति का मकसद विभिन्न क्षेत्रों, खासकर बिजली, स्टील और अन्य मुख्य उद्योगों को कुशल, भरोसेमंद और किफायती कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। कोलसेतु के तहत, कोयला लिंकेज नीलामी को लॉजिस्टिक्स ऑप्टिमाइज़ेशन के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे उपभोक्ता भौगोलिक रूप से नज़दीक की खदानों से कोयला ले सकेंगे, जिससे परिवहन लागत, भीड़भाड़ और कार्बन उत्सर्जन कम होगा। यह नीति कोयला आपूर्ति को रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के साथ जोड़ती है, जिससे खदानों से अंतिम उपयोगकर्ताओं तक कोयले की आवाजाही आसान होगी। यह पहल भारत के ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने, कोयले के उपयोग की दक्षता में सुधार करने और घरेलू कोयला आपूर्ति श्रृंखलाओं को मज़बूत करने के साथ-साथ आयात पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य का समर्थन करती है।

कोयला लिंकेज क्या है?

कोयला लिंकेज का मतलब खदानों से बिजली संयंत्रों और उद्योगों जैसे उपभोक्ताओं को कोयले का आवंटन है। यह लगातार औद्योगिक और बिजली उत्पादन के लिए सुनिश्चित ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करता है।

कोलसेतु नीति का महत्व

नीलामी के ज़रिए कोयले के बाज़ार-आधारित आवंटन को बढ़ावा देता है। कोयला सोर्सिंग को परिवहन मार्गों से जोड़कर लॉजिस्टिक्स दक्षता को प्रोत्साहित करता है। बिजली उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन की लागत कम करता है। लंबी दूरी के कोयला परिवहन से होने वाले उत्सर्जन को कम करके पर्यावरणीय स्थिरता का समर्थन करता है।

भारत में कोयला क्षेत्र

भारत दुनिया के सबसे बड़े कोयला उत्पादकों और उपभोक्ताओं में से एक है। कोयला भारत के ऊर्जा मिश्रण का एक महत्वपूर्ण घटक बना हुआ है, खासकर थर्मल पावर के लिए। कोयला खनन और वितरण की देखरेख कोयला मंत्रालय करता है।

संबंधित सरकारी पहलें

निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यिक कोयला खनन। पारदर्शी कोयला मूल्य निर्धारण के लिए राष्ट्रीय कोयला सूचकांक (NCI)। स्वच्छ कोयले के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कोयला गैसीकरण मिशन।

स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025

संसद ने स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने विधेयक को मंज़ूरी दी और चर्चा के बाद इसे लोकसभा को वापस भेज दिया।

विधेयक के मुख्य प्रावधान

1. उपकर का उद्देश्य

इन पर उपकर लगाया जाएगा:

- पान मसाला
- अन्य नुकसानदायक वस्तुएँ (केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएंगी)

इससे मिलने वाले राजस्व का उपयोग किया जाएगा:

- सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च
- राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा तैयारी

2. कराधान की प्रकृति

- ज़रूरी चीज़ों पर उपकर नहीं लगाया जाएगा।
- यह उन नुकसानदायक वस्तुओं को लक्षित करता है जिनका सार्वजनिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है।

3. रक्षा पर ध्यान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ज़ोर दिया:

- आधुनिक रक्षा के लिए सटीक हथियारों, स्वायत्त प्रणालियों, अंतरिक्ष संपत्तियों की ज़रूरत होती है।
- इनके लिए पूंजी-गहन और निरंतर फंडिंग की ज़रूरत होती है।

4. स्वास्थ्य पर ध्यान

तंबाकू के कारण बीमारियों की उच्च दर:

हर साल 13.5 लाख मौतें (तंबाकू से संबंधित बीमारियाँ + कैंसर)

उपकर मदद करेगा:

- निवारक स्वास्थ्य सेवा को फंड देना
- हानिकारक चीज़ों की खपत कम करना

5. संघीय पहलू

स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए:

राज्यों को उपकर राजस्व का एक हिस्सा मिलेगा।

GST से संबंधित तथ्य (अर्थव्यवस्था अनुभाग के लिए बहुत महत्वपूर्ण)

पहले की GST व्यवस्था के तहत:

नुकसानदायक वस्तुओं पर GST + क्षतिपूर्ति उपकर लगता था

कुल कर का बोझ कभी-कभी 88% तक पहुँच जाता था, हमेशा 40% से ऊपर रहता था

अगली पीढ़ी के GST के तहत:

- क्षतिपूर्ति उपकर चरणबद्ध तरीके से समाप्त
- अब अकेले GST की सीमा 40% है

'उपकर' के बारे में

- उपकर एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए लगाया जाने वाला कर है।
- इससे प्राप्त आय स्वतंत्र रूप से समेकित निधि में नहीं जाती है; इसे इच्छित उद्देश्य पर ही खर्च किया जाना चाहिए।
- लोकप्रिय उदाहरण: स्वास्थ्य उपकर, स्वच्छ भारत उपकर, बुनियादी ढाँचा उपकर।

संवैधानिक प्रावधान

- उपकर अनुच्छेद 270 (लगाए और वितरित किए गए कर) और अनुच्छेद 271 (संघीय उद्देश्यों के लिए उपकर) के तहत अनुमत हैं।
- स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है – 7वीं अनुसूची की सूची II।
- भारत में तंबाकू का सार्वजनिक स्वास्थ्य बोझ (स्थिर डेटा)
- भारत विश्व स्तर पर तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है।

- तंबाकू से संबंधित बीमारियों से आर्थिक बोझ भारत की GDP का ~1.8% है (स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार)।
- WHO का अनुमान है कि दुनिया भर में हर साल 8 मिलियन लोग तंबाकू से मरते हैं।

लोकसभा ने तंबाकू प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी और सेस बढ़ाने के लिए एक्साइज बिल 2025 पास किया

लोकसभा ने तंबाकू प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी में बदलाव करने के लिए सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल, 2025 पास किया। यह अमेंडमेंट सेंट्रल एक्साइज एक्ट, 1944 को सेस के बाद की ज़रूरतों के हिसाब से बनाता है, जिससे केंद्र को GST कंपनसेशन सेस खत्म होने के बाद ड्यूटी बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल गुंजाइश मिलती है।

मुख्य नियम

सिगरेट, सिगार, हुक्का तंबाकू, ज़र्दा, चबाने वाला तंबाकू, खुशबूदार तंबाकू और इसके सब्स्टिट्यूट पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है।

सिगरेट पर मौजूदा ड्यूटी (₹200–₹735 प्रति 1,000 स्टिक) काफी बढ़कर ₹2,700–₹11,000 प्रति 1,000 स्टिक हो जाएगी। मुख्य प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी बढ़ी:

- चबाने वाला तंबाकू: 25% → 100%
- हुक्का तंबाकू: 25% → 40%
- स्मोकिंग मिक्सचर: 60% → 325%

सरकार का एक्सप्लेनेशन

फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने साफ किया:

- यह कोई नया टैक्स या सेस नहीं है; GST से पहले भी एक्साइज ड्यूटी थी।
- कम्पेनसेशन सेस रेट 2017 से 2024 तक बिना बदले रहे।
- GST से पहले हेल्थ कारणों से तंबाकू ड्यूटी हर साल बढ़ाई जाती थी।
- सिगरेट पर कुल टैक्स रिटेल कीमत का 53% है।
- सेस के बाद, रेवेन्यू सेंटर को जाएगा और फिर राज्यों को दिया जाएगा (41% हिस्सा)।

हेल्थ लॉजिक

ज़्यादा टैक्स का मकसद तंबाकू का इस्तेमाल कम करना और नए यूज़र्स को रोकना है। हेल्थ पर खर्च GDP के 1.13% से बढ़कर 1.84% हो गया (2014–15 से 2021–22 तक)। आयुष्मान भारत के तहत, 55 करोड़ बेनिफिशियरी को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलता है। ₹1.3 लाख करोड़ के 9 करोड़ से ज़्यादा हॉस्पिटल में भर्ती हुए। मिशन इंद्रधनुष के तहत 5.46 करोड़ बच्चों और 1.32 करोड़ प्रेग्नेंट महिलाओं को वैक्सीन लगाई गई। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो 130 से घटकर 80 हो गया (2014–2020)।

किसानों पर असर

तंबाकू की खेती को रोकने की कोशिशें चल रही हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत, 1.12 लाख एकड़ ज़मीन से तंबाकू हटाया गया (2018–2021-22)। 10 बड़े तंबाकू उगाने वाले राज्यों में फसल डायवर्सिफिकेशन को बढ़ावा दिया गया।

उद्देश्य

इस अमेंडमेंट का मकसद तंबाकू का कंजम्पशन कम करना, पब्लिक हेल्थ की सुरक्षा करना, प्राइस स्टेबिलिटी बनाए रखना और यह पक्का करना है कि कम्पनसेशन सेस खत्म होने के बाद राज्यों को रेवेन्यू का नुकसान न हो।

लोकसभा ने मणिपुर GST बिल 2025 पास किया

बिल का मकसद

मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (दूसरा अमेंडमेंट) बिल, 2025 को मणिपुर के GST रेट्स को केंद्र के बदले हुए GST स्लैब के साथ अलाइन करने के लिए पास किया गया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया यह बिल अक्टूबर 2025 में जारी पिछले ऑर्डिनेंस को भी बदलने की कोशिश करता है।

मुख्य प्रोविज़न

56वीं GST काउंसिल के फैसलों को लागू करता है, जिसमें लगभग 375 चीज़ों पर GST रेट्स को रैशनलाइज़ करना शामिल है। मौजूदा GST स्लैब को दो मुख्य रेट्स: 5% और 18% में मिलाता है, जो पहले के 5%, 12%, 18% और 28% स्लैब की जगह लेते हैं।

बैकग्राउंड

इससे पहले अगस्त 2025 में, लोकसभा ने पिछले ऑर्डिनेंस को बदलने के लिए मणिपुर GST (अमेंडमेंट) बिल, 2025 पास किया था। ये अमेंडमेंट राज्यों में GST को आसान और रैशनलाइज़ करने की देशव्यापी कोशिश का हिस्सा हैं।

मणिपुर

- राजधानी: इम्फाल (एग्जीक्यूटिव ब्रांच)
- यूनियन में शामिल होना: 15 अक्टूबर 1949
- राज्य के तौर पर: 21 जनवरी 1972
- केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर: 1 नवंबर 1956
- जिले: 16
- गवर्नर: अजय कुमार भल्ला
- मुख्यमंत्री: राष्ट्रपति शासन

असम असेंबली में विपक्ष के वॉकआउट के बीच छह एजुकेशन बिल पास हुए

वॉकआउट के बावजूद बिल पास हुए

असम असेंबली ने एजुकेशन से जुड़े छह बड़े बिल पास किए — चार अमेंडमेंट बिल और दो यूनिवर्सिटी से जुड़े बिल। अमेंडमेंट बिल प्राइवेट स्कूल फीस को रेगुलेट करने, टीचर और नॉन-टीचिंग स्टाफ के प्रोविंशियलाइजेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रीऑर्गेनाइजेशन पर फोकस थे। दो यूनिवर्सिटी बिल में नई यूनिवर्सिटी बनाना और राज्य में हायर-एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना शामिल था।

विपक्ष का वॉकआउट

विपक्षी पार्टियों ने यह आरोप लगाते हुए वॉकआउट किया कि उनके प्रपोज्ड अमेंडमेंट को नजरअंदाज किया गया। प्रपोज्ड

अमेंडमेंट में इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के लिए कट-ऑफ ईयर में ढील देना, मिनिमम एनरोलमेंट क्राइटेरिया को कम करना और मदरसों को संबंधित एक्ट के तहत शामिल करना शामिल था। सरकार ने संभावित कानूनी मुद्दों का हवाला देते हुए अमेंडमेंट को खारिज कर दिया।

सरकार का तर्क

इन बिल का मकसद टीचर और स्टाफ मैनेजमेंट को आसान बनाना, सर्विस कंडीशन में सुधार करना और प्राइवेट स्कूल फीस को रेगुलेट करना है। नए यूनिवर्सिटी बिल का मकसद पूरे असम में हायर-एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑफरिंग को बेहतर बनाना है।

असम

- राजधानी: दिसपुर
- विभाजन: 21 जनवरी 1972
- गठन: 26 जनवरी 1950
- गवर्नर: लक्ष्मण आचार्य
- मुख्यमंत्री: हिमंत बिस्वा सरमा (BJP)

लघु लेख

भारत में बाल तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण: सुप्रीम कोर्ट का मानव-केंद्रित न्यायिक हस्तक्षेप

भारत में बाल तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण मानवाधिकारों के सबसे गंभीर उल्लंघनों में से हैं। इस संकट की गंभीरता को पहचानते हुए, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बाल तस्करी को एक "बेहद परेशान करने वाली सच्चाई" बताया है जो बच्चों की गरिमा, शारीरिक अखंडता और मौलिक अधिकारों पर चोट करती है। एक महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप में, कोर्ट ने पीड़ित-केंद्रित दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें अदालतों को निर्देश दिया गया कि वे तस्करी किए गए बच्चों को घायल गवाहों के रूप में मानें और उनकी गवाही का मूल्यांकन संदेह के बजाय संवेदनशीलता के साथ करें। यह प्रक्रियात्मक कठोरता से दयालु न्याय की ओर एक निर्णायक बदलाव है।

बाल तस्करी मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उद्देश्य न्यायिक दृष्टिकोण में सुधार करना और आघात-सूचित न्याय सुनिश्चित करना है:

पीड़ित की गवाही विश्वसनीय सबूत के रूप में

- तस्करी किए गए बच्चों को घायल गवाहों के रूप में माना जाना चाहिए, जिनकी गवाही को उचित महत्व दिया जाना चाहिए।
- मामूली विसंगतियों के कारण उनके बयानों को अविश्वास योग्य नहीं माना जाना चाहिए।
- यदि पीड़ित की अकेली गवाही विश्वसनीय पाई जाती है, तो उसके आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है।
- अदालतों को तस्करी के संचालन की जटिल और बहुस्तरीय प्रकृति को देखते हुए सटीक विवरण की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।

कमजोरियों के प्रति संवेदनशीलता

- सबूतों के न्यायिक मूल्यांकन में सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक कमजोरियों पर विचार किया जाना चाहिए, खासकर हाशिए पर पड़े समुदायों के बच्चों के लिए।
- गवाही का मूल्यांकन करते समय एक यथार्थवादी और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण आवश्यक है।

द्वितीयक पीड़िततता को कम करना

- कानूनी कार्यवाही से बच्चे को और अधिक आघात नहीं पहुंचना चाहिए।
- जांच और मुकदमे के दौरान पीड़ितों की गरिमा, गोपनीयता और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा की जानी चाहिए।

पूर्वाग्रही धारणाओं से बचना

- अदालतों को बच्चे के व्यवहार से प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने से बचना चाहिए, जैसे कि देरी से रिपोर्ट करना या प्रतिरोध की कमी, जो अक्सर आघात-प्रेरित प्रतिक्रियाएं होती हैं।
- कोर्ट ने फिर से पुष्टि की कि बाल तस्करी और यौन शोषण जीवन, गरिमा और सुरक्षा के अधिकार को कमजोर करके अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करते हैं।

बाल तस्करी को समझना

बाल तस्करी में बच्चों की भर्ती, परिवहन, हस्तांतरण, आश्रय देना या प्राप्त करना शामिल है, जो जबरदस्ती, धोखे, सत्ता के दुरुपयोग, या शोषण के उद्देश्यों के लिए कमजोरी का फायदा उठाने के माध्यम से किया जाता है। इनमें शामिल हैं:

- व्यावसायिक यौन शोषण
- जबरन या बंधुआ मजदूरी
- भीख मांगना
- गुलामी या दासता

अंगों को अवैध रूप से निकालना

- यह बाल अधिकारों, मानवीय गरिमा और शारीरिक अखंडता का गंभीर उल्लंघन है। भारत में संवैधानिक और कानूनी ढांचा
- संवैधानिक प्रावधान
- अनुच्छेद 23: मानव तस्करी और जबरन मजदूरी पर रोक लगाता है।
- अनुच्छेद 21: गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार की गारंटी देता है।

कानूनी ढांचा

भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023:

धारा 143 और 144 मानव तस्करी और बच्चों के यौन शोषण के लिए आजीवन कारावास सहित कड़ी सजा का प्रावधान करती हैं। भिखारीपन को शोषण के एक रूप के रूप में मान्यता दी गई है।

- अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956: व्यावसायिक यौन शोषण से निपटने वाला मुख्य कानून।

- POCSO अधिनियम, 2012: बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए बाल-सुलभ प्रक्रियाओं और कड़ी सजा सुनिश्चित करता है।
- किशोर न्याय अधिनियम, 2015: संस्थागत और गैर-संस्थागत देखभाल, पुनर्वास और पुनर्मिलन प्रदान करता है।
- आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013: सहमति की परवाह किए बिना तस्करी की परिभाषा का दायरा बढ़ाता है।
- संबद्ध कानूनों में बंधुआ मजदूरी अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम और अंग प्रत्यारोपण अधिनियम शामिल हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख फैसले

- विशाल जीत बनाम भारत संघ (1990): निवारक और मानवीय दृष्टिकोण की वकालत की; राज्यों को बाल वेश्यावृत्ति और देवदासी प्रथाओं से लड़ने का निर्देश दिया।
- एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य (1996): खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया और एक पुनर्वास कोष स्थापित किया।
- बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ (2011): सर्कस में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाया और तस्करी नेटवर्क से निपटा।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं

भारत निम्नलिखित का हस्ताक्षरकर्ता है:

- संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ कन्वेंशन (UNCTOC) और इसका तस्करी प्रोटोकॉल
- महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने और मुकाबला करने पर सार्क कन्वेंशन

बाल तस्करी को रोकने में चुनौतियां

गहरी जड़ें जमाए सामाजिक-आर्थिक संकट

गरीबी, बेरोजगारी, प्रवासन, आपदाएं और पारिवारिक टूटन बच्चों को कमजोर बनाती हैं। सस्ते श्रम, घरेलू गुलामी, भीख मांगने और व्यावसायिक यौन शोषण की लगातार मांग तस्करी बाजारों को बनाए रखती है।

अदृश्य और संगठित तस्करी नेटवर्क

तस्करी श्रृंखलाएं स्रोत, पारगमन और गंतव्य क्षेत्रों में काम करती हैं, भारत-नेपाल सीमा जैसी कमजोर सीमाओं का फायदा उठाती हैं, जिससे पता लगाना मुश्किल हो जाता है।

खामोशी और कलंक

डर, आघात और सामाजिक कलंक पीड़ितों को अपराधों की रिपोर्ट करने से रोकते हैं। संवेदनहीन पूछताछ से अक्सर दोबारा ट्रॉमा हो सकता है।

टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ग्रूमिंग और भर्ती के लिए तेज़ी से किया जा रहा है, जिसमें झूठी कहानियाँ भी शामिल हैं।

डेटा और मॉनिटरिंग में कमियां

देरी से मिलने वाला NCRB डेटा, बिखरे हुए डेटाबेस, और राज्यों के बीच खराब तालमेल शुरुआती चेतावनी और रोकथाम प्रणालियों को कमजोर करते हैं।

सबका बीमा, सबकी रक्षा बिल, 2025: समावेशी विकास के लिए भारत के बीमा क्षेत्र का उदारीकरण

लोकसभा द्वारा सबका बीमा, सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) बिल, 2025 पारित होना भारत के वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में एक महत्वपूर्ण क्षण है। बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति देकर, सरकार का लक्ष्य बीमा की पहुंच को गहरा करना, वैश्विक पूंजी और प्रौद्योगिकी को आकर्षित करना और "2047 तक सभी के लिए बीमा" के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है। हालांकि यह सुधार विकास और नवाचार का वादा करता है, लेकिन यह विदेशी प्रभुत्व, ग्रामीण उपेक्षा और पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा के बारे में भी चिंताएं पैदा करता है।

बिल के मुख्य प्रावधान

बीमा में 100% FDI

- FDI की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करता है, जिससे बीमा कंपनियों का पूर्ण विदेशी स्वामित्व संभव होगा।
- इसका उद्देश्य दीर्घकालिक पूंजी, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और उन्नत जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञता को आकर्षित करना है।

मुख्य बीमा कानूनों में संशोधन

आधुनिक नियामक और बाजार आवश्यकताओं के अनुरूप होने के लिए बीमा अधिनियम, 1938, LIC अधिनियम, 1956 और IRDA अधिनियम, 1999 को अपडेट करता है।

पुनर्बीमा उदारीकरण

- विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं के लिए नेट ओन्ड फंड (NOF) की आवश्यकता को ₹5,000 करोड़ से घटाकर ₹1,000 करोड़ करता है।
- इसका लक्ष्य पुनर्बीमा बाजार को गहरा करना और भारत को एक क्षेत्रीय पुनर्बीमा केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

पॉलिसीधारकों की शिक्षा और संरक्षण कोष

- बीमा जागरूकता और उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित कोष स्थापित करता है।
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 के अनुपालन में पॉलिसीधारक डेटा के संग्रह और संरक्षण को अनिवार्य करता है।

IRDAI के लिए बढ़ी हुई शक्तियां

- उल्लंघनों की जांच करने, अवैध कमीशन और छूट पर अंकुश लगाने और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन प्राधिकरण को मजबूत करता है।
- IRDAI अध्यक्ष को तलाशी, निरीक्षण और जब्ती का आदेश देने का अधिकार देता है।
- पारदर्शिता में सुधार के लिए रिटर्न, खुलासे और बयानों की जांच की अनुमति देता है।

LIC के लिए अधिक स्वायत्तता

LIC को सरकार की पूर्व अनुमति के बिना आंचलिक कार्यालय खोलने की परिचालन स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिससे तेजी से विस्तार संभव होगा।

आसान अनुपालन व्यवस्था

उपभोक्ता सुरक्षा उपायों को बनाए रखते हुए व्यापार करने में आसानी में सुधार के लिए प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को सरल बनाता है।

सुधार के पीछे का तर्क

वैश्विक मानकों की तुलना में भारत में बीमा की पहुंच अभी भी कम है। इंश्योरेंस कवरेज का विस्तार न केवल फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बल्कि रिस्क कम करने, लॉन्ग-टर्म बचत जुटाने और आर्थिक मज़बूती के लिए भी ज़रूरी है। यह सुधार प्राइवेट पूंजी और इनोवेशन का लाभ उठाकर और रेगुलेटरी निगरानी को मज़बूत करके सुरक्षा की कमी को पाटने की कोशिश करता है।

चिंताएँ और सीमाएँ

- घरेलू बचत पर विदेशी दबदबा: आलोचकों का तर्क है कि 100% विदेशी स्वामित्व की अनुमति देने से नागरिकों की लॉन्ग-टर्म बचत विदेशी नियंत्रण में आ सकती है, जिससे आर्थिक संप्रभुता के मुद्दे उठ सकते हैं।
- शहरी पूर्वाग्रह और ग्रामीण उपेक्षा: मुनाफ़ा कमाने वाली विदेशी बीमा कंपनियाँ ग्रामीण और सामाजिक-क्षेत्र की ज़िम्मेदारियों के बजाय शहरी और ज़्यादा आय वाले बाज़ारों को प्राथमिकता दे सकती हैं।
- विश्वास की कमी: बीमा बहुत ज़्यादा सार्वजनिक विश्वास पर निर्भर करता है, जो पारंपरिक रूप से LIC जैसे सरकारी संस्थानों से जुड़ा हुआ है।
- राज्य की बदलती भूमिका: यह सुधार सामाजिक जोखिम सुरक्षा के लिए राज्य द्वारा सीधे प्रावधान से हटकर एक साझा ज़िम्मेदारी मॉडल की ओर बदलाव को दर्शाता है, जो अगर ठीक से रेगुलेट नहीं किया गया तो कल्याणकारी उद्देश्यों को कमज़ोर कर सकता है।

बीमा पैठ को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल

- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY): माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार ₹5 लाख का स्वास्थ्य कवरेज।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY): 18-50 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए जीवन बीमा।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY): मृत्यु और विकलांगता को कवर करने वाला दुर्घटना बीमा।
- जन धन-आधार-मोबाइल (JAM) ट्रिनिटी: नामांकन, प्रीमियम भुगतान और सीधे लाभ हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है।

भारतीय बीमा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति

वैश्विक स्थिति:

- विश्व स्तर पर 10वाँ सबसे बड़ा बीमा बाज़ार और उभरते बाज़ारों में दूसरा।
- 2032 तक छठा सबसे बड़ा बाज़ार बनने की उम्मीद है।

पैठ और घनत्व:

बीमा पैठ 3.4% (FY16) से बढ़कर 4.0% (FY23) हो गई।

सामान्य बीमा घनत्व USD 9 (2019) से बढ़कर USD 25 (FY23) हो गया।

बाज़ार विस्तार:

बीमा कंपनियों की संख्या 53 (2014-15) से बढ़कर 74 (2024-25) हो गई।

कुल प्रीमियम लगभग तीन गुना बढ़कर ₹4.15 लाख करोड़ से ₹11.93 लाख करोड़ हो गया।

जीवन बीमा:

- भारत विश्व स्तर पर 5वाँ सबसे बड़ा जीवन बीमा बाज़ार है।
- LIC के पास ~60% बाज़ार हिस्सेदारी है, हालाँकि प्राइवेट बीमा कंपनियाँ बढ़ रही हैं। जनरल इंश्योरेंस:
- एशिया में चौथा सबसे बड़ा बाज़ार और दुनिया भर में 14वां।

इंश्योरेंस सेक्टर में मुख्य चुनौतियाँ

- कम पैठ: जनरल इंश्योरेंस की पैठ GDP का लगभग 1% है, जो ग्लोबल औसत से बहुत कम है।
- सीमित ग्रामीण और अनौपचारिक कवरेज: ग्रामीण क्षेत्र, MSMEs, गिग वर्कर्स और अनौपचारिक क्षेत्र को पर्याप्त सेवा नहीं मिल पाती है।
- प्रोडक्ट मिसमैच: जटिल प्रोडक्ट कम आय वाले परिवारों और जलवायु परिवर्तन और साइबर खतरों जैसे उभरते जोखिमों के साथ ठीक से मेल नहीं खाते हैं।
- गलत बिक्री और भरोसे की कमी: क्लेम में देरी, अस्पष्ट शर्तें और गलत बिक्री से ग्राहकों का भरोसा कम होता है।
- कम जागरूकता: इंश्योरेंस को अक्सर जोखिम-प्रबंधन के साधन के बजाय एक खर्च के रूप में देखा जाता है।

शांति बिल, 2025: क्लीन एनर्जी भविष्य के लिए भारत के न्यूक्लियर एनर्जी गवर्नेंस में सुधार

लोकसभा में सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ़ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (शांति) बिल, 2025 का पेश होना भारत की न्यूक्लियर एनर्जी पॉलिसी में एक ऐतिहासिक बदलाव है। आज़ादी के बाद पहली बार, यह बिल न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने और चलाने में प्राइवेट और विदेशी भागीदारी के लिए न्यूक्लियर पावर सेक्टर को खोलने की कोशिश करता है। एटॉमिक एनर्जी एक्ट, 1962 और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज (CLND) एक्ट, 2010 की जगह, इस कानून का मकसद भारत के न्यूक्लियर गवर्नेंस को मॉडर्न बनाना, इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना और न्यूक्लियर पावर के विस्तार को भारत के क्लीन एनर्जी और नेट-ज़ीरो कमिटमेंट के साथ जोड़ना है।

शांति बिल, 2025 के मुख्य प्रोविज़न

मौजूदा न्यूक्लियर कानूनों को बदलना

- एटॉमिक एनर्जी एक्ट, 1962 और CLND एक्ट, 2010 को रद्द करता है, जिससे सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए एक यूनिफाइड कानूनी फ्रेमवर्क बनता है।
- इन्वेस्टर का भरोसा बढ़ाने के लिए रेगुलेटरी, लाइसेंसिंग और लायबिलिटी प्रोसेस को आसान बनाता है।

प्राइवेट और विदेशी सेक्टर की भागीदारी

- प्राइवेट भारतीय फर्मों, जॉइंट वेंचर्स और विदेशी एंटिटीज़ को न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने, उनका मालिकाना हक रखने, उन्हें ऑपरेट करने और बंद करने की इजाज़त देता है।
- न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) की एक्सक्लूसिव ऑपरेशनल मोनोपॉली खत्म करता है।

स्ट्रेटेजिक स्टेट कंट्रोल बनाए रखना

- सरकार न्यूक्लियर फ्यूल प्रोडक्शन, हेवी वॉटर मैन्युफैक्चरिंग और रेडियोएक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट जैसे सेंसिटिव एरिया पर कंट्रोल बनाए रखती है।
- नेशनल सिक्योरिटी, नॉन-प्रोलिफरेशन और स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट पक्का करता है।

न्यूक्लियर रेगुलेटर को स्टैच्युटरी स्टेटस

- एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड (AERB) को स्टैच्युटरी सपोर्ट देता है और इसे पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल बनाता है।
- रेगुलेटरी इंडिपेंडेंस, ट्रांसपेरेंसी और न्यूक्लियर सेफ्टी ओवरसाइट को मज़बूत करता है।

रिवाइज्ड न्यूक्लियर लायबिलिटी रिजीम

CLND एक्ट, 2010 को रद्द करता है और सप्लायर लायबिलिटी को हटाता है, जिससे प्लांट ऑपरेटर्स को कम्पनसेशन के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार बनाया जाता है। इंस्टॉल्ड प्लांट कैपेसिटी के आधार पर ऑपरेटर की लायबिलिटी को लिमिट करता है, फाइनेंशियल अनिश्चितता को कम करने के लिए ग्रेडेड लायबिलिटी लिमिट शुरू करता है।

एटॉमिक डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल

न्यूक्लियर से जुड़े विवादों पर फैसला करने के लिए एक डेडिकेटेड ट्रिब्यूनल बनाता है, जिससे रेगुलेटरी निश्चितता और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में सुधार होता है।

एडवांस्ड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की सुविधा

- छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) और स्वदेशी रिएक्टर डिज़ाइन के इस्तेमाल को बढ़ावा देता है।
- भारत के साफ, भरोसेमंद, कम कार्बन वाले बेसलोड पावर में बदलाव को सपोर्ट करता है।

भारत का मौजूदा न्यूक्लियर एनर्जी लैंडस्केप

- इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर कैपेसिटी 8.18 GW (2025) है, जिसका टारगेट 2047 तक 100 GW करना है।
- 20 से ज़्यादा ऑपरेशनल रिएक्टर, सभी NPCIL द्वारा मैनेज किए जाते हैं, और कई प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं।
- न्यूक्लियर एनर्जी मिशन (बजट 2025–26) SMRs के लिए R&D पर फोकस करता है। भारत का लक्ष्य 2033 तक कम से कम पांच स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किए गए SMRs विकसित करना है।
- उभरती हुई टेक्नोलॉजी में भारत स्मॉल रिएक्टर्स (BSRs), मोल्टेन सॉल्ट रिएक्टर्स और हाई-टेम्परेचर गैस-कूल्ड रिएक्टर्स शामिल हैं।

न्यूक्लियर सेक्टर सुधारों का कारण

महत्वाकांक्षी क्षमता विस्तार

अकेले NPCIL के पास न्यूक्लियर पावर को 8.8 GW से 100 GW तक बढ़ाने के लिए कैपिटल, मैनपावर और एग्जीक्यूशन कैपेसिटी की कमी है।

बड़ी फाइनेंसिंग की ज़रूरत

2047 का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगभग ₹15 लाख करोड़ की ज़रूरत है, जबकि बजट 2025-26 में आवंटन सीमित है, जिससे प्राइवेट निवेश की ज़रूरत है।

प्रोजेक्ट में देरी और लागत में बढ़ोतरी

कुडनकुलम यूनिट्स 3-6 जैसे प्रोजेक्ट्स में लगातार देरी EPC और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्राइवेट सेक्टर की कुशलता की ज़रूरत को दिखाती है।

टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की ज़रूरतें

प्राइवेट पार्टिसिपेशन से SMRs और एडवांस्ड रिएक्टरों को अपनाने में तेज़ी आ सकती है, जिससे सेफ्टी, स्केलेबिलिटी और कॉस्ट एफिशिएंसी में सुधार हो सकता है।

फ्यूल सिक्योरिटी की चुनौतियाँ

कमज़ोर घरेलू यूरेनियम सप्लाई और G2G इंपोर्ट पर निर्भरता के कारण माइनिंग, प्रोसेसिंग और फ्यूल लॉजिस्टिक्स में ज़्यादा पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है।

एनर्जी सिक्योरिटी और क्लाइमेट कमिटमेंट्स

न्यूक्लियर पावर स्टेबल, कम-कार्बन बेसलोड बिजली देती है, जो रिन्यूएबल एनर्जी को कॉम्प्लिमेंट करती है और 2070 तक नेट-ज़ीरो को सपोर्ट करती है।

मुख्य चिंताएँ और आलोचनाएँ

लायबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में कमी

सप्लायर लायबिलिटी हटाने और ऑपरेटर लायबिलिटी पर कैप लगाने से न्यूक्लियर एक्सीडेंट के मामले में अकाउंटेबिलिटी कमज़ोर हो सकती है।

पॉल्यूटर पेज़ प्रिंसिपल का उल्लंघन

असली नुकसान के बजाय प्लांट के साइज़ से लायबिलिटी को जोड़ने से एक्सीडेंट का खर्च राज्य और नागरिकों पर पड़ने का खतरा है।

पब्लिक सेफ्टी और भरोसे की कमी

इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर, खासकर भोपाल गैस ट्रेजेडी (1984) के साथ भारत का अनुभव, कमज़ोर सेफ़गार्ड्स के बारे में लोगों की आशंकाओं को बढ़ाता है।

मुनाफ़े का प्राइवेटाइज़ेशन, जोखिमों का सोशलाइज़ेशन

आलोचकों का तर्क है कि प्राइवेट फ़र्मों को कमर्शियल फ़ायदा हो सकता है, जबकि लंबे समय के पर्यावरण और सुरक्षा जोखिम समाज को उठाने पड़ते हैं।

न्यूक्लियर गवर्नेंस को मज़बूत करने के लिए ज़रूरी उपाय

रेगुलेटरी इंडिपेंडेंस को बढ़ाना

- AERB के लिए ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट प्रोसेस और फ़ाइनेंशियल ऑटोनॉमी।
- भरोसेमंद सुरक्षा निगरानी सुनिश्चित करने के लिए एग्ज़ीक्यूटिव दखल से सुरक्षा।

सुरक्षा और इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव में बैलेंस बनाना

लाइबिलिटी कैप का समय-समय पर रिव्यू और महंगाई और बदलते रिस्क प्रोफ़ाइल के हिसाब से इंडेक्सिंग।

पारदर्शिता के ज़रिए जनता का भरोसा बढ़ाना

सुरक्षा ऑडिट, आपातकालीन तैयारी योजनाओं और दुर्घटना रिपोर्टिंग तंत्र का अनिवार्य खुलासा।

केंद्र-राज्य समन्वय को मज़बूत करना

कई अधिकारियों और निजी ऑपरेटरों को शामिल करने वाली परमाणु आपात स्थितियों के दौरान समन्वय के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल।

मज़बूत अपशिष्ट प्रबंधन और डीकमीशनिंग मानदंड

लंबे समय तक रेडियोधर्मी कचरे के निपटान और संयंत्र को बंद करने के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित, लागू करने योग्य ढाँचे।

नए पायलट सुरक्षा नियमों तथा अन्य कारणों से भारत में इंडिगो की उड़ानों में बड़ी रुकावटें कैसे आईं: जाने विस्तार से

दिसंबर 2025 में, भारत की सबसे बिज़ी एयरलाइन, इंडिगो को अपने इतिहास के सबसे बड़े ऑपरेशनल संकटों में से एक का सामना करना पड़ा, जिसमें देश भर में सैकड़ों - और यहाँ तक कि हजारों - उड़ानें कैंसिल, लेट और बाधित हुईं। इसने एविएशन सेक्टर को हिला दिया, यात्रियों को एयरपोर्ट पर फंसा दिया, और एयरलाइन सुरक्षा नियमों, स्टाफिंग प्लानिंग और पायलट नियमों में बदलाव को कैसे संभाला गया, इस पर सवाल उठाए।

यह समझने के लिए कि क्या हुआ, हमें इसे तीन मुख्य हिस्सों में बाँटने की ज़रूरत है:

1. नए पायलट सुरक्षा नियम असल में क्या हैं,
2. खास तौर पर इंडिगो पर इतना बुरा असर क्यों पड़ा,
3. नियमों के अलावा दूसरे योगदान देने वाले कारण, प्रतिक्रियाएँ, अस्थायी समाधान, और आगे क्या होगा।

1. नए पायलट सुरक्षा नियम क्या हैं?

भारत के एविएशन रेगुलेटर - डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) - ने इस बारे में नियम अपडेट किए हैं कि पायलट कितनी देर तक उड़ान भर सकते हैं, उन्हें कितना आराम चाहिए, और रात की उड़ान किसे माना जाएगा। इन नियमों को सामूहिक रूप से फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) के नाम से जाना जाता है।

जाने क्या बदला और क्यों:

मुख्य सुरक्षा बदलाव

- साप्ताहिक आराम में वृद्धि: पायलटों को अब हर हफ़्ते कम से कम 48 लगातार घंटे का आराम मिलना चाहिए (पहले 36 घंटे था)। इससे पायलटों को थकान से उबरने के लिए ज़्यादा समय मिलता है।
- रात की उड़ान की परिभाषा का विस्तार: रात का समय अब आधी रात से सुबह 6 बजे तक गिना जाएगा, न कि आधी रात से सुबह 5 बजे तक। इससे थकान वाले घंटों में ज़्यादा उड़ानें शामिल होती हैं।
- रात की लैंडिंग कम: पायलटों को अब आधी रात और सुबह के बीच प्रति रोस्टर अवधि में केवल दो लैंडिंग की अनुमति है (पहले छह थीं)। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि रात की लैंडिंग ज़्यादा थकाने वाली होती हैं।
- ड्यूटी टाइम कैप: पायलट रात में होने वाली उड़ानों में 10 घंटे से ज़्यादा उड़ान नहीं भर सकते।
- आराम के नियम छुट्टी से जुड़े: पायलट अब साप्ताहिक आराम नियम के तहत ज़रूरी आराम के हिस्से के रूप में पर्सनल छुट्टी को नहीं गिन सकते।
- थकान रिपोर्ट: एयरलाइंस को पायलट थकान प्रबंधन कार्यों के बारे में DGCA को नियमित रिपोर्ट जमा करनी होगी।

नियमों का उद्देश्य

FDTL नियमों का मुख्य लक्ष्य पायलटों की थकान को कम करना है - थके हुए पायलट खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि थकान से फैसले लेने और रिएक्शन टाइम पर असर पड़ता है। DGCA ने नियमों को सख्त करने से पहले ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड और थकान के डेटा का अध्ययन किया।

नियम कैसे लागू किए गए

- FDTL में बदलाव अचानक नहीं हुए थे। इन्हें सबसे पहले 2024 की शुरुआत में प्रस्तावित किया गया था, और DGCA ने इन्हें दो चरणों में लागू किया:
- पहला चरण 1 जुलाई, 2025 को शुरू हुआ - इसमें हफ्ते में ज़्यादा आराम का नियम लागू किया गया।
- दूसरा चरण 1 नवंबर, 2025 को लागू हुआ - इसमें रात की उड़ानों की सख्त सीमाएं और नियमों के अन्य हिस्से शामिल थे।
- इस चरणबद्ध तरीके का मकसद एयरलाइंस को एडजस्ट करने का समय देना था।

2. इंडिगो पर इतना बुरा असर क्यों पड़ा?

सभी भारतीय एयरलाइंस को पायलट सुरक्षा के उन्हीं नियमों का पालन करना होता है। लेकिन इंडिगो - सबसे बड़ी एयरलाइन होने के नाते - पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा। इसके कारण ये हैं:

- बहुत बड़ा ऑपरेशन और कम बफर रिसोर्स: इंडिगो रोज़ाना 2,200 से ज़्यादा उड़ानें ऑपरेट करती है, जो किसी भी दूसरी भारतीय एयरलाइन से कहीं ज़्यादा है। क्योंकि इसका नेटवर्क बहुत बड़ा है, इसलिए छोटी-मोटी समस्याओं का भी कई उड़ानों पर असर पड़ता है।
- कम क्रू प्लानिंग: अतिरिक्त पायलटों को बैकअप के तौर पर रखने के बजाय, इंडिगो कथित तौर पर बहुत कम स्टाफिंग मॉडल पर काम कर रही थी। इसका मतलब था कि नए नियम लागू होने के बाद क्रू की उपलब्धता में बहुत कम गुंजाइश थी - पायलटों को पहले की तरह लचीले ढंग से शेड्यूल नहीं किया जा सकता था।
- सबसे ज़्यादा ज़रूरत के समय पायलटों की कमी: हफ्ते में आराम की ज़रूरत बढ़ने और रात की लैंडिंग पर रोक लगने से, कई पायलट अतिरिक्त उड़ान भरने के लिए उपलब्ध नहीं थे (भले ही वे चाहते हों)। इंडिगो ने इन नई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तेज़ी से अतिरिक्त पायलटों की भर्ती या

शेड्यूलिंग नहीं की। इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि एयरलाइंस को तैयारी के लिए एक साल से ज़्यादा का समय मिला था, लेकिन इंडिगो की प्लानिंग इन बदलावों के हिसाब से नहीं थी।

3. सुरक्षा नियमों के अलावा अन्य योगदान देने वाले कारक

- हालांकि पायलट सुरक्षा नियम एक बड़ा कारण थे, लेकिन वे कैंसलेशन और देरी का एकमात्र कारण नहीं थे।
- सर्दियों का मौसम और कोहरा: उत्तरी भारत में अक्सर सर्दियों में कोहरा पड़ता है। इससे दिल्ली जैसे एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिससे फ्लाइट ऑपरेशन धीमे हो जाते हैं और भीड़भाड़ हो जाती है।
- टेक्निकल दिक्कतें: इंडिगो को कुछ एयरपोर्ट पर कंप्यूटर सिस्टम की समस्याओं का भी सामना करना पड़ा, जिससे डिपार्चर धीमे हो गए और देरी हुई जो पूरे नेटवर्क में फैल गई।
- एयरपोर्ट पर भारी ट्रैफिक: छुट्टियों के पीक ट्रैवल सीज़न के दौरान, एयरपोर्ट सामान्य से ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। इसका मतलब है कि छोटी-मोटी देरी या कैंसलेशन भी तेज़ी से बढ़ सकते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर रुकावट आ सकती है।
- तेज़ शेड्यूल ग्रोथ: इंडिगो ने अपने सर्दियों के मौसम के फ्लाइंग शेड्यूल का विस्तार किया - जिसका मतलब है कि देरी से रिकवरी धीमी होगी और मौके पर क्रू रोस्टर को एडजस्ट करने की क्षमता कम होगी।

4. जब अफरा-तफरी मची तो क्या हुआ?

- बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द: अकेले दिसंबर की शुरुआत में, देश भर में हजारों उड़ानें रद्द कर दी गईं क्योंकि क्रू कानूनी ड्यूटी की सीमा तक पहुंच गए थे और कोई रिप्लेसमेंट क्रू उपलब्ध नहीं था। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई जैसे ज़्यादातर बड़े एयरपोर्ट प्रभावित हुए। कई बार, समय पर उड़ानों का प्रदर्शन बहुत कम हो गया - कुछ एयरपोर्ट पर 10% से भी कम उड़ानें समय पर थीं।
- यात्री फंसे: लाखों यात्रियों को लंबी कतारों, देरी और अनिश्चितता का सामना करना पड़ा क्योंकि उड़ानें अचानक रद्द या रीशेड्यूल कर दी गईं। कुछ यात्रियों को दूसरे प्लान बनाने पड़े, दूसरी एयरलाइंस पर ज़्यादा किराया देना पड़ा, या रात भर इंतज़ार करना पड़ा।
- पायलटों और यात्रियों की आलोचना: पायलट ग्रुप्स ने इंडिगो की आलोचना की कि उसने पर्याप्त स्टाफ हायर नहीं किया और कहा कि एयरलाइन की कम मैनपावर की रणनीति ही इसके लिए ज़िम्मेदार थी। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि इस गड़बड़ी का इस्तेमाल सुरक्षा नियमों को कमज़ोर करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जबकि दूसरों ने प्लानिंग में खराब निगरानी के लिए DGCA को दोषी ठहराया।

सरकार और DGCA का जवाब

- DGCA ने 10 फरवरी, 2026 तक इंडिगो के लिए कुछ नियमों में अस्थायी रूप से ढील दी। इसमें सख्त नाइट लैंडिंग लिमिट में ढील देना और पर्सनल लीव को फिर से आराम के समय में गिनने की अनुमति देना शामिल था - लेकिन सिर्फ़ अस्थायी रूप से।
- DGCA ने इंडिगो के ऑफिस में इंस्पेक्टर भी भेजे ताकि एयरलाइन के ऑपरेशन को स्थिर करने के लिए रोज़ाना ऑपरेशन और क्रू प्लानिंग की निगरानी की जा सके।
- रेगुलेटर्स ने इंडिगो से कहा कि वह अपने विंटर शेड्यूल में लगभग 5% की कटौती करे और शेड्यूलिंग को ज़्यादा मैनेज करने लायक बनाने के लिए एक संशोधित फ्लाइट प्लान सबमिट करे।
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यह पता लगाने के लिए एक उच्च-स्तरीय जांच का आदेश दिया कि क्या गलत हुआ।

5. आगे क्या होगा?

- ऑपरेशंस को स्थिर करना: इंडिगो का कहना है कि वह 10 फरवरी, 2026 तक स्टेबल ऑपरेशंस को फिर से शुरू करने की योजना बना रही है, जब FDTL नियमों का पूरी तरह से पालन फिर से शुरू होने की उम्मीद है।
- और पायलटों को हायर करना: एयरलाइन से उम्मीद है कि वह पायलटों की हायरिंग में तेज़ी लाएगी और सुरक्षा नियमों को पूरा करने और भविष्य में होने वाली रुकावटों से बचने के लिए क्रू रोस्टर को एडजस्ट करेगी।
- आगे बेहतर प्लानिंग: कई एविएशन एक्सपर्ट्स अब तर्क दे रहे हैं कि बेहतर प्लानिंग, ज़्यादा बफर स्टाफिंग, और फ्लेक्सिबल क्रू शेड्यूलिंग की ज़रूरत पूरे इंडस्ट्री में होगी — सिर्फ़ इंडिगो में नहीं — खासकर पीक ट्रैवल सीज़न के दौरान।

आगे का रास्ता:

- और पायलटों को हायर करें और बफर बनाएं: एयरलाइंस को एक बड़ा स्टैंडबाय पायलट पूल बनाना चाहिए ताकि नए नियम या रुकावटें शेड्यूल को खराब न करें।
- स्मार्ट रोस्टरिंग सिस्टम का इस्तेमाल करें: एडवांस्ड डिजिटल टूल्स को थकान का अनुमान लगाना चाहिए, ड्यूटी के घंटों को बैलेंस करना चाहिए, और आखिरी समय में क्रू की कमी से बचना चाहिए।
- बेहतर DGCA-एयरलाइन कोऑर्डिनेशन: भविष्य में नियमों में बदलाव में अचानक होने वाली अराजकता को रोकने के लिए संयुक्त प्लानिंग, प्रभाव मूल्यांकन और चरणबद्ध परीक्षण शामिल होने चाहिए।
- यात्रियों के लिए स्पष्ट आकस्मिक योजनाएं: रुकावटों के दौरान ऑटोमैटिक रीबुकिंग, शुरुआती SMS अलर्ट और ऑन-ग्राउंड सपोर्ट स्टैंडर्ड होने चाहिए।
- एयरपोर्ट और एयर-ट्रैफिक क्षमता में सुधार करें: बेहतर कोहरे से निपटने वाले सिस्टम, ज़्यादा नाइट रनवे क्षमता और सख्त स्लॉट मैनेजमेंट से लगातार होने वाली देरी कम होगी।
- सुरक्षा संस्कृति को मज़बूत करें: ज़्यादा से ज़्यादा उड़ानें भरने के लिए टाइट रोस्टर पर ज़ोर देने के बजाय पायलट के आराम और थकान की रिपोर्टिंग को प्राथमिकता दें।

भारत का नया SIM बाइंडिंग नियम: WhatsApp, Telegram और दूसरे ऐप्स के लिए इसका क्या मतलब है?

भारत सरकार ने एक नया नियम पेश किया है जो आपके फ़ोन पर WhatsApp, Telegram, Signal और दूसरे मैसेजिंग ऐप्स के काम करने के तरीके को बदल देगा। यह नियम — जिसे SIM बाइंडिंग कहा जाता है — भारत में साइबर धोखाधड़ी और मैसेजिंग सेवाओं के गलत इस्तेमाल को कम करने के बड़े प्रयासों का हिस्सा है।

SIM बाइंडिंग क्या है?

SIM बाइंडिंग का मतलब है कि एक मैसेजिंग ऐप को लगातार यह चेक करना होगा कि आपके अकाउंट को रजिस्टर करने के लिए इस्तेमाल किया गया वही SIM कार्ड अभी भी आपके फ़ोन में मौजूद है। नए नियम के तहत:

- अगर रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया गया SIM कार्ड हटा दिया जाता है, बदल दिया जाता है, या इनएक्टिव हो जाता है, तो ऐप काम करना बंद कर सकता है।
- यह न सिर्फ़ फ़ोन ऐप पर बल्कि WhatsApp Web जैसी सेवाओं पर भी लागू होता है — यानी वेब या डेस्कटॉप वर्शन पर।
- अभी, जब आप WhatsApp या Telegram पर रजिस्टर करते हैं, तो ऐप आपके फ़ोन नंबर को सिर्फ़ एक बार OTP (वन-टाइम पासवर्ड) का इस्तेमाल करके चेक करता है। उसके बाद, आप ऐप का इस्तेमाल तब भी कर सकते हैं, जब डिवाइस में SIM मौजूद न हो। नया नियम इसे बदल देगा।

कौन से ऐप्स प्रभावित होंगे?

यह नियम उन मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म की एक बड़ी रेंज पर लागू होता है जो पहचान के लिए मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें शामिल हैं:

- WhatsApp, Signal, Telegram, Snapchat, ShareChat, JioChat, Arattai, Josh, और दूसरे।
- इन सभी ऐप्स को सरकार के निर्देश के 90 दिनों के अंदर SIM बाइंडिंग लागू करनी होगी — शायद 2026 की शुरुआत तक।

यूज़र्स के लिए क्या बदलेगा?

1. SIM के बिना ऐप बंद हो जाएगा

इस नियम के लागू होने के बाद, अगर आपके फ़ोन में SIM कार्ड नहीं है तो आपका मैसेजिंग ऐप काम करना बंद कर सकता है — भले ही आप Wi-Fi का इस्तेमाल कर रहे हों। इसलिए आप उस SIM कार्ड के बिना WhatsApp या Telegram का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जिसका इस्तेमाल आपका नंबर रजिस्टर करने के लिए किया गया था।

2. WhatsApp वेब से लॉग आउट

WhatsApp वेब और मैसेजिंग ऐप्स के ऐसे ही वेब वर्जन के लिए, एक बड़ा बदलाव है:

- आपको हर छह घंटे में अपने आप लॉग आउट कर दिया जाएगा।
- फिर से लॉग इन करने के लिए, आपको अपने फ़ोन का इस्तेमाल करके QR कोड को फिर से स्कैन करना होगा।
- ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐप को यह पक्का करना होगा कि आपका SIM कार्ड अभी भी मौजूद और एक्टिव है।

सरकार ऐसा क्यों कर रही है?

डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकम्युनिकेशंस (DoT) का कहना है कि यह नियम इसलिए है:

- साइबर फ्रॉड और स्कैम को कम करने के लिए।
- अपराधियों को डीएक्टिवेटेड नंबर या SIM कार्ड के बिना मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल करने से रोकना, जिससे उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाए।
- डिजिटल कम्युनिकेशन की सुरक्षा और ट्रेसबिलिटी को बेहतर बनाना।
- DoT का मानना है कि आपके मैसेजिंग अकाउंट को आपके SIM कार्ड से जोड़ने से, धोखेबाजों – जो अक्सर देश के बाहर से काम करते हैं – के लिए बिना ट्रैक हुए अकाउंट का गलत इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है।
- एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन-आइडिया जैसी टेलीकॉम कंपनियों ने इस नियम का समर्थन किया है, यह कहते हुए कि यह प्राइवेसी को नुकसान पहुंचाए बिना सुरक्षा को मजबूत करता है। वे इसकी तुलना दूसरे सुरक्षित सिस्टम से भी करते हैं जहाँ रेगुलर वेरिफिकेशन आम बात है।

चिंताएँ और आलोचना

हर कोई इस नियम से सहमत नहीं है। कुछ आलोचकों और प्राइवेसी के पैरोकारों का तर्क है कि:

- यह उन यूज़र्स के लिए असुविधाजनक हो सकता है जो टैबलेट या लैपटॉप जैसे बिना SIM कार्ड वाले डिवाइस पर मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं।
- यह उन लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है जो अक्सर डिवाइस बदलते हैं या विदेश यात्रा करते हैं।
- यूज़र की प्राइवेसी और फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में चिंताएँ हैं, खासकर मल्टी-डिवाइस इस्तेमाल के लिए।

संक्षेप में

- नए SIM-बाइंडिंग नियम का मतलब है:
- मैसेजिंग ऐप्स को यह चेक करना होगा कि आपका रजिस्टर्ड SIM अभी भी आपके फ़ोन में है।
- SIM के बिना ऐप्स काम करना बंद कर सकते हैं।
- WhatsApp वेब हर छह घंटे में लॉग आउट कर देगा।
- सभी प्रभावित ऐप्स को 90 दिनों के अंदर इसका पालन करना होगा।
- इस नियम का मकसद फ्रॉड को कम करना है लेकिन इससे कई यूज़र्स को असुविधा हो सकती है।

हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, 2025 क्या है? जाने विस्तार से

हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, 2025 भारतीय संसद द्वारा पास किया गया एक नया कानून है जो सरकार को

कुछ खास प्रोडक्ट्स, मुख्य रूप से पान मसाला - एक बड़े पैमाने पर बिकने वाला चबाने वाला तंबाकू प्रोडक्ट - के मैन्युफैक्चरिंग पर एक स्पेशल सेस (एक तरह का टैक्स) लगाने की इजाज़त देता है। इससे इकट्ठा किया गया पैसा पब्लिक हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी की ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

यह बिल ऐसे समय में आया है जब भारत तंबाकू और पान मसाला जैसे प्रोडक्ट्स पर अपने टैक्स स्ट्रक्चर को फिर से ऑर्गनाइज़ कर रहा है क्योंकि कंपनसेशन सेस - GST सिस्टम के तहत पहले लगाया गया एक टेम्पररी टैक्स - खत्म होने वाला है। सरकार यह पक्का करना चाहती थी कि रेवेन्यू का अचानक नुकसान न हो, खासकर हेल्थ और डिफेंस जैसे ज़रूरी सेक्टर्स के लिए।

इस बिल की ज़रूरत क्यों पड़ी?

- जब भारत ने 2017 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लागू किया, तो राज्यों को रेवेन्यू की कमी को पूरा करने के लिए "सिन गुड्स" - हेल्थ के लिए नुकसानदायक प्रोडक्ट्स जैसे तंबाकू, पान मसाला, एरेटेड ड्रिंक्स और लग्ज़री आइटम - पर एक कंपनसेशन सेस भी जोड़ा गया था।
- यह टैक्स टेम्पररी था और इसे कई बार बढ़ाया गया। यह 31 मार्च, 2026 तक खत्म होने वाला है, जिसका मतलब था कि इन प्रोडक्ट्स से होने वाला रेवेन्यू कम हो सकता था। इससे बचने के लिए, सरकार ने दो नए कदम उठाए:
- एक अलग कानून के तहत तंबाकू प्रोडक्ट्स पर एक नई एक्साइज ड्यूटी,
- पान मसाला और भविष्य में संभावित अन्य सामानों पर हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस।
- नया बिल यह पक्का करता है कि इन नुकसानदायक सामानों पर टैक्स का बोझ ज़्यादा रहे, जिससे इनका इस्तेमाल कम हो और साथ ही हेल्थ से जुड़ी पहलों और नेशनल सिक्योरिटी के लिए फंड का एक रेगुलर सोर्स भी बना रहे।

बिल के मुख्य हिस्से

1. शामिल सामान: यह बिल शुरू में पान मसाला पर लागू होता है, लेकिन सरकार के पास बाद में नोटिफिकेशन के ज़रिए इसी तरह के अन्य सामानों को शामिल करने की पावर है।

2. सेस की कैलकुलेशन कैसे होती है: नॉर्मल टैक्स के उलट जो इस बात पर आधारित होते हैं कि कोई प्रोडक्ट कितना बेचा जाता है, यह सेस मैन्युफैक्चरर्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मशीनों या प्रोसेस की प्रोडक्शन कैपेसिटी पर आधारित है - इसका मतलब है कि ज़्यादा कैपेसिटी वाली कंपनी ज़्यादा पेमेंट करेगी।

3. टैक्स देने वाले लोग: कोई भी व्यक्ति जो बताए गए सामानों के मैन्युफैक्चरिंग वाली मशीनों या प्रोसेस का मालिक है, उन्हें चलाता है या कंट्रोल करता है, वह सेस का पेमेंट करने के लिए ज़िम्मेदार है।

4. रेवेन्यू का इस्तेमाल

सेस से इकट्ठा किया गया पैसा भारत के कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा और इसका इस्तेमाल इन चीज़ों के लिए किया जाएगा: पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, और नेशनल सिक्योरिटी की ज़रूरतें - जैसे डिफेंस खर्च। राजस्व का कुछ हिस्सा स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं को सपोर्ट करने के लिए राज्य सरकारों के साथ भी शेयर किया जाएगा।

5. प्रवर्तन और अनुपालन

यह बिल एक सिस्टम बनाता है जिसके तहत:
मैन्युफैक्चरर्स द्वारा रजिस्ट्रेशन और सेल्फ-डिक्लेरेशन,
मॉनिटरिंग और ऑडिट,
टैक्स चोरी या झूठे रिकॉर्ड के लिए जुर्माना और मुकदमा,
एक मल्टी-टियर अपील प्रक्रिया ताकि विवादों को कानूनी रूप से चुनौती दी जा सके।

लागू करना और टाइमलाइन

- यह बिल दिसंबर 2025 की शुरुआत में लोकसभा में पेश किया गया और तुरंत पास हो गया।
- इसके बाद इसे राज्यसभा ने पास किया और लोकसभा को वापस भेज दिया, जो संसद की मंज़ूरी को दिखाता है।
- एक बार अंतिम प्रक्रियाएं पूरी हो जाने के बाद, सेस लागू होना शुरू हो जाएगा, खासकर जब मार्च 2026 तक GST कंपनसेशन सेस खत्म हो जाएगा।

परिणाम और प्रभाव

1. राजस्व स्थिरता: सरकार को स्वास्थ्य कार्यक्रमों और रक्षा के लिए फंड का एक स्थिर प्रवाह मिलने की उम्मीद है। राज्यों के साथ राजस्व साझा करने का लक्ष्य सहकारी संघवाद को भी मजबूत करना है।

2. स्वास्थ्य और व्यवहार: टैक्स के ज़रिए पान मसाले की कीमतें ज़्यादा रखकर, सरकार को उम्मीद है कि स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े उत्पादों की खपत कम होगी।

3. राजनीतिक और सार्वजनिक प्रतिक्रिया: जबकि कई सांसदों ने इस बिल को एक ज़िम्मेदार वित्तीय उपाय के रूप में समर्थन दिया, कुछ विपक्षी आवाज़ों ने इसके शीर्षक और संघीय प्रभाव के बारे में चिंता जताई और गहरी जांच की मांग की।

संक्षेप में

हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, 2025 एक नया टैक्स कानून है जिसका मकसद पान मसाले जैसे हानिकारक उत्पादों पर ज़्यादा टैक्स बनाए रखना, सार्वजनिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए स्थिर राजस्व सुनिश्चित करना और GST कंपनसेशन सेस के खत्म होने से होने वाले राजस्व के नुकसान की भरपाई करना है। यह उत्पादन-आधारित लेवी पेश करता है, इसमें एक संरचित अनुपालन प्रणाली शामिल है, और खराब उत्पादों की खपत को रोकने के साथ-साथ राज्यों के साथ राजस्व साझा करने की अनुमति देता है।

तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल: एक ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट केस के बारे में जाने विस्तार से

तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि के कामों को चुनौती देने के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, यह कहते हुए कि उन्होंने लोगों और चुनी हुई सरकार के लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ काम किया

है। यह विवाद राज्य विधायिका द्वारा पारित बिलों की मंजूरी और क्लियरेंस को लेकर राज्य कार्यपालिका और राज्यपाल के बीच लंबे समय से चल रहे टकराव का हिस्सा है।

टकराव की शुरुआत कैसे हुई?

2023 और उसके बाद, तमिलनाडु विधानसभा ने शासन, विश्वविद्यालय प्रशासन और अन्य प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिल पारित किए। उन्हें मंजूरी देने के बजाय, राज्यपाल ने इनमें से 10 बिलों को मंजूरी नहीं दी और कुछ बिलों को विचार के लिए भारत के राष्ट्रपति के पास भेज दिया।

भारतीय संविधान के तहत, जब कोई राज्य विधायिका कोई बिल पास करती है, तो राज्यपाल के पास आमतौर पर कुछ विकल्प होते हैं:

- उसे कानून बनाने के लिए अपनी मंजूरी देना,
- मंजूरी रोक देना और पुनर्विचार के लिए वापस भेजना, या
- कुछ खास स्थितियों में राष्ट्रपति के विचार के लिए उसे सुरक्षित रखना।
- लेकिन इस मामले में, राज्यपाल ने बिना किसी उचित कारण के लंबे समय तक - कुछ मामलों में सालों तक - मंजूरी रोक दी और फिर संविधान के अनुसार बिलों को पहले विधानसभा को वापस भेजे बिना उन्हें राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख लिया।
- तमिलनाडु सरकार ने तर्क दिया कि यह जानबूझकर की गई देरी और राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना असंवैधानिक था और इसने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा डाली। इसलिए, उसने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें अदालत से हस्तक्षेप करने और राज्य के विधायी अधिकारों की रक्षा करने का आग्रह किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया

अप्रैल 2025 में, सुप्रीम कोर्ट की दो-जजों की बेंच ने इस मामले पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि गवर्नर के काम "अवैध और गलत" थे और उन्होंने संवैधानिक नियमों का उल्लंघन किया।

सुप्रीम कोर्ट ने इन मुख्य बातों पर ज़ोर दिया:

- एक गवर्नर किसी बिल पर अनिश्चित काल तक नहीं बैठ सकता या उसे रोकने के लिए जानबूझकर अपने फैसले में देरी नहीं कर सकता।
- अगर किसी बिल में कोई दिक्कत है, तो गवर्नर को या तो मंज़ूरी देनी होगी, या उसे रोककर पुनर्विचार के लिए वापस भेजना होगा, या सीधे संवैधानिक आधार पर राष्ट्रपति के विचार के लिए रिज़र्व करना होगा।
- कोर्ट ने कहा कि इस मामले में, गवर्नर का बिलों पर कार्रवाई करने से इनकार करना - भले ही उन्हें विधानसभा ने फिर से पास कर दिया था - संविधान के खिलाफ था।
- अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि 10 बिलों को उस तारीख से गवर्नर की मंज़ूरी मिली हुई माना जाएगा, जिस तारीख को उन्हें दोबारा उनके सामने पेश किया गया था। इससे वे गवर्नर के हस्ताक्षर के बिना ही कानून बन गए।

यह मामला क्यों मायने रखता है

यह मामला सिर्फ तमिलनाडु के बारे में नहीं है। यह भारत में संघवाद और राज्य की स्वायत्तता के बारे में महत्वपूर्ण संवैधानिक सवाल उठाता है। तमिलनाडु सरकार ने तर्क दिया कि जब गवर्नर - एक गैर-चुना हुआ अधिकारी - चुनी हुई विधायिका द्वारा पास किए गए बिलों को रोकता है, तो यह लोगों के जनादेश को कमजोर करता है और लोकतांत्रिक शासन को बाधित करता है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं घटनाएँ

भारत ICAO परिषद में मज़बूत जनादेश के साथ फिर से चुना गया

भारत को इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन (ICAO) परिषद में 2025-2028 के कार्यकाल के लिए सबसे ज़्यादा वोटों के साथ फिर से चुना गया है, जो वैश्विक नागरिक उड्डयन शासन में भारत की भूमिका में मज़बूत अंतरराष्ट्रीय समर्थन और विश्वास को दिखाता है। यह चुनाव कनाडा के मॉन्ट्रियल में 42वें ICAO असेंबली सत्र के दौरान हुआ, और भारत को पिछले चुनाव की तुलना में ज़्यादा वोट मिले, जो नागरिक उड्डयन मामलों में इसके बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करता है।

ICAO और इसकी परिषद क्या है?

- इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन (ICAO) संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, जिसे सुरक्षित, संरक्षित और टिकाऊ अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन को बढ़ावा देने के लिए 1944 में शिकागो कन्वेंशन के तहत स्थापित किया गया था।
- ICAO विमानन सुरक्षा, संरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाने के लिए मानक और अनुशंसित प्रथाएं (SARPs) विकसित करता है।
- ICAO परिषद स्थायी कार्यकारी निकाय है जो SARPs को अपनाने, अंतरराष्ट्रीय विमानन नीतियों को बनाने और वैश्विक नागरिक उड्डयन सहयोग का मार्गदर्शन करने के लिए ज़िम्मेदार है।
- परिषद में 36 सदस्य देश होते हैं जिन्हें ICAO असेंबली द्वारा तीन साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है।

भारत के फिर से चुने जाने का विवरण

- भारत को ICAO परिषद के भाग II के तहत फिर से चुना गया, जिसमें वे देश शामिल हैं जो अंतरराष्ट्रीय नागरिक हवाई नेविगेशन में सबसे बड़ा योगदान देते हैं।
- यह चुनाव सितंबर 2025 में मॉन्ट्रियल में ICAO असेंबली के दौरान हुआ था।
- भारत को 2022 के चुनाव की तुलना में ज़्यादा वोट मिले, जो इसके विमानन नेतृत्व में मज़बूत वैश्विक विश्वास को दर्शाता है।
- भारत 1944 से ICAO का संस्थापक सदस्य रहा है और परिषद में इसकी उपस्थिति लगातार बनी हुई है।

शिकागो कन्वेंशन

- औपचारिक रूप से इसे कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन के नाम से जाना जाता है, जिस पर 1944 में 52 देशों ने सुरक्षित और व्यवस्थित अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन को बढ़ावा देने के लिए हस्ताक्षर किए थे।
- इसने ICAO की स्थापना की और वैश्विक नागरिक उड्डयन समझौतों के लिए ढांचा तैयार किया।

ICAO मानकों की भूमिका

- ICAO के SARPs सदस्य देशों में विमानन सुरक्षा, संरक्षा और पर्यावरण प्रोटोकॉल में सामंजस्य स्थापित करते हैं।
- SARPs में एयरवर्थनेस, उड़ान संचालन, हवाई यातायात सेवाएं, हवाई अड्डे और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

भारत का नागरिक उड्डयन संदर्भ

- भारत विश्व स्तर पर सबसे बड़े और सबसे तेज़ी से बढ़ते घरेलू विमानन बाज़ारों में से एक है। • UDAN (रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम) जैसी सरकारी पहल छोटे शहरों से कनेक्टिविटी बढ़ाती हैं और आर्थिक विकास को बढ़ावा देती हैं।
- भारत ICAO फ्रेमवर्क के अनुसार ग्रीन एविएशन तरीकों को बढ़ावा दे रहा है।

नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन ने सभी कांसुलर सेवाएं सस्पेंड कीं

नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन ने अस्थायी रूप से सभी कांसुलर सेवाएं सस्पेंड कर दी हैं, जिससे वीज़ा जारी करने, पासपोर्ट रिन्यूअल, अटेस्टेशन और इमिग्रेशन क्लीयरेंस जैसी सेवाएं प्रभावित होंगी। यह सस्पेंशन कुछ खास प्रशासनिक या ऑपरेशनल कारणों से हुआ है और इसका असर भारत आने वाले या रहने वाले यात्रियों, छात्रों, श्रमिकों और प्रवासियों पर पड़ेगा।

कांसुलर सेवाओं के बारे में

कांसुलर सेवाएं किसी देश के विदेश में स्थित राजनयिक मिशन द्वारा अपने नागरिकों की सहायता करने और यात्रा, कानूनी प्रक्रियाओं और दस्तावेज़ीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए किए जाने वाले आधिकारिक कार्य हैं। मुख्य कांसुलर सेवाओं में शामिल हैं:

- वीज़ा जारी करना और रिन्यूअल
- पासपोर्ट जारी करना और रिन्यूअल
- नागरिक और शैक्षिक दस्तावेजों का अटेस्टेशन और प्रमाणीकरण
- आपात स्थिति में कांसुलर सहायता
- समझौतों और हलफनामों का नोटरीकरण
- संकट में फंसे नागरिकों को सहायता

पृष्ठभूमि: भारत-बांग्लादेश संबंध

- भारत और बांग्लादेश के बीच घनिष्ठ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक संबंध हैं:
- भारत 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के बाद उसे मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था।
- भारत-बांग्लादेश मैत्री संधि (1972) ने द्विपक्षीय सहयोग की नींव रखी।
- दोनों देश 4,096 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, जिसमें भारत-बांग्लादेश सीमा बाड़ और बाड़ वाले एन्क्लेव शामिल हैं जिन्हें हाल के दशकों में सुलझाया गया है।

- सहयोग व्यापार, जल बंटवारे, कनेक्टिविटी, सुरक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों तक फैला हुआ है।

ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने बोंडी बीच हमले के बाद नेशनल गन बायबैक स्कीम की घोषणा की

प्रधान मंत्री एंथनी अल्बनीज़ के नेतृत्व वाली ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने सिडनी में बोंडी बीच पर हुई सामूहिक गोलीबारी के बाद एक नेशनल गन बायबैक स्कीम की घोषणा की है, जिसमें हनुक्का उत्सव के दौरान कम से कम 15 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। इस स्कीम का मकसद सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने और भविष्य में बंदूक हिंसा को रोकने के लिए अतिरिक्त, नए बैन किए गए और अवैध हथियारों को खरीदना और नष्ट करना है। इस कार्यक्रम को 1996 के पोर्ट आर्थर नरसंहार सुधारों के बाद ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा गन बायबैक प्रयास माना जा रहा है और इसे संघीय और राज्य/क्षेत्रीय सरकारों के बीच कोऑर्डिनेट किया जाएगा। यह हथियार कानूनों को सख्त करने, लाइसेंसिंग में सुधार करने और राष्ट्रीय हथियार विनियमन को मजबूत करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।

1. बोंडी बीच हमले की पृष्ठभूमि

यह हमला हनुक्का उत्सव के दौरान हुआ, जिसके परिणामस्वरूप कई लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए। इसने मौजूदा बंदूक कानूनों में कमियों को उजागर किया, क्योंकि एक शूटर के पास कानूनी तौर पर कई हथियार थे।

2. गन बायबैक स्कीम

गन बायबैक स्कीम एक ऐसी पॉलिसी है जहां सरकार स्वेच्छा से सरेंडर किए गए हथियारों के लिए मुआवजा देती है। इसका मकसद नागरिकों के हाथों में बंदूकों की संख्या कम करना और अवैध या बैन हथियारों को हटाना है।

3. पोर्ट आर्थर नरसंहार और सुधार (1996)

1996 के पोर्ट आर्थर नरसंहार के कारण ऑस्ट्रेलिया में देशव्यापी बंदूक नियंत्रण सुधार हुए। सुधारों में एक राष्ट्रीय हथियार समझौता, सख्त लाइसेंसिंग, एक रजिस्ट्री और सेमी-ऑटोमैटिक और ऑटोमैटिक हथियारों की बड़े पैमाने पर बायबैक शामिल थी।

4. ऑस्ट्रेलियाई बंदूक कानून

ऑस्ट्रेलिया में पहले से ही सख्त हथियार नियम थे, जिसमें बैकग्राउंड चेक, सुरक्षित स्टोरेज और कुछ हथियारों पर सीमाएं शामिल थीं। राज्यों के बीच कमियों और विभिन्नताओं के कारण कुछ व्यक्तियों को कई हथियार जमा करने की अनुमति मिली।

5. राष्ट्रीय हथियार रजिस्टर और लाइसेंसिंग

सरकार सभी कानूनी रूप से रखे गए बंदूकों को ट्रैक करने के लिए एक राष्ट्रीय हथियार रजिस्टर स्थापित करने की योजना बना रही है। प्रस्तावित सुधारों में प्रति व्यक्ति हथियारों की संख्या सीमित करना, सख्त लाइसेंसिंग और संभवतः बंदूक रखने के लिए नागरिकता की आवश्यकता शामिल है।

6. सार्वजनिक सुरक्षा और घृणा अपराध

सरकार हमले के जवाब में घृणा अपराध कानूनों और घृणा विरोधी टास्क फोर्स पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है।

पीड़ितों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया गया है।

7. सार्वजनिक बहस

समर्थक बायबैक को हिंसा कम करने के साधन के रूप में देखते हैं, जबकि आलोचक इसकी प्रभावशीलता और उग्रवाद और मानसिक स्वास्थ्य जैसे मूल कारणों को संबोधित करने की आवश्यकता पर बहस करते हैं।

चक्रवात दितवाह के बाद IMF ने श्रीलंका के लिए इमरजेंसी मदद मंज़ूर की

इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने चक्रवात दितवाह के गंभीर असर के बाद श्रीलंका को 206 मिलियन अमेरिकी डॉलर की इमरजेंसी फाइनेंशियल मदद मंज़ूर की है। यह मदद रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट (RFI) के तहत दी गई है ताकि देश को प्राकृतिक आपदा के कारण बैलेंस-ऑफ-पेमेंट्स की ज़रूरी ज़रूरतों, मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिल सके। चक्रवात के कारण बड़े पैमाने पर बाढ़, भूस्खलन, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान, कृषि नुकसान और विस्थापन हुआ, जिससे श्रीलंका की पहले से ही कमज़ोर अर्थव्यवस्था पर और दबाव पड़ा।

IMF इमरजेंसी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में

रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट (RFI) IMF सदस्य देशों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे झटकों के कारण बैलेंस-ऑफ-पेमेंट्स की ज़रूरी ज़रूरतों का सामना करने पर तुरंत फाइनेंशियल मदद देता है। RFI में सीमित शर्तें होती हैं और यह लंबे समय के सुधारों के बजाय तत्काल राहत पर ध्यान केंद्रित करता है।

एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (EFF) संदर्भ

श्रीलंका IMF के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (EFF) कार्यक्रम के तहत है जिसका लक्ष्य राजकोषीय समेकन, ऋण स्थिरता और संरचनात्मक सुधार हैं। IMF आपदा सहायता EFF के तहत सुधार प्रतिबद्धताओं की जगह नहीं लेती है, बल्कि रिकवरी प्रयासों को पूरा करती है।

भारत को अमेरिका के नेतृत्व वाले 'पैक्स सिलिका' महत्वपूर्ण खनिज और प्रौद्योगिकी पहल से बाहर रखा गया

भारत को हाल ही में शुरू की गई अमेरिका के नेतृत्व वाली 'पैक्स सिलिका' पहल से बाहर रखा गया है, जो महत्वपूर्ण खनिजों, सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के उद्देश्य से एक रणनीतिक समूह है। यह पहल उच्च-प्रौद्योगिकी उत्पादन और खनिज प्रसंस्करण में मजबूत क्षमताओं वाले चुनिंदा देशों को एक साथ लाती है ताकि केंद्रित आपूर्ति स्रोतों, विशेष रूप से चीन पर रणनीतिक निर्भरता को कम किया जा सके। भारत-अमेरिका के बीच चल रहे व्यापार और प्रौद्योगिकी सहयोग के बावजूद, भारत शुरुआती प्रतिभागियों में शामिल नहीं था। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की अपेक्षाकृत

सीमित महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण क्षमता और उन्नत सेमीकंडक्टर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र इसके बाहर होने का कारण हो सकता है। हालांकि, घरेलू क्षमताओं को बढ़ाने के साथ भारत को बाद के चरण में शामिल किया जा सकता है। यह घटनाक्रम वैश्विक शक्ति राजनीति में भू-अर्थशास्त्र, आपूर्ति-श्रृंखला सुरक्षा और प्रौद्योगिकी गठबंधनों के बढ़ते महत्व को उजागर करता है।

अतिरिक्त मुख्य तथ्य

महत्वपूर्ण खनिज स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, ईवी और एआई प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक हैं। चीन दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और कई महत्वपूर्ण खनिजों के वैश्विक प्रसंस्करण पर हावी है, जिससे वैकल्पिक गठबंधनों को बढ़ावा मिल रहा है। अमेरिका और उसके सहयोगी प्रौद्योगिकी और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए "विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला ब्लॉक" बना रहे हैं। भारत ने अन्वेषण, प्रसंस्करण और वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन शुरू किया है। भारत खनिज सुरक्षा साझेदारी (MSP) का हिस्सा है, लेकिन कुछ नए प्रौद्योगिकी-केंद्रित ब्लॉकों से बाहर है। भारत की रणनीतिक स्वायत्तता के लिए खनिज शोधन और सेमीकंडक्टर निर्माण को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। यह मुद्दा GS-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) और GS-III (अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी) से संबंधित है।

ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत ने श्रीलंका को 700 टन राहत सामग्री भेजी

चक्रवात दितवाह के कारण श्रीलंका में आई भीषण बाढ़, भूस्खलन और बुनियादी ढांचे के विनाश के बाद देश की मदद के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत ने श्रीलंका को 700 टन मानवीय राहत सामग्री भेजी है। इस खेप के साथ, इस ऑपरेशन के तहत श्रीलंका को भारत की कुल सहायता 1,000 टन से अधिक हो गई है। राहत सामग्री में खाद्य आपूर्ति, टेंट, तिरपाल, दवाएं, स्वच्छता किट, जल-शुद्धिकरण उपकरण और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। भारत ने आपदा प्रभावित जिलों में कनेक्टिविटी बहाल करने में मदद के लिए NDRF टीमों, मेडिकल टीमों, इंजीनियरिंग सहायता इकाइयों और बचाव कर्मियों के साथ-साथ बेली ब्रिज के पुर्जे भी तैनात किए हैं। यह सहायता हिंद महासागर क्षेत्र में पहले प्रतिक्रिया देने वाले के रूप में कार्य करने की भारत की प्रतिबद्धता का हिस्सा है और यह इसकी 'पड़ोसी पहले' नीति को दर्शाती है।

ऑपरेशन सागर बंधु के बारे में

चक्रवात दितवाह के बाद श्रीलंका की सहायता के लिए नवंबर 2025 में भारत द्वारा शुरू किया गया। इस ऑपरेशन में राहत, बचाव, चिकित्सा सहायता, निकासी और बुनियादी ढांचे की बहाली शामिल है। भारतीय नौसेना, भारतीय वायु सेना, NDRF, मेडिकल टीमों और इंजीनियरिंग इकाइयों के समन्वित प्रयासों से संचालित।

चक्रवात दितवाह के बारे बारे में

एक गंभीर उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसके कारण:

- व्यापक बाढ़
- भूस्खलन
- सड़कों और पुलों का विनाश
- हजारों लोगों का विस्थापन
- प्रमुख प्रभावित क्षेत्रों में श्रीलंका के पूर्वी और दक्षिणी जिले शामिल हैं।

यह ऑपरेशन क्यों महत्वपूर्ण है

- भारत-श्रीलंका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करता है।
- क्षेत्रीय मानवीय नेता के रूप में भारत की भूमिका को बढ़ाता है।
- बहुआयामी आपदा प्रतिक्रिया देने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित करता है।
- हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग का समर्थन करता है।

संबंधित सरकारी योजनाएं और नीतियां

- पड़ोसी पहले नीति: पड़ोसी देशों को भारत की प्राथमिकता वाली सहायता। HADR (मानवीय सहायता और आपदा राहत): क्षेत्रीय आपदाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए भारत का सिद्धांत।
- सागर विजन (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास): भारत का समुद्री सहयोग ढांचा।

US ने 2026 G20 से साउथ अफ्रीका को हटा दिया, पोलैंड को शामिल होने के लिए इनवाइट किया

यूनाइटेड स्टेट्स, जिसने 1 दिसंबर को G20 की प्रेसीडेंसी संभाली थी, ने अनाउंस किया है कि साउथ अफ्रीका को मियामी में 2026 G20 लीडर्स समिट में इनवाइट नहीं किया जाएगा। वॉशिंगटन ने ANC की लीडरशिप वाली सरकार पर तोड़फोड़, US के प्रति दुश्मनी और ऐसे एजेंडा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जो फोरम के इकोनॉमिक फोकस को कमजोर करते हैं।

2026 प्रेसीडेंसी के लिए US की प्रायोरिटीज़

सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट मार्को रुबियो ने 2026 साइकिल के लिए वॉशिंगटन के विज़न को आउटलाइन किया, जिसमें कोर इकोनॉमिक थीम पर लौटने पर ज़ोर दिया गया:

- सेंट्रल फोकस के तौर पर इकोनॉमिक ग्रोथ
- इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, लगन
- रेगुलेटरी रुकावटों को हटाना
- अफोर्डेबल और रेसिलिएंट एनर्जी सप्लाई चेन को सिक्योर करना
- नई टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना

ये थीम अमेरिका की 250वीं एनिवर्सरी ईयर से अलाइन हैं, जिसे US अपनी G20 लीडरशिप के दौरान हाईलाइट करने का प्लान बना रहा है।

G20 इवेंट्स का शेड्यूल

- पहली शेरपा और फाइनेंस ट्रैक मीटिंग: 15-16 दिसंबर, 2026, वाशिंगटन में
- लीडर्स समिट: दिसंबर 2026, मियामी में

पोलैंड को बुलाया जाएगा

रूबियो ने कहा कि US "दोस्तों, पड़ोसियों और पार्टनर्स" को बुलाएगा, खासकर पोलैंड का नाम लेते हुए, जिसे अब दुनिया की 20 सबसे बड़ी इकॉनमी में से एक माना जाता है। उन्होंने पोलैंड के इकॉनमिक रिफॉर्म्स और फ्यूचर-ओरिएंटेड ग्रोथ ट्रैजेक्टरी की तारीफ की।

दक्षिण अफ्रीका की वाशिंगटन की आलोचना

रूबियो ने दक्षिण अफ्रीका की ANC के नेतृत्व वाली सरकार की डिटेल में आलोचना की, उस पर ये आरोप लगाए:

- मंडेला के बाद सुलह को छोड़ना
- इन्वेस्टमेंट को रोकने वाली रीडिस्ट्रिब्यूशनिस्ट पॉलिसी अपनाना
- प्राइवेट सेक्टर के परफॉर्मेंस में रुकावट डालने वाले रेशियल कोटा को बढ़ावा देना
- करप्शन को देश को कमजोर करने देना
- बड़ी इंडस्ट्रियल इकॉनमी के बीच अपनी जगह खोना

उन्होंने माइनॉरिटीज और US को टारगेट करने, अफ्रीकी लोगों के खिलाफ हिंसा को टॉलरेंस देने और ईरान जैसे दुश्मन देशों और हमास जैसे ग्रुप्स के साथ अलायंस का आरोप लगाया।

साउथ अफ्रीका की 2023 G20 प्रेसीडेंसी के बारे में आरोप

रूबियो ने साउथ अफ्रीका पर दावा किया:

- G20 की रेप्युटेशन को नुकसान पहुंचाया
- क्लाइमेट, डाइवर्सिटी और मदद पर "रेडिकल एजेंडा" को प्रायोरिटी दी
- US और दूसरे देशों के ऑब्जेक्शन को इग्नोर किया
- वॉशिंगटन के इनपुट को ब्लॉक किया
- बातचीत में शामिल US अधिकारियों को "डॉक्स" किया
- नतीजतन, उन्होंने कहा कि US "साउथ अफ्रीका की सरकार को इनविटेशन नहीं देगा," हालांकि वह साउथ अफ्रीका के लोगों का सपोर्ट करता है।

हिस्टोरिकल और इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट

G20, जिसे 1999 में बनाया गया था और 2008 में लीडर्स लेवल तक बढ़ाया गया था, एडवांस्ड और मेजर इमर्जिंग इकोनॉमी को मिलाता है जो ग्लोबल ग्रोथ को शेप देते हैं। US ने आखिरी बार 2009 में फाइनेंशियल क्राइसिस रिस्पॉन्स के दौरान पिट्सबर्ग में G20 होस्ट किया था।

G20 क्या है?

G20 (ग्रुप ऑफ़ ट्वेंटी) बड़ी एडवांस्ड और उभरती हुई इकॉनमी का एक इंटरनेशनल फ़ोरम है जो मिलकर इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं:

- ग्लोबल GDP का लगभग 85%
- ग्लोबल ट्रेड का लगभग 75%
- दुनिया की लगभग दो-तिहाई आबादी

कनाडा ने EU के सिक्योरिटी एक्शन फॉर यूरोप में शामिल होने के लिए बातचीत पूरी की

समझौता और घोषणा

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने EU के सिक्योरिटी एक्शन फॉर यूरोप (SAFE) में कनाडा की भागीदारी के लिए बातचीत के सफल समापन की घोषणा की। कनाडा और यूरोपियन यूनियन द्विपक्षीय समझौते को तेज़ी से मंज़ूरी देने की योजना बना रहे हैं, जिसका लक्ष्य कनाडा की भागीदारी को आधिकारिक तौर पर लॉन्च करना है।

कनाडा के लिए महत्व

कनाडा एकमात्र गैर-यूरोपीय देश होगा जिसे SAFE फ्रेमवर्क तक खास पहुंच मिलेगी। इस भागीदारी से कनाडाई रक्षा उद्योग को यूरोपीय बाज़ार तक ज़्यादा पहुंच मिलती है। यह कनाडाई सशस्त्र बलों के लिए भरोसेमंद सप्लायर को आकर्षित करता है और कनाडा में निजी निवेश को बढ़ावा देता है।

SAFE के बारे में

मई में EU काउंसिल द्वारा मंज़ूर, SAFE सदस्य देशों को €150 बिलियन की वित्तीय मदद देता है।

यह फंड खास ब्याज दरों पर लंबे समय के लोन के ज़रिए सुरक्षा और रक्षा उपकरण खरीदने की अनुमति देता है, जिससे यूरोप की रक्षा क्षमताएं मज़बूत होती हैं।

कनाडा

- राजधानी: ओटावा
- राजा: चार्ल्स III
- करेंसी: कैनेडियन डॉलर ($) (CAD)
- गवर्नर जनरल: मैरी साइमन
- प्रधानमंत्री: मार्क कार्नी

भारत को पहली बार इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस की अध्यक्षता के लिए बुलाया गया

भारत के लिए ऐतिहासिक न्योता

भारत को पहली बार इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस (इंटरनेशनल IDEA) की अध्यक्षता के लिए बुलाया गया है।

चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) ज्ञानेश कुमार स्टॉकहोम, स्वीडन में अध्यक्षता संभालेंगे।

भारत के लिए महत्व

CEC ज्ञानेश कुमार ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के भारत के ट्रैक रिकॉर्ड को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। उन्होंने अध्यक्षता को नागरिकों और चुनाव अधिकारियों के लिए गर्व का पल बताया।

इंटरनेशनल IDEA के बारे में

- स्थापना: 1995
- टाइप: इंटर-गवर्नमेंटल ऑर्गनाइजेशन
- मेंबरशिप: 37 देश
- ऑब्जर्वर: यूनाइटेड स्टेट्स और जापान
- UN स्टेटस: 2003 से UN जनरल असेंबली में ऑब्जर्वर
- IDEA में भारत की भूमिका
- भारत एक फाउंडिंग मेंबर है।

- गवर्नेंस प्रोसेस, इलेक्टोरल रिसर्च, कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग इनिशिएटिव में एक्टिव रूप से योगदान देता है।

प्रधानमंत्री की अदीस अबाबा यात्रा के दौरान भारत ने तीन MoU पर हस्ताक्षर किए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अदीस अबाबा की आधिकारिक यात्रा के दौरान, भारत और इथियोपिया ने प्रमुख रणनीतिक और विकासात्मक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए तीन समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए, जो दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी को दर्शाता है।

हस्ताक्षरित प्रमुख MoU

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना प्रशिक्षण में सहयोग:
संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को बढ़ाता है।

सीमा शुल्क मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता:
तस्करी को रोकने और व्यापार सुविधा में सुधार के लिए सहयोग, सूचना साझाकरण और समर्थन की सुविधा प्रदान करता है।

इथियोपिया के विदेश मंत्रालय में एक डेटा सेंटर की स्थापना:
डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, सुरक्षित डेटा प्रबंधन और डिजिटल कूटनीति का लक्ष्य है।

भारत और लाइबेरिया ने साझा क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को बेहतर बनाने के लिए फार्माकोपिया पर MoU पर साइन किए

भारत और लाइबेरिया ने फार्माकोपिया में सहयोग स्थापित करने के उद्देश्य से एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर साइन किए हैं, जिसका मकसद साझा क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को बढ़ावा देना, दवाओं के नियमों में तालमेल बिठाना और फार्मास्युटिकल सेक्टर में आपसी सहयोग को मजबूत करना है। इस MoU पर लाइबेरिया में भारत के राजदूत मनोज बिहारी वर्मा और लाइबेरिया की स्वास्थ्य मंत्री डॉ. लुईस एम. कफोटो की मौजूदगी में साइन किए गए। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, यह समझौता दोनों देशों में सुरक्षित, प्रभावी और सस्ती दवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाने में मदद करेगा और गहरे रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन को आसान बनाएगा। इस पार्टनरशिप से फार्मास्युटिकल्स के मानकीकरण को बढ़ावा मिलने, दवाओं की क्वालिटी कंट्रोल को बेहतर बनाने और विश्व स्तर पर स्वीकृत मानदंडों के तहत फार्मा व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

फार्माकोपिया के बारे में
फार्माकोपिया एक आधिकारिक प्रकाशन है जिसमें दवाओं की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, स्पेसिफिकेशन्स और टेस्टिंग के तरीके शामिल होते हैं।

भारत का आधिकारिक फार्माकोपिया इंडियन फार्माकोपिया (IP) है, जिसे प्रकाशित किया जाता है:
- इंडियन फार्माकोपिया कमीशन (IPC), गाजियाबाद द्वारा।
- फार्माकोपिया दवाओं की सुरक्षा, प्रभावकारिता और क्वालिटी सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।
- भारत की फार्मास्युटिकल ताकत
- भारत को "दुनिया की फार्मेसी" के रूप में जाना जाता है।
- दुनिया की अधिकांश जेनेरिक दवाएं भारत द्वारा सप्लाई की जाती हैं।

प्रमुख एजेंसियां:
- CDSCO – सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन
- DCGI – ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया

लाइबेरिया के बारे में
- राजधानी: मोनरोविया
- मुद्रा: लाइबेरियन डॉलर
- राष्ट्रपति: जोसेफ बोकाई
- क्षेत्र: पश्चिम अफ्रीका

भारत-ऑस्ट्रेलिया ने स्किल्स और मोबिलिटी में साझेदारी को मज़बूत किया

भारत और ऑस्ट्रेलिया ने नई दिल्ली में हुई तीसरी ऑस्ट्रेलिया-इंडिया एजुकेशन एंड स्किल्स काउंसिल (AIESC) मीटिंग के दौरान स्किल्स डेवलपमेंट, वर्कफोर्स मोबिलिटी और उभरते सेक्टर्स में सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है।

मीटिंग की सह-अध्यक्षता की:
- जयंत चौधरी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री (भारत)
- एंड्रयू जाइल्स, कौशल और प्रशिक्षण मंत्री (ऑस्ट्रेलिया)

1. क्वालिफिकेशन्स की आपसी मान्यता (MRQs) को तेज़ करना
दोनों देश क्वालिफिकेशन्स की आपसी मान्यता को तेज़ करने पर सहमत हुए, जिससे यह संभव होगा:
- भारतीय कुशल श्रमिकों की क्वालिफिकेशन्स को ऑस्ट्रेलिया में स्वीकार किया जाएगा
- ऑस्ट्रेलियाई क्वालिफिकेशन्स को भारत में मान्यता दी जाएगी
- इससे भारतीय प्रोफेशनल्स की अंतरराष्ट्रीय रोज़गार क्षमता में सुधार होगा।

2. कुशल मोबिलिटी के लिए संयुक्त ब्रिज कोर्स
- भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर ब्रिज कोर्स डिज़ाइन करेंगे।
- उद्देश्य: दोनों देशों के बीच प्रोफेशनल्स की सुचारू मोबिलिटी का समर्थन करना, स्किल्स मैचिंग और इंडस्ट्री मानकों को सुनिश्चित करना।

3. प्रमुख खेल आयोजनों से जुड़ा सहयोग
- 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत की बोली
- 2032 ब्रिस्बेन ओलंपिक्स के लिए ऑस्ट्रेलिया की तैयारी

→ **ये इनमें बड़े अवसर प्रदान करते हैं:**
- इवेंट मैनेजमेंट
- हॉस्पिटैलिटी और पर्यटन
- बुनियादी ढांचा और लॉजिस्टिक्स
- खेल प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण

4. उभरते क्षेत्र के रूप में खेल और शारीरिक स्वास्थ्य

दोनों देशों ने खेल, फिटनेस और शारीरिक स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण रोज़गार क्षमता वाले उच्च-विकास वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाना है।

इनमें सहयोग की उम्मीद है:

- स्पोर्ट्स कोचिंग
- स्पोर्ट्स साइंस
- उच्च-प्रदर्शन प्रशिक्षण
- स्पोर्ट्स मैनेजमेंट

ग्लोबल पहचान के प्रयास

- भारत कई देशों (UK, ऑस्ट्रेलिया, UAE, जर्मनी) के साथ इन चीज़ों पर काम कर रहा है:
- आपसी मान्यता समझौते (MRAs)
- छात्रों और कर्मचारियों की आवाजाही बढ़ाना

भारत-UAE वीज़ा और कानूनी सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए

- भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) कॉन्सुलर सेवाओं, वीज़ा सुविधा और कानूनी मामलों में सहयोग को मज़बूत करने पर सहमत हुए।
- यह चर्चा अबू धाबी में कॉन्सुलर मामलों पर भारत-UAE जॉइंट कमिटी की 6th मीटिंग के दौरान हुई।
- भारतीय डेलीगेशन को विदेश मंत्रालय (MEA) के सेक्रेटरी (कॉन्सुलर, पासपोर्ट, वीज़ा और ओवरसीज़ इंडियन अफेयर्स) अरुण कुमार चटर्जी ने लीड किया।
- दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के देशों में रहने वाले अपने नागरिकों की सुरक्षा, सम्मान, भलाई और अधिकारों को पक्का करने के अपने कमिटमेंट को दोहराया।
- भारत ने UAE में सबसे बड़े प्रवासी समुदाय, 3.5+ मिलियन भारतीय डायस्पोरा के लिए UAE के मज़बूत सपोर्ट को माना।

भारत-UAE संबंधों के बारे में

- UAE, अमेरिका और चीन के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है।
- भारत और UAE, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (CEPA) में पार्टनर हैं, जिस पर 2022 में साइन किए गए थे, जिसका मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार को USD 100 बिलियन तक बढ़ाना है।
- UAE, I2U2 ग्रुप (भारत, इज़राइल, USA, UAE) का सदस्य है, जो फूड सिक्योरिटी, एनर्जी और टेक्नोलॉजी पर फ़ोकस करता है।
- UAE 2024 में BRICS ग्रुप में शामिल हुआ।

जापान फुकुशिमा आपदा के 15 साल बाद दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट फिर से शुरू करेगा

जापान फुकुशिमा आपदा के लगभग 15 साल बाद, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट, काशिवाज़ाकी-कारिवा सुविधा को फिर से शुरू करने जा रहा है।

फिर से शुरू करने के फैसले के उद्देश्य

ऊर्जा सुरक्षा: आयातित जीवाश्म ईंधन पर जापान की निर्भरता कम करना

- बिजली आपूर्ति: एक रिएक्टर को फिर से शुरू करने से टोक्यो क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति लगभग 2% बढ़ सकती है
- डीकार्बनाइजेशन: स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाकर जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है
- आर्थिक विचार: बिजली की कीमतों को स्थिर करता है और ईंधन आयात बिल कम करता है

अतिरिक्त तथ्य

- फुकुशिमा आपदा (2011): कोर मेल्टडाउन, बड़े पैमाने पर लोगों को निकालना और सभी रिएक्टरों को बंद करना
- न्यूक्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क: जापान का न्यूक्लियर रेगुलेशन अथॉरिटी (NRA) अब रिएक्टर संचालन के लिए सख्त सुरक्षा मानकों को लागू करता है
- स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य: जापान का लक्ष्य है कि 2040 तक उसकी ऊर्जा मिश्रण में परमाणु ऊर्जा का योगदान लगभग 20% हो
- जनता की राय: स्थानीय समुदाय सुरक्षा और पर्यावरणीय जोखिमों के बारे में चिंतित हैं
- आर्थिक प्रभाव: परमाणु संयंत्रों को फिर से शुरू करने से महंगे आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होती है, जिससे ऊर्जा की लागत कम होती है

रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF) रिपोर्ट: 2025 में इज़राइल में फिर से दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पत्रकारों की मौत होगी

RSF की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल इज़राइल ने किसी भी दूसरे देश के मुकाबले ज़्यादा पत्रकारों को मारा है। दुनिया भर में, पिछले 12 महीनों में 67 पत्रकार मारे गए — 2024 से एक ज़्यादा। ज़्यादातर गाज़ा में इज़राइली सेना 29 फ़िलिस्तीनी पत्रकारों की मौत के लिए ज़िम्मेदार थी, जो दुनिया भर में पत्रकारों की मौतों का 43% है। RSF ने इज़राइल को "पत्रकारों का सबसे बड़ा दुश्मन" बताया, और इस बात पर ज़ोर दिया कि ये मौतें जानबूझकर की गईं — गलती से या अचानक नहीं हुईं।

खास बातें और बड़े ट्रेंड्स

इस साल की सबसे खतरनाक घटना 25 अगस्त को दक्षिण गाज़ा के एक हॉस्पिटल पर "डबल-टैप" हमला था, जिसमें पाँच पत्रकार मारे गए — जिनमें बड़ी इंटरनेशनल एजेंसियों के लिए काम करने वाले रिपोर्टर भी शामिल थे। इज़राइल के अलावा, 2025 में पत्रकारों के लिए दूसरे खतरनाक देशों में मेक्सिको (9 मारे गए), यूक्रेन (3 मारे गए) और सूडान (4 मारे गए) शामिल थे। RSF ने यह भी बताया कि 1 दिसंबर, 2025 तक, दुनिया भर में लगभग 503 पत्रकारों को उनके काम के लिए हिरासत में लिया गया है, जबकि 135 लापता हैं और 37 देशों में 20 को बंधक बनाया गया है।

RSF की चेतावनी और दुनिया भर की चिंता

RSF ने चेतावनी दी कि हत्याओं का यह पैटर्न दुनिया भर में पत्रकारों की सुरक्षा में कमी को दिखाता है — खासकर संघर्ष वाले इलाकों में। उन्होंने कहा कि कई सरकारें और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं

प्रेस की आज़ादी की रक्षा करने में नाकाम रही हैं, जिससे मीडिया कर्मचारियों को बिना किसी सज़ा के निशाना बनाया जा रहा है।

रैंक	देश / क्षेत्र	2025 में मारे गए पत्रकार	प्रमुख तथ्य
1	इज़राइल (गाज़ा/युद्ध क्षेत्र सहित)	29	वैश्विक स्तर पर कन्फर्म पत्रकार हत्याओं में 43% हिस्सेदारी
2	मेक्सिको	9	2025 में दुनिया में दूसरा सबसे अधिक पत्रकारों की हत्या
3	सूडान	4	मीडिया कर्मियों के लिए सबसे खतरनाक देशों में शामिल
4	यूक्रेन	3	2025 में उच्च जोखिम वाले देशों में शामिल
5	—	—	कोई स्थायी पाँचवाँ स्थान नहीं; RSF डेटा के अनुसार टॉप 4 में ही सबसे अधिक मौतें

लघु लेख

भारत के नेतृत्व को वैश्विक पहचान: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले अंतर्राष्ट्रीय सम्मान

पिछले एक दशक में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाले राजनीतिक नेताओं में से एक बनकर उभरे हैं। दुनिया भर के कई देशों ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। ये पुरस्कार सिर्फ़ व्यक्तिगत सम्मान नहीं हैं, बल्कि ये भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा, उसके बढ़ते राजनयिक प्रभाव और रणनीतिक स्वायत्तता, विकास साझेदारी और सांस्कृतिक कूटनीति पर आधारित विदेश नीति की सफलता को दर्शाते हैं।

पीएम नरेंद्र मोदी को मिले अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की पूरी सूची

क्र. सं.	पुरस्कार देने वाला देश / संस्था	पुरस्कार / सम्मान	प्रदान करने का वर्ष
1	सऊदी अरब	ऑर्डर ऑफ़ किंग अब्दुलअज़ीज़	2016
2	अफ़गानिस्तान	स्टेट ऑर्डर ऑफ़ ग़ाज़ी अमीर अमानुल्लाह खान	2016
3	फ़िलिस्तीन	ग्रैंड कॉलर ऑफ़ द स्टेट ऑफ़ फ़िलिस्तीन	2018
4	संयुक्त राष्ट्र	यूएन चैंपियन ऑफ़ द अर्थ अवार्ड	2018
5	संयुक्त अरब अमीरात	ऑर्डर ऑफ़ ज़ायेद	2019
6	रूस	ऑर्डर ऑफ़ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल	2019
7	मालदीव	ऑर्डर ऑफ़ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ़ इज़ुद्दीन	2019
8	बहरीन	किंग हमाद ऑर्डर ऑफ़ द रेनेसां	2019
9	यूएसए	लीजन ऑफ़ मेरिट (चीफ़ कमांडर)	2020
10	भूटान	ऑर्डर ऑफ़ द ड्रुक ग्यालपो (ड्रैगन किंग)	2021
11	पापुआ न्यू गिनी	ऑर्डर ऑफ़ लोगोहू	2023
12	पापुआ न्यू गिनी	एबाकल अवार्ड	2023
13	फ़िजी	कम्पेनियन ऑफ़ द ऑर्डर ऑफ़ फ़िजी	2023
14	मिस्र	ऑर्डर ऑफ़ द नाइल	2023
15	फ़्रांस	ग्रैंड क्रॉस ऑफ़ द लीजन ऑफ़ ऑनर	2023
16	ग्रीस	ग्रैंड क्रॉस ऑफ़ द ऑर्डर ऑफ़ ऑनर	2023

17	बारबाडोस	ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ़ फ्रीडम ऑफ़ बारबाडोस	2024
18	गुयाना	ऑर्डर ऑफ़ एक्सीलेंस	2024
19	नाइजीरिया	ग्रैंड कमांडर ऑफ़ द ऑर्डर ऑफ़ द नाइजर	2024
20	डोमिनिका	डोमिनिका अवार्ड ऑफ़ ऑनर	2024
21	कुवैत	ऑर्डर ऑफ़ मुबारक अल-कबीर	2024
22	मॉरीशस	ग्रैंड कमांडर ऑफ़ द ऑर्डर ऑफ़ द स्टार एंड की ऑफ़ द इंडियन ओशन	2025
23	श्रीलंका	श्रीलंका मित्रा विभूषण	2025
24	साइप्रस	ग्रैंड क्रॉस ऑफ़ द ऑर्डर ऑफ़ मकारियोस III	2025
25	घाना	ऑफ़िसर ऑफ़ द ऑर्डर ऑफ़ द स्टार ऑफ़ घाना	2025
26	त्रिनिदाद और टोबैगो	ऑर्डर ऑफ़ द रिपब्लिक ऑफ़ त्रिनिदाद एंड टोबैगो	2025
27	ब्राज़ील	ग्रैंड कॉलर ऑफ़ द नेशनल ऑर्डर ऑफ़ द सदर्न क्रॉस 2025	
28	नामीबिया	ऑर्डर ऑफ़ द मोस्ट एनशिएंट वेल्विसिया मिराबिलिस	2025
29	ओमान	द फर्स्ट क्लास ऑफ़ द ऑर्डर ऑफ़ ओमान	2025
30	इथियोपिया	द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ़ इथियोपिया	2025

रिकॉर्ड तोड़ने वाली उपलब्धि

- पीएम नरेंद्र मोदी सबसे ज़्यादा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले भारतीय प्रधानमंत्री हैं।
- उन्हें 30 से ज़्यादा विदेशी सम्मान मिले हैं (2025 तक), जो पिछले सभी भारतीय नेताओं से ज़्यादा हैं।

इन सम्मानों का स्वरूप

ज़्यादातर पुरस्कार हैं:

- पुरस्कार देने वाले देश के सर्वोच्च नागरिक या राजकीय सम्मान
- विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को दिए जाते हैं

ये सम्मान आमतौर पर इसके लिए दिए जाते हैं:

- द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करना
- वैश्विक शांति, विकास और कूटनीति में योगदान
- संकट के समय नेतृत्व (COVID-19 सहायता, जलवायु कार्रवाई, आपदा राहत)

संवैधानिक और कूटनीतिक पहलू

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18(2) के तहत, भारतीय नागरिक राष्ट्रपति की मंज़ूरी के बिना विदेशी उपाधियाँ स्वीकार नहीं कर सकते।
- प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों को राजकीय सम्मान मिलते हैं, "उपाधियाँ" नहीं, इसलिए ये संवैधानिक रूप से मान्य हैं।
- ऐसे सम्मान प्रतीकात्मक कूटनीति और सॉफ्ट पावर प्रदर्शन का हिस्सा हैं।

सॉफ्ट पावर और भारत की वैश्विक छवि

ये पुरस्कार दर्शाते हैं:

एक वैश्विक कूटनीतिक शक्ति के रूप में भारत का उदय
ग्लोबल साउथ नेतृत्व का मज़बूत होना
इसमें भारत की भूमिका की पहचान:

- जलवायु कार्रवाई (LiFE मिशन)
- आपदा लचीलापन
- वैक्सीन कूटनीति (वैक्सीन मैत्री)
- आतंकवाद विरोधी सहयोग

क्षेत्रीय विस्तार

- पीएम मोदी को इन देशों से सर्वोच्च सम्मान मिले हैं:
- मध्य पूर्व: सऊदी अरब, UAE, ओमान, बहरीन, कुवैत
- यूरोप: फ्रांस, रूस, ग्रीस, साइप्रस
- अफ्रीका: मिस्र, इथियोपिया, घाना, नामीबिया
- इंडो-पैसिफिक: मालदीव, फिजी, पापुआ न्यू गिनी

- अमेरिका और कैरेबियन: USA, ब्राजील, बारबाडोस, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो
- दक्षिण एशिया: भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान

संतुलित विदेश नीति पहुंच को दर्शाता है।

- UN और बहुपक्षीय मान्यता
- UN चैंपियन ऑफ़ द अर्थ अवार्ड (2018)

इन पहलों के लिए:

- इंटरनेशनल सोलर अलायंस (ISA)
- जलवायु नेतृत्व
- पर्यावरण शासन

भारत की विदेश नीति सिद्धांतों से संबंध

पुरस्कार भारत के प्रमुख राजनयिक दृष्टिकोणों के अनुरूप हैं:

- पड़ोसी पहले
- एक्ट ईस्ट पॉलिसी
- थिंक वेस्ट पॉलिसी
- अफ्रीका आउटरीच
- सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास)

ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नया सोशल मीडिया बैन: इसका क्या मतलब है और यह क्यों ज़रूरी है

ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने 16 साल से कम उम्र के ज़्यादातर बच्चों को बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने से बैन कर दिया है। यह नया कानून — जिसे ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट (सोशल मीडिया मिनिमम एज) एक्ट 2024 के नाम से जाना जाता है — 10 दिसंबर, 2025 को लागू हुआ, जब ऑस्ट्रेलियाई संसद ने इसे 2024 में पास किया था।

कानून क्या कहता है

16 साल से कम उम्र के बच्चों को Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X (पहले Twitter), YouTube, Reddit, Twitch, Threads, Kick और दूसरे कई पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने या रखने की इजाज़त नहीं है। प्लेटफॉर्म को 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अकाउंट बनाने से रोकने के लिए "उचित कदम" उठाने होंगे, वरना उन पर A$49.5 मिलियन (लगभग $33 मिलियन) तक का जुर्माना लग सकता है। यह बैन कंपनियों पर लागू होता है, बच्चों या परिवारों पर नहीं — अगर बच्चे या उनके माता-पिता नियम तोड़ते हैं तो उन पर जुर्माना नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि अगर 16 साल से कम उम्र का कोई बच्चा प्रोफाइल के साथ सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, तो प्लेटफॉर्म को उसे ब्लॉक या डीएक्टिवेट करना होगा।

ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा क्यों किया

इस बैन के पीछे मुख्य कारण बच्चों की सुरक्षा है। सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए हानिकारक हो सकता है। खास चिंताओं में शामिल हैं:

- साइबरबुलिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न,
- नशे की लत वाला डिज़ाइन और स्क्रीन टाइम,
- अनुचित या हानिकारक कंटेंट के संपर्क में आना,
- ग्रूमिंग और ऑनलाइन शोषण।

प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ और ऑनलाइन सुरक्षा अधिकारियों ने इसे एक सांस्कृतिक बदलाव के रूप में बताया है, जो युवाओं को शौक, पढ़ना, खेल और आमने-सामने बातचीत जैसी असल दुनिया की गतिविधियों में ज़्यादा समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करता है।

यह असल में कैसे काम करता है

प्लेटफॉर्म को 16 साल से कम उम्र के यूज़र्स की पहचान करके उन्हें ब्लॉक करना होगा। कुछ कंपनियों ने पहले ही यह शुरू कर दिया है:

- मेटा (वह कंपनी जिसके पास Facebook और Instagram हैं) ने 10 दिसंबर की शुरुआत की तारीख से पहले उन यूज़र्स के अकाउंट हटाना शुरू कर दिया है, जिनके बारे में उसे लगता है कि वे 16 साल से कम उम्र के हैं।
- TikTok और Snapchat उम्र का अनुमान लगाने और एक्सेस को रोकने के लिए ऑटोमेटेड "एज एश्योरेंस" सिस्टम जैसे एज-वेरिफिकेशन टूल का इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं।
- बच्चे अभी भी कुछ प्लेटफॉर्म पर बिना अकाउंट के पब्लिक कंटेंट (जैसे वीडियो देखना) देख पाएंगे, अगर साइट इसकी इजाज़त देती है, लेकिन वे लॉग-इन यूज़र के तौर पर पोस्ट, कमेंट या एंगेज नहीं कर पाएंगे।

समर्थन और आलोचना

इस बैन के समर्थक और आलोचक दोनों हैं:

समर्थकों का कहना है:

- यह बच्चों को सोशल मीडिया के हानिकारक प्रभावों से बचाता है,
- यह शराब और ड्राइविंग प्रतिबंधों जैसी दूसरी उम्र सीमाओं के साथ मेल खाता है,
- यह माता-पिता और स्कूलों को लागू करने के लिए एक आसान सीमा देता है।

आलोचकों का कहना है:

- कुछ युवा लोग अगर ऑनलाइन सोशल कनेक्शन खो देते हैं तो वे अकेलापन महसूस कर सकते हैं।
- कानून को पूरी तरह से लागू करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बच्चे VPN या एडल्ट अकाउंट का इस्तेमाल करके कमियां ढूंढ सकते हैं।
- उम्र वेरिफिकेशन तरीकों से प्राइवेसी की चिंताएं हैं।

वैश्विक रुचि

ऑस्ट्रेलिया के फैसले पर अब दुनिया भर में करीब से नज़र रखी जा रही है। डेनमार्क और मलेशिया जैसे देश भी इसी तरह के उम्र-आधारित सोशल मीडिया नियमों पर विचार कर रहे हैं, और कई दूसरी सरकारें इस बात पर बहस कर रही हैं कि बच्चों को ऑनलाइन सबसे अच्छे तरीके से कैसे सुरक्षित रखा जाए।

अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

RBI ने रेगुलेटरी नियमों का पालन न करने पर कोटक महिंद्रा बैंक पर ₹61.95 लाख का जुर्माना लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग सेवाओं, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट गतिविधियों और क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग से संबंधित कुछ रेगुलेटरी नियमों और RBI के निर्देशों का पालन न करने पर कोटक महिंद्रा बैंक पर ₹61.95 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।

यह क्यों मायने रखता है:

यह जुर्माना बैंकिंग क्षेत्र में सख्त रेगुलेटरी अनुपालन सुनिश्चित करने पर RBI के लगातार फोकस को दिखाता है और ग्राहक खाता प्रथाओं, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट की भूमिका और सटीक क्रेडिट डेटा रिपोर्टिंग के लिए मानकों को मजबूत करता है।

मुख्य विवरण:

- यह जुर्माना 31 मार्च, 2024 तक बैंक के संचालन की समीक्षा करने वाले एक वैधानिक निरीक्षण (ISE 2024) से मिले निष्कर्षों पर आधारित है।
- RBI ने पाया कि बैंक ने RBI के दिशानिर्देशों के विपरीत, उन ग्राहकों के लिए कई बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) खाते खोले थे जिनके पास पहले से ही एक खाता था।
- कोटक महिंद्रा बैंक ने बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के साथ अनुमत दायरे से बाहर की गतिविधियों के लिए भी समझौते किए थे।
- बैंक ने क्रेडिट सूचना कंपनियों (CICs) को गलत जानकारी दी, जो CIC नियमों का उल्लंघन था।

रेगुलेटरी संदर्भ:

RBI की यह कार्रवाई बैंकों द्वारा बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच के परिभाषित मानकों, BC नेटवर्क के सही उपयोग और सटीक क्रेडिट रिपोर्टिंग का पालन सुनिश्चित करने की उसकी पर्यवेक्षी भूमिका का हिस्सा है, और यह ग्राहक लेनदेन की वैधता को प्रभावित नहीं करती है।

कोटक महिंद्रा बैंक

- उद्योग: वित्तीय सेवाएं
- स्थापना: 1985
- संस्थापक: उदय कोटक
- मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
- गैर-कार्यकारी निदेशक: उदय कोटक
- MD और CEO: अशोक वासवानी

HDFC बैंक को इंडसइंड बैंक में 95% तक हिस्सेदारी के लिए RBI की मंज़ूरी मिली

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने HDFC बैंक को इंडसइंड बैंक में 95% तक हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक साल की मंज़ूरी दे दी है। यह मंज़ूरी HDFC बैंक की रणनीतिक विस्तार योजना का हिस्सा है, जिसका मकसद भारतीय बैंकिंग सेक्टर में अपनी मौजूदगी को मज़बूत करना और अपने रिटेल और कॉर्पोरेट बैंकिंग पोर्टफोलियो को मज़बूत बनाना है।

HDFC बैंक के बारे में

- स्थापना: अगस्त 1994
- मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
- चेयरमैन: अतानु चक्रवर्ती
- CEO: शशिधर जगदीशन
- संपत्ति, मार्केट कैपिटलाइज़ेशन और कस्टमर बेस के हिसाब से भारत के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंकों में से एक।
- मुख्य सेवाओं में रिटेल बैंकिंग, थोक बैंकिंग, ट्रेजरी और डिजिटल बैंकिंग समाधान शामिल हैं।

इंडसइंड बैंक के बारे में

- स्थापना: 1994
- मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
- मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO: राजीव आनंद
- रिटेल, कॉर्पोरेट और कमर्शियल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है।
- अपने इनोवेटिव बैंकिंग समाधानों, डिजिटल उत्पादों और विविध कस्टमर बेस के लिए जाना जाता है।

RBI और रेगुलेटरी मंज़ूरी

- बैंकों में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी (आमतौर पर >10%) के किसी भी अधिग्रहण के लिए RBI की मंज़ूरी अनिवार्य है।
- यह मंज़ूरी वित्तीय स्थिरता, शासन मानकों और रेगुलेटरी अनुपालन सुनिश्चित करती है।
- RBI मंज़ूरी देने से पहले अधिग्रहण करने वाले की वित्तीय मज़बूती, प्रबंधकीय क्षमता और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करता है।

भारत में प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर का कंसोलिडेशन

- • कंसोलिडेशन बैंकों को स्केल बढ़ाने, जोखिम प्रबंधन में सुधार करने, परिचालन लागत कम करने और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की अनुमति देता है। • हाल के बड़े मर्जर में HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक का विस्तार, और ICICI बैंक की ग्रोथ स्ट्रेटेजी शामिल हैं।
- यह बड़े पैमाने पर क्रेडिट और डिजिटल बैंकिंग पहलों को सपोर्ट करने में सक्षम मज़बूत बैंकों को बढ़ावा देता है।

भारत ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $2.2 बिलियन से ज़्यादा के लोन एग्रीमेंट साइन किए

भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने भारत में पाँच बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड देने के लिए कुल USD 2.2 बिलियन से ज़्यादा के लोन एग्रीमेंट साइन किए हैं। ये प्रोजेक्ट्स स्किल डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थकेयर, मेट्रो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल आजीविका से जुड़े हैं।

शामिल मुख्य प्रोजेक्ट्स:

- प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम: इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (ITI) और स्किल डेवलपमेंट संस्थानों का आधुनिकीकरण।
- किफायती रूफटॉप सोलर सिस्टम प्रोग्राम: पूरे भारत में स्वच्छ ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देता है।
- असम राज्य तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल संवर्धन परियोजना: असम में स्वास्थ्य सेवा इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं को मजबूत करता है।
- चेन्नई मेट्रो रेल विस्तार (किस्त 2): मेट्रो रेल नेटवर्क के विकास में सहायता करता है।
- मेघालय में इकोटूरिज्म और सतत कृषि-आधारित आजीविका विकास: सतत आजीविका और पर्यटन को बढ़ावा देता है।

एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) के बारे में

- 1966 में स्थापित, ADB एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है।
- इसके 68 सदस्य देश हैं और यह सॉवरेन लोन, नॉन-सॉवरेन लोन, तकनीकी सहायता और अनुदान प्रदान करता है।
- भारत इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए ADB फंडिंग के सबसे बड़े कर्जदारों में से एक है।

SEBI इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए लाइव मार्केट डेटा के इस्तेमाल पर बैन लगाएगा

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) जल्द ही अपने नियमों में बदलाव करेगा ताकि इन्वेस्टर एजुकेशन एक्टिविटीज़ के दौरान लाइव/मौजूदा मार्केट डेटा के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सके। सिर्फ़ पिछले/हिस्टोरिकल मार्केट डेटा की ही इजाज़त होगी। यह घोषणा SEBI के चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने मुंबई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में आयोजित एक कार्यक्रम में की।

मुख्य बातें

1. नए नियम का मकसद

- इन्वेस्टर एजुकेशन वर्कशॉप, वेबिनार या ट्रेनिंग सेशन में लाइव मार्केट डेटा के गलत इस्तेमाल को रोकना।
- यह सुनिश्चित करना कि ऐसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल रियल-टाइम ट्रेडिंग टिप्स, स्टॉक रिकमेंडेशन या मार्केट मैनिपुलेशन के लिए न हो।

2. SEBI प्रमुख द्वारा स्पष्टीकरण

- SEBI के नियम पहले से ही बिना रजिस्ट्रेशन के स्टॉक टिप्स या निवेश सलाह देने पर रोक लगाते हैं।
- पुराने SEBI सर्कुलर में कथित विसंगतियों के कारण गलतफहमी मौजूद है।

SEBI अब अस्पष्टता को दूर करने के लिए एक स्पष्ट, एकीकृत सर्कुलर जारी करेगा।

3. हालिया कार्रवाई का संदर्भ

हाल ही में फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर (फिनफ्लुएंसर) अवधूत साठे के खिलाफ कार्रवाई की गई थी।

SEBI ने लगाया:

- ₹546 करोड़ की वसूली और जुर्माना
- बिना रजिस्ट्रेशन के निवेश सलाह और गुमराह करने वाली गतिविधियों में शामिल होने के लिए।

4. रेगुलेटरी उद्देश्य

रिटेल निवेशकों को इनसे बचाना:

- गलत बिक्री
- स्टॉक मैनिपुलेशन
- बिना रजिस्ट्रेशन वाली सलाहकार सेवाएं
- बाजार की अखंडता और निवेशक सुरक्षा को मजबूत करना।

SEBI के बारे में

- स्थापना: 1992 (SEBI अधिनियम, 1992)।
- मुख्यालय: मुंबई।
- उद्देश्य: सिक्योरिटीज बाजारों को रेगुलेट करना + निवेशकों के हितों की रक्षा करना।
- SEBI एक वैधानिक निकाय है।

फिनो पहला पेमेंट्स बैंक बन गया है जिसे SFB में बदलने के लिए RBI से मंज़ूरी मिली

फिनो पेमेंट्स बैंक भारत का पहला पेमेंट्स बैंक बन गया है जिसे स्मॉल फाइनेंस बैंक (SFB) में बदलने के लिए RBI से सैद्धांतिक मंज़ूरी मिल गई है।

मंज़ूरी का क्या मतलब है

SFB में बदलने के बाद, फिनो को ज़्यादा डिपॉज़िट लेने, कस्टमर्स को लोन और दूसरी क्रेडिट सुविधाएँ देने की इजाज़त होगी – ये ऐसी सर्विस हैं जो वह एक पेमेंट्स बैंक के तौर पर नहीं दे सकता था। इस मंज़ूरी से फिनो की सर्विस का दायरा बढ़ गया है – जिससे वह सिर्फ़ पेमेंट्स और रेमिटेंस सर्विस से आगे बढ़कर पूरे बैंकिंग ऑपरेशन में बदल सकेगा।

रेगुलेटरी बैकग्राउंड और एलिजिबिलिटी

प्राइवेट सेक्टर के SFB के लिए RBI की "ऑन-टैप" लाइसेंसिंग गाइडलाइंस के तहत, भारतीय निवासियों द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले और कम से कम पाँच साल के ऑपरेशन वाले मौजूदा पेमेंट्स बैंक कन्वर्ज़न के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। फिनो ने 2017 में एक पेमेंट्स बैंक के तौर पर ऑपरेशन शुरू किया था; पाँच साल का क्राइटेरिया पूरा करने पर वह एलिजिबल हो गया।

अगले स्टेप्स और टाइमलाइन

"इन-प्रिंसिपल" अप्रूवल से फिनो को फाइनल लाइसेंसिंग और कन्वर्ज़न के लिए RBI की शर्तों को पूरा करने का समय मिल जाता है। फाइनल लाइसेंस मिलने के एक साल के अंदर, फिनो अपना लेंडिंग बिज़नेस शुरू कर सकता है, जो रेगुलेटरी कम्प्लायंस और तैयारी की तैयारियों पर निर्भर करेगा।

ट्रांज़िशन का महत्व

यह कन्वर्ज़न फिनो को अपने कस्टमर बेस को बढ़ाने की इजाज़त देता है — खासकर ऐसे लोग और छोटे बिज़नेस जो बैंकिंग और

क्रेडिट सर्विस चाहते हैं। इस कदम को भारत के बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा माइलस्टोन माना जा रहा है — जो पेमेंट्स बैंकों के लिए ज़्यादा इनक्लूसिव बैंकिंग सर्विस और क्रेडिट एक्सेस की ओर एक बदलाव दिखाता है।

फिनो पेमेंट्स बैंक

- हेडक्वार्टर: मुंबई, महाराष्ट्र
- टैगलाइन: "कदर आपकी, कदम हमारे"
- MD और CEO: ऋषि गुप्ता
- स्थापित: 11 अप्रैल 2017

RBI ने ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट्स घटाकर 5.25 परसेंट कर दिया।

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रेपो रेट में 25 bps की कटौती की घोषणा की, जिससे रेट 5.5% से घटकर 5.25% हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) ने एकमत से कटौती का फैसला किया।

लिक्विडिटी के उपाय

RBI ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (OMOs) के ज़रिए ₹1 लाख करोड़ की सरकारी सिक्योरिटीज़ खरीदकर लिक्विडिटी डालेगा। फॉरेक्स लिक्विडिटी को सपोर्ट करने के लिए $5 बिलियन डॉलर-रुपया स्वैप अरेंजमेंट भी एक्टिवेट किया जाएगा।

कटौती को मुमकिन बनाने वाले मैक्रोइकोनॉमिक हालात

भारत ने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के Q2 में 8.2% GDP ग्रोथ दर्ज की। महंगाई तेज़ी से गिरकर 1.7% हो गई, जिससे एक अनोखा "गोल्डीलॉक्स पीरियड" बना — मज़बूत ग्रोथ + कम महंगाई। इन हालातों ने RBI को कीमतों में अस्थिरता का जोखिम उठाए बिना रेट कम करने के लिए "हेडरूम" दिया। नोट: गोल्डीलॉक्स सिचुएशन का मतलब है कि इकॉनमी न तो बहुत ज़्यादा ओवरहीट हो रही है और न ही बहुत ज़्यादा धीमी हो रही है। कम इन्फ्लेशन + मज़बूत ग्रोथ मॉनेटरी ईज़िंग को बढ़ावा देती है।

रिवाइज़्ड फोरकास्ट

RBI ने अपने पूरे साल के GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन को 6.8% से बढ़ाकर 7.3% कर दिया।

पॉलिसी का रुख

RBI का न्यूट्रल रुख जारी है। न्यूट्रल रुख से लिक्विडिटी न तो ज़्यादा सख्त होती है और न ही ढीली होती है; इसका मकसद ग्रोथ सपोर्ट और इन्फ्लेशन कंट्रोल के बीच बैलेंस बनाना है। RBI ने यह रुख बनाए रखा क्योंकि पहले के रेट कट और ग्लोबल ट्रेड बदलावों का असर अभी भी सामने आ रहा है।

फॉरेक्स रिज़र्व की स्थिति

भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व $686 बिलियन तक पहुँच गया, जिससे 11 महीने का इंपोर्ट कवर मिलता है। इससे देश की बाहरी स्टेबिलिटी मज़बूत होती है।

रिस्क बताए गए

गवर्नर मल्होत्रा ने चेतावनी दी कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन और ट्रेड की अनिश्चितताएं भारत के ग्रोथ आउटलुक के लिए नेगेटिव रिस्क बनी हुई हैं।

हालिया मॉनेटरी पॉलिसी पाथ

इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए अगस्त और अक्टूबर के रिव्यू में रेपो रेट को स्थिर रखा गया था। इससे पहले, RBI ने फरवरी और जून के बीच रेपो रेट में 100 bps (6.5% → 5.5%) की कमी की थी। इन कटौतियों का इकॉनमी में ट्रांसमिशन अभी भी जारी है। नोट: ट्रांसमिशन का मतलब है कि बैंक पॉलिसी रेट में बदलाव को बॉरोअर्स तक कितने असरदार तरीके से पहुंचाते हैं। तेज़ी से ट्रांसमिशन का मतलब है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा तुरंत असर।

बॉरोअर्स और इकॉनमी पर असर

कम रेपो रेट और एक्स्ट्रा लिक्विडिटी से आमतौर पर लेंडिंग रेट कम होते हैं। सस्ते लोन कंज्यूमर खर्च और बिज़नेस इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देते हैं, जिससे इकॉनमिक एक्टिविटी बढ़ती है। असर इस बात पर निर्भर करता है कि कमर्शियल बैंक रेट में कटौती को कितनी जल्दी पहुंचाते हैं।

पॉलिसी रेट्स पर एक नज़र

- पॉलिसी रेपो रेट: 5.25%
- स्टैंडिंग डिपॉज़िट फ़ैसिलिटी रेट: 5.00%
- मार्जिनल स्टैंडिंग फ़ैसिलिटी रेट: 5.50%
- बैंक रेट: 5.50%
- फ़िक्स्ड रिवर्स रेपो रेट: 3.35%
- CRR: 3.00%
- SLR: 18.00%

BHIM ने 'UPI सर्किल – फुल डेलीगेशन' फ़ीचर पेश किया

नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) ने NPCI BHIM सर्विसेज़ लिमिटेड (NBSL) के ज़रिए BHIM ऐप पर 'UPI सर्किल – फुल डेलीगेशन' नाम का एक नया UPI फ़ीचर लॉन्च किया है। यह फ़ीचर प्राइमरी बैंक अकाउंट होल्डर को एक भरोसेमंद सेकेंडरी यूज़र (परिवार का सदस्य/स्टाफ़/आश्रित) को प्राइमरी अकाउंट से सीधे लिमिटेड UPI पेमेंट करने के लिए ऑथराइज़ करने की सुविधा देता है। इसका मकसद सीनियर सिटिज़न, आश्रितों और डिजिटल रूप से कम अनुभवी यूज़र के लिए डिजिटल पेमेंट एक्सेसिबिलिटी को बेहतर बनाना है।

डेलीगेशन सिस्टम

- प्राइमरी यूज़र सेकेंडरी यूज़र को सीधे अपने बैंक अकाउंट से UPI पेमेंट करने के लिए ऑथराइज़ करता है।
- सेकेंडरी यूज़र के पास बैंक-लिंक्ड UPI ID होना ज़रूरी नहीं है।
- महीने की खर्च लिमिट: ₹15,000 तक।
- वैलिडिटी पीरियड: 1 महीने से 5 साल तक।
- प्राइमरी यूज़र ट्रांसपेरेंसी के लिए सभी ट्रांज़ैक्शन को ट्रैक कर सकता है।

NPCI के बारे में

- फुल फॉर्म: नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया।
- स्थापित: 2008।
- NPCI एक पहल है: RBI + IBA (इंडियन बैंक्स एसोसिएशन)।

आर्थिक स्थिरीकरण में प्रगति के बीच IMF ने पाकिस्तान के लिए 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर मंज़ूर किए

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने पाकिस्तान को 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की मंज़ूरी दे दी है। इसमें एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (EFF) के तहत 1.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर और रेजिलिएंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी (RSF) के तहत 0.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल हैं। इस किश्त के साथ, मौजूदा कार्यक्रम के तहत पाकिस्तान को IMF से मिलने वाली कुल राशि बढ़कर 3.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है। IMF ने कहा कि पाकिस्तान ने "मज़बूत कार्यक्रम कार्यान्वयन" दिखाया है, जिससे महंगाई, बाहरी वित्तपोषण की कमी और बाढ़ से हुए आर्थिक नुकसान के बीच उसकी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद मिली है।

IMF द्वारा समर्थित सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया गया है:

- विदेशी मुद्रा भंडार का पुनर्निर्माण
- कर राजस्व बढ़ाना (कर आधार का विस्तार)
- सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों (SOE) में सुधार
- ऊर्जा क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार
- प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना
- जलवायु जोखिम प्रकटीकरण और अनुकूलन उपायों को सुनिश्चित करना (RSF के तहत)

यह फंडिंग क्यों महत्वपूर्ण है

पाकिस्तान को भारी बाहरी कर्ज, मुद्रा अवमूल्यन, ऊर्जा कीमतों में झटके और जलवायु संबंधी आपदाओं के कारण गंभीर मैक्रोइकोनॉमिक तनाव का सामना करना पड़ा है। IMF फंड आर्थिक स्थिरीकरण, बाढ़ से उबरने और संरचनात्मक सुधारों में सहायता करेंगे। पाकिस्तान ने वित्त वर्ष 25 में GDP का 1.3% का प्राथमिक राजकोषीय अधिशेष हासिल किया, जो IMF की उम्मीदों पर खरा उतरा। रिपोर्ट के अनुसार, विदेशी मुद्रा भंडार एक साल पहले के 9.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में बढ़कर 14.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

IMF की शर्तें / अपेक्षाएँ

- महंगाई को नियंत्रित करने के लिए लगातार सख्त मौद्रिक नीति।
- घाटे को कम करने के लिए राजकोषीय समेकन।
- विनिमय दर लचीलापन और बेहतर विदेशी मुद्रा बाजार विकास।
- मज़बूत वित्तीय क्षेत्र की निगरानी।

इन क्षेत्रों में गहन सुधार:

- ऊर्जा वितरण और मूल्य निर्धारण
- घाटे में चल रहे SOE
- व्यापार माहौल और निवेश का माहौल
- जलवायु-लचीले बुनियादी ढांचे की योजना

IMF कार्यक्रम के बारे में

पाकिस्तान 37 महीने के EFF कार्यक्रम के तहत है जो दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधारों का समर्थन करता है। RSF जलवायु अनुकूलन, हरित नीतियों और आपदा लचीलेपन पर केंद्रित है। पाकिस्तान ऐतिहासिक रूप से लगातार भुगतान संतुलन संकट के कारण IMF पैकेजों पर बहुत अधिक निर्भर रहा है, जिससे यह सहायता एक आवर्ती पैटर्न का हिस्सा बन गई है।

ट्रंप ने पानी के समझौते के उल्लंघन पर मेक्सिको पर 5 परसेंट टैरिफ लगाया

अमेरिका, मेक्सिको पर लंबे समय से चली आ रही 1944 की यूनाइटेड स्टेट्स-मेक्सिको वॉटर ट्रीटी के उल्लंघन का आरोप लगाने के बाद मैक्सिकन सामान पर 5% टैरिफ लगाएगा। यह ट्रीटी रियो ग्रांडे, कोलोराडो और तिजुआना नदियों से मिलने वाले पानी के बंटवारे को कंट्रोल करती है। ट्रंप का दावा है कि पिछले पांच सालों में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा न करने की वजह से मेक्सिको पर अमेरिका का 800,000 एकड़-फीट से ज़्यादा पानी बकाया है। उन्होंने मांग की है कि मेक्सिको 31 दिसंबर तक कम से कम 200,000 एकड़-फीट पानी तुरंत छोड़े, और चेतावनी दी कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो बिना देर किए टैरिफ लगाना शुरू कर दिया जाएगा।

खास बातें और अहमियत

मुद्दा	विवरण
सवाल में ट्रीटी	1944 वॉटर ट्रीटी — रियो ग्रांडे, कोलोराडो और तिजुआना नदियों के ज़रिए अमेरिका-मेक्सिको के बीच जल बंटवारे को नियंत्रित करती है
कथित कमी	मेक्सिको पर आरोप है कि उसने पिछले पाँच वर्षों में निर्धारित मात्रा में पानी नहीं दिया; अमेरिका का दावा है कि लगभग 8,00,000 एकड़-फीट पानी की कमी है
U.S. की मांग	अमेरिका ने 31 दिसंबर तक 2,00,000 एकड़-फीट पानी देने की मांग की है, शेष पानी इसके बाद जल्द मिलने की अपेक्षा है
टैरिफ एक्शन	मेक्सिको से होने वाले आयात पर 5% टैरिफ लगाया गया, जो पानी मिलने तक तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा
U.S. द्वारा बताया गया असर	राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार, पानी की कमी ने टेक्सास की फसलों और पशुधन को गंभीर नुकसान पहुँचाया है

यह क्यों मायने रखता है?

इस कदम से पानी के बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच झगड़े के ट्रेड विवाद में बदलने का खतरा है, जिससे मेक्सिको का US को एक्सपोर्ट प्रभावित होगा।

इससे मेक्सिको पर सूखे और पानी की कमी की चिंताओं के बावजूद अपनी संधि की शर्तों को पूरा करने का दबाव बढ़ता है, जिससे क्लाइमेट से जुड़ी रिसोर्स की कमी को लेकर तनाव बढ़ता है।

यह एक्शन एनवायरनमेंट और रिसोर्स-शेयरिंग एग्रीमेंट का पालन करवाने के लिए ट्रेड टूल्स का इस्तेमाल करने की एक मिसाल

कायम करता है, जिसका असर दूसरे ट्रांसबाउंड्री झगड़ों पर भी पड़ेगा।

भारत-रूस ने श्रम, ऊर्जा, व्यापार, समुद्री और संस्थागत सहयोग में रणनीतिक साझेदारी को गहरा किया

अवलोकन:
भारत और रूस ने श्रम गतिशीलता, वीज़ा सुविधा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, समुद्री सहयोग, उद्योग, सीमा शुल्क, डाक सेवाओं और संस्थागत व्यापार सहयोग को कवर करने वाले समझौतों और MoU के एक व्यापक सेट पर हस्ताक्षर किए हैं, जो द्विपक्षीय जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण विस्तार है।

श्रम गतिशीलता और प्रवासन
- श्रम गतिशीलता और प्रवासन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे नागरिकों को एक-दूसरे के क्षेत्रों में अस्थायी कानूनी रोज़गार मिल सकेगा।
- अवैध प्रवासन से निपटने के लिए अलग समझौता, सुरक्षित और विनियमित श्रम आंदोलन को मज़बूत करना।
- कुशल और अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए कानूनी सुरक्षा और रास्ते प्रदान करता है।

वीज़ा सुविधा
दोनों देशों के नागरिकों के लिए 30-दिवसीय ई-टूरिस्ट वीज़ा की शुरुआत, जो मुफ़्त (बिना किसी शुल्क के) जारी किए जाएंगे। इसका उद्देश्य पर्यटन और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना है।

ऊर्जा सहयोग
- ईंधन और तेल आपूर्ति और व्यापक ऊर्जा-क्षेत्र सहयोग में सहयोग को गहरा करने के लिए समझौते।
- यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा का समर्थन करता है और रूस के लिए स्थिर दीर्घकालिक बाज़ार प्रदान करता है।

स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग
स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे भविष्य की संयुक्त पहलों का मार्ग प्रशस्त होगा।

समुद्री और आर्कटिक सहयोग
- भारत के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय और रूस के परिवहन मंत्रालय के बीच ध्रुवीय जहाज संचालन के लिए विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने हेतु MoU।
- समुद्री रसद, संचालन और कनेक्टिविटी में सुधार के लिए रूस के समुद्री बोर्ड के साथ एक और MoU।

औद्योगिक और वैज्ञानिक सहयोग
भारतीय फर्मों ने रूस में यूरिया उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए रूस के URALCHEM के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
अतिरिक्त MoU:
- खाद्य सुरक्षा (FSSAI सहित)
- चिकित्सा विज्ञान
- उपभोक्ता संरक्षण
- जहाज संचालन और समुद्री प्रशिक्षण

व्यापार, सीमा शुल्क और रसद
भारत के CBIC और रूस की संघीय सीमा शुल्क सेवा के बीच माल और वाहनों के लिए आगमन-पूर्व जानकारी का आदान-प्रदान करने के लिए प्रोटोकॉल, जिससे व्यापार दक्षता में सुधार होगा। सीमा पार डाक कनेक्टिविटी और ई-कॉमर्स सहायता को मज़बूत करने के लिए इंडिया पोस्ट और रूसी पोस्ट के बीच डाक सेवा समझौता। रक्षा, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और संस्कृति

16 समझौतों के एक बड़े पैकेज का हिस्सा, जिसमें शामिल हैं:
- रक्षा
- व्यापार और अर्थव्यवस्था
- शिक्षा और अनुसंधान
- संस्कृति और मीडिया
- संस्थागत व्यापार सहयोग

ASSOCHAM (भारत) और रोसकांग्रेस फाउंडेशन (रूस) ने एक MoU पर हस्ताक्षर किए:
- संयुक्त उद्यमों और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए
- निवेश और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज को आसान बनाने के लिए
- व्यवसायों, विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के बीच बातचीत बढ़ाने के लिए
- फोरम, प्रदर्शनियों और व्यापार प्रतिनिधिमंडलों के माध्यम से सहयोग का समर्थन करने के लिए

रणनीतिक महत्व
- यह भारत-रूस संबंधों के रक्षा और ऊर्जा से परे श्रम, स्वास्थ्य, लॉजिस्टिक्स और संस्थागत सहयोग तक विविधीकरण को दर्शाता है।
- श्रम गतिशीलता रोजगार के अवसरों और प्रेषण को बढ़ावा दे सकती है।
- ऊर्जा और औद्योगिक समझौते बदलती वैश्विक भू-राजनीति के बीच दीर्घकालिक आर्थिक और रणनीतिक विश्वास को मजबूत करते हैं।

भारत और न्यूज़ीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए

भारत और न्यूज़ीलैंड ने द्विपक्षीय व्यापार को गहरा करने, निवेश को बढ़ावा देने और अगले पांच सालों में व्यापार को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) किया है।

मुख्य बातें
- लक्ष्य: व्यापार बढ़ाना, बाज़ार तक पहुंच का विस्तार करना, निवेश को बढ़ावा देना और आर्थिक सहयोग को मज़बूत करना
- व्यापार लक्ष्य: पांच सालों के भीतर द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना
- निवेश प्रतिबद्धता: FTA के तहत न्यूज़ीलैंड 15 सालों में भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा
- टैरिफ में बदलाव: न्यूज़ीलैंड से भारत को होने वाले लगभग 95% निर्यात पर टैरिफ कम या खत्म कर दिया जाएगा
- कार्यान्वयन: दोनों देशों में कानूनी और संसदीय प्रक्रियाओं के बाद समझौते पर हस्ताक्षर और कार्यान्वयन किया जाएगा

- ऐतिहासिक संदर्भ: बातचीत 2025 की शुरुआत में शुरू हुई और रिकॉर्ड समय में पूरी हुई, जो मज़बूत राजनीतिक इच्छाशक्ति को दर्शाता है

अतिरिक्त तथ्य:

- FTA की परिभाषा: एक मुक्त व्यापार समझौता वस्तुओं और सेवाओं की मुक्त आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क, कोटा और अन्य व्यापार बाधाओं को कम या खत्म करता है।
- सामरिक महत्व: व्यापार भागीदारों में विविधता लाने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकृत होने की भारत की रणनीति का समर्थन करता है।

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट बन गया है

भारत, अमेरिका और चीन के बाद, दुनिया भर में तीसरा सबसे बड़ा घरेलू सिविल एविएशन मार्केट बनकर उभरा है। पिछले एक दशक में देश के एविएशन सेक्टर में यात्रियों की बढ़ती मांग, फ्लीट के विस्तार और सरकार की सहायक नीतियों के कारण तेजी से विस्तार हुआ है। घरेलू हवाई यात्रा में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है, जो बेहतर सामर्थ्य, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को दर्शाती है।

एविएशन गवर्नेंस और रेगुलेशन

नागरिक उड्डयन मंत्रालय नीति निर्माण के लिए नोडल मंत्रालय है। DGCA (डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन) एविएशन सुरक्षा, लाइसेंसिंग और रेगुलेशन के लिए जिम्मेदार है। AAI (एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया) सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रबंधन और विकास करता है।

सरकारी योजनाएं और पहल

UDAN (उड़े देश का आम नागरिक) योजना का लक्ष्य उड़ान को किफायती बनाकर क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति (NCAP), 2016 सामर्थ्य, कनेक्टिविटी और स्थिरता पर केंद्रित है। भारत का लक्ष्य लंबी अवधि की एविएशन योजना के तहत 2047 तक सैकड़ों ऑपरेशनल एयरपोर्ट विकसित करना है।

AAI:

- स्थापना: 1 अप्रैल 1995
- मुख्यालय: नई दिल्ली, भारत
- अध्यक्ष: विपिन कुमार
- DGCA: विक्रम देव दत्त

नागरिक उड्डयन मंत्रालय (भारत):

- केंद्रीय कैबिनेट मंत्री: किंजरापु राम मोहन नायडू
- राज्य मंत्री: मुरलीधर किसान मोहोल

सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को 2025 का दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट घोषित किया गया

सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को साल 2025 के लिए दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट चुना गया है, जो एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसेंजर सर्विस और ओवरऑल ट्रैवल एक्सपीरियंस में इसकी ग्लोबल लीडरशिप को फिर से साबित करता है। यह पहचान कई परफॉर्मेंस पैरामीटर पर एयरपोर्ट का मूल्यांकन करने वाले इंटरनेशनल पैसेंजर सर्वे पर आधारित है।

सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट के बारे में

चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का मुख्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यह एक प्रमुख ग्लोबल एविएशन हब के रूप में काम करता है, जो एशिया को यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका और ओशिनिया से जोड़ता है। यह एयरपोर्ट अपने इंडोर गार्डन, एंटरटेनमेंट ज़ोन, ट्रांजिट होटल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और डाइनिंग ऑप्शन के लिए मशहूर है। इसे एविएशन इतिहास में सबसे ज़्यादा अवॉर्ड पाने वाले एयरपोर्ट में से एक माना जाता है।

स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवॉर्ड्स 2025 के अनुसार विश्व के शीर्ष 5 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की सूची हिंदी में तालिका रूप में दी गई है:

रैंक	हवाई अड्डे का नाम	देश
1	सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट	सिंगापुर
2	हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट	क़तर
3	टोक्यो हानेडा एयरपोर्ट	जापान
4	इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट	दक्षिण कोरिया
5	नारिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट	जापान

दुनिया के सबसे अच्छे एयरपोर्ट को कैसे रैंक किया जाता है

रैंकिंग अलग-अलग देशों के यात्रियों से मिले ग्लोबल पैसेंजर फीडबैक पर आधारित होती है।

पैरामीटर में शामिल हैं:

- चेक-इन और इमिग्रेशन एफिशिएंसी
- सफाई और सुरक्षा
- यात्रियों का आराम और सुविधाएं
- रिटेल और खाने-पीने की सर्विस

ग्लोबल चाय एक्सपोर्ट में भारत चौथे नंबर पर; सरकार ने चाय वर्कर्स के लिए ₹1,000 करोड़ की मदद शुरू की

भारत अब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चाय एक्सपोर्टर है, जो सालाना लगभग 255 मिलियन टन चाय बनाता है।

चाय इंडस्ट्री के लिए सरकारी मदद

मज़दूरों की भलाई के लिए ₹1,000 करोड़ का पैकेज और चाय सहयोग ऐप जैसी पहल शुरू की गई हैं। सरकार का मकसद टेस्टिंग सुविधाओं को मज़बूत करना है ताकि चाय विकसित भारत 2047 में एक अहम योगदानकर्ता बन सके।

टॉप चाय एक्सपोर्ट करने वाले देश (2024–25)

रैंक	देश	लगभग एक्सपोर्ट वैल्यू (US$)
1	चीन	~ US$ 1.42 बिलियन
2	श्रीलंका	~ US$ 1.41 बिलियन
3	केन्या	~ US$ 1.41 बिलियन
4	भारत	~ US$ 817 मिलियन
5	पोलैंड	~ US$ 265 मिलियन

लघु लेख

भारत का मुक्त व्यापार समझौतों पर नया ज़ोर: व्यापार उदारीकरण से रणनीतिक राज्य-कौशल तक

भारत पहले के व्यापार समझौतों के मिले-जुले नतीजों के बावजूद, न्यूज़ीलैंड, रूस और ओमान जैसे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) पर बातचीत तेज़ कर रहा है। यह नई गति एक रणनीतिक बदलाव को दिखाती है: FTA को अब सिर्फ़ निर्यात बढ़ाने के साधन के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, बल्कि एक तेज़ी से बंटी हुई वैश्विक व्यवस्था में भू-राजनीतिक तालमेल, सप्लाई-चेन लचीलेपन और रणनीतिक सुरक्षा के साधनों के तौर पर देखा जा रहा है। जैसे-जैसे बहुपक्षीय व्यापार तंत्र कमज़ोर हो रहे हैं, भारत FTA को अपनी विदेश और आर्थिक नीति के स्तंभों के तौर पर फिर से स्थापित कर रहा है।

भारत FTA पर अपना ज़ोर क्यों बढ़ा रहा है?

1. बहुध्रुवीय दुनिया में रणनीतिक पुनर्गठन

एकध्रुवीय से बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था में बदलाव—जो अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता और बढ़ते भू-राजनीतिक बँटवारे से चिह्नित है—ने FTA को रणनीतिक जुड़ाव के साधनों में बदल दिया है। भारत इंडो-पैसिफिक, पश्चिम एशिया और अफ्रीका में राजनीतिक साझेदारी को मज़बूत करने के लिए FTA का उपयोग कर रहा है, जहाँ आर्थिक संबंध राजनयिक तालमेल को मज़बूत करते हैं। भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA और भारत-UAE CEPA जैसे समझौते "राजनीतिक सुरक्षा जाल" के रूप में काम करते हैं, जिससे विश्वास और दीर्घकालिक सहयोग गहरा होता है।

2. बहुपक्षवाद में गिरावट

WTO वार्ताओं, खासकर दोहा दौर की स्थिरता और एकतरफा संरक्षणवादी उपायों के बढ़ते उपयोग ने बहुपक्षीय व्यापार मंचों की प्रभावशीलता को कम कर दिया है। FTA भारत को सेवाओं, डिजिटल व्यापार, निवेश और नियामक सहयोग जैसे क्षेत्रों में WTO-प्लस प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए एक लचीला मंच प्रदान करते हैं। भारत-EFTA TEPA, जिसमें 15 वर्षों में FDI में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बाध्यकारी प्रतिबद्धता शामिल है, इस दृष्टिकोण का एक उदाहरण है।

3. व्यापार और सप्लाई चेन का विविधीकरण

भारत अमेरिका, यूरोपीय संघ और चीन जैसे पारंपरिक बाजारों पर अत्यधिक निर्भरता कम करना चाहता है। FTA नए बाजारों तक पहुँच को सक्षम बनाते हैं, सप्लाई-चेन विविधीकरण को सुविधाजनक बनाते हैं, और ऊर्जा और खनिज जैसे महत्वपूर्ण इनपुट को सुरक्षित करते हैं। तेज़ी से, FTA "चाइना प्लस वन" रणनीति को लागू करने के साधन बन रहे हैं, जो अपस्ट्रीम सप्लाई चेन में लचीलापन सुनिश्चित करते हैं।

4. सेवाओं और निवेश क्षमता को खोलना

भारत के पास IT, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और फिनटेक जैसी सेवाओं में एक मजबूत तुलनात्मक लाभ है, जिसका पहले के FTA ने अपर्याप्त रूप से लाभ उठाया था। UAE-भारत CEPA सहित नई पीढ़ी के समझौते, सेवाओं के उदारीकरण, निवेश संरक्षण और पेशेवर गतिशीलता पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। 5. घरेलू औद्योगिक रणनीति के साथ एकीकरण

FTA अब मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजनाओं जैसी पहलों के साथ जुड़े हुए हैं। रणनीतिक व्यापार समझौते FDI को आकर्षित कर सकते हैं, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुविधाजनक बना सकते हैं, और भारतीय विनिर्माण को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत कर सकते हैं।

6. पिछली असमानताओं को ठीक करना

पहले के FTA - विशेष रूप से आसियान, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ - भारत के अनुभव ने असमान लाभों का खुलासा किया। निर्यात हिस्सेदारी मामूली रूप से बढ़ी या घट भी गई, जबकि आयात में वृद्धि हुई, यह दर्शाता है कि कई FTA ने केवल मौजूदा व्यापार पैटर्न को संहिताबद्ध किया। इससे सीखते हुए, भारत अब घरेलू उद्योग के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों के साथ संतुलित, सेवाओं पर केंद्रित समझौतों की तलाश कर रहा है।

मुक्त व्यापार समझौतों को समझना

एक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार बाधाओं को कम करने या समाप्त करने के लिए एक बातचीत की गई व्यवस्था है। FTA में आमतौर पर शामिल होते हैं:

- टैरिफ और सीमा शुल्क
- उत्पत्ति के नियम
- गैर-टैरिफ बाधाएं (TBT और SPS उपाय)
- माल और सेवाओं में व्यापार
- निवेश, IPR, सरकारी खरीद, और प्रतिस्पर्धा नीति

व्यापार समझौतों के प्रकारों में द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और बहुपक्षीय व्यवस्थाएं शामिल हैं। WTO के अनुसार, भारत ने 20 FTA पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें हाल ही में भारत-यूके CETA और भारत-EFTA TEPA शामिल हैं, और अमेरिका, यूरोपीय संघ, कनाडा और SACU के साथ बातचीत कर रहा है।

भारत के बढ़ते FTA नेटवर्क से संबंधित चिंताएं

1. व्यापार घाटा और असमान परिणाम
कई FTA ने आनुपातिक निर्यात वृद्धि उत्पन्न नहीं की है। उदाहरण के लिए, FY 2009 और FY 2023 के बीच, आसियान से भारत का आयात निर्यात की तुलना में काफी तेजी से बढ़ा, जिससे व्यापार घाटा बढ़ गया।

2. गैर-टैरिफ बाधाएं और कम उपयोग
विकसित अर्थव्यवस्थाएं अक्सर IPR, स्वच्छता उपायों और डेटा सुरक्षा से संबंधित कड़े मानक लगाती हैं, जिससे टैरिफ रियायतें कम हो जाती हैं। विकसित देशों में 70-80% की तुलना में भारत की FTA उपयोग दर लगभग 25% कम बनी हुई है।

3. घरेलू क्षेत्रों पर दबाव
MSME, किसान और श्रम-गहन उद्योग सस्ते आयात के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए संघर्ष करते हैं। FTA कभी-कभी उल्टी शुल्क संरचना को बढ़ा देते हैं, जहां तैयार माल पर कच्चे माल की तुलना में कम टैरिफ लगता है, जिससे घरेलू विनिर्माण हतोत्साहित होता है और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को नुकसान पहुंचता है।
4. तीसरे देशों के ज़रिए इंपोर्ट बढ़ने का खतरा
कमज़ोर रूल्स ऑफ़ ओरिजिन नॉन-FTA देशों को पार्टनर देशों के ज़रिए सामान भेजने की इजाज़त देते हैं, जिससे घरेलू इंडस्ट्री कमज़ोर होती है और FTA के मकसद वाले फायदे खत्म हो जाते हैं।

FTA की असरदारता बढ़ाने के लिए पॉलिसी अप्रोच

- घरेलू कॉम्पिटिशन को मज़बूत करें: इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D, स्किल्स और MSME क्षमता में निवेश करें।
- WTO-प्लस क्षेत्रों पर ध्यान दें: भविष्य के FTA में सेवाओं, डिजिटल व्यापार, हरित ऊर्जा और उभरती प्रौद्योगिकियों को प्राथमिकता दें।
- मज़बूत सुरक्षा उपायों को शामिल करें: मूल नियमों, सुरक्षा शुल्क और एंटी-डंपिंग प्रावधानों को लागू करें।
- संस्थागत समन्वय: रणनीतिक और आर्थिक उद्देश्यों को एकीकृत करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय, MEA और NITI आयोग के बीच तालमेल में सुधार करें।
- विवाद समाधान में सुधार करें: व्यापार विवादों के समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए बाध्यकारी समय-सीमा और स्वतंत्र पैनल शामिल करें।
- समय-समय पर समीक्षा और सुधार: नियमित प्रभाव मूल्यांकन और हितधारक परामर्श के लिए तंत्र स्थापित करें।
- समावेशी और टिकाऊ व्यापार को बढ़ावा दें: विकासात्मक लचीलेपन से समझौता किए बिना श्रम और पर्यावरणीय मानकों को एकीकृत करें।

रक्षा एवं सुरक्षा

भारतीय नौसेना को तीसरा स्वदेशी ASW शैलो वॉटर क्राफ्ट 'अंजदीप' मिला

भारतीय नौसेना ने 'अंजदीप' को शामिल किया है, जो स्वदेशी रूप से बनाए जा रहे आठ जहाजों की सीरीज़ में तीसरा एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (ASW-SWC) है। इस जहाज का निर्माण गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) लिमिटेड ने किया है, जो रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता और तटीय समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में भारत के प्रयासों में एक और मील का पत्थर है।

ASW शैलो वॉटर क्राफ्ट की भूमिका और विशेषताएं

- उथले और तटीय पानी में पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए डिज़ाइन किया गया
- उन्नत सोनार सिस्टम, हल्के टॉरपीडो और पनडुब्बी रोधी रॉकेट से लैस
- उच्च गतिशीलता के लिए वॉटर-जेट प्रोपल्शन का उपयोग करता है
- कम तीव्रता वाले समुद्री संचालन, माइन बिछाने और गश्ती मिशन में सक्षम
- तटीय युद्ध के लिए उपयुक्त, जहाँ पारंपरिक बड़े युद्धपोतों की सीमाएँ होती हैं

सामरिक महत्व

- भारत की तटरेखा के पास पानी के नीचे के खतरों का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने की भारत की क्षमता को बढ़ाता है
- बंदरगाहों, हार्बर और तटीय बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को मजबूत करता है
- हिंद महासागर क्षेत्र पर केंद्रित भारत के समुद्री सिद्धांत में योगदान देता है
- आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी राष्ट्रीय पहलों का समर्थन करता है

भारत की OPTEL लिमिटेड ने भारत में युद्ध में साबित सिस्टम बनाने के लिए Safran के साथ समझौता किया

भारत की OPTEL लिमिटेड, जो एक रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, ने भारत में दो युद्ध में साबित एयरबोर्न सिस्टम बनाने के लिए एक प्रमुख वैश्विक एयरोस्पेस और रक्षा कंपनी Safran के साथ एक रणनीतिक समझौता किया है। यह सहयोग भारत सरकार के रक्षा आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत) और महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों के स्वदेशीकरण के लक्ष्यों का समर्थन करता है।

OPTEL लिमिटेड के बारे में

- OPTEL लिमिटेड रक्षा मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक उद्यम है, जो रक्षा अनुप्रयोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्ट्रोनिक्स और एवियोनिक्स सिस्टम में विशेषज्ञता रखता है।
- कंपनी फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, नेविगेशन उपकरण, लक्ष्यीकरण सिस्टम और सेंसर सूट जैसे उत्पादों का विकास और निर्माण करती है।
- OPTEL राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप रक्षा प्रौद्योगिकियों के स्वदेशीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

Safran के बारे में

- Safran एक प्रमुख फ्रांसीसी एयरोस्पेस, रक्षा और सुरक्षा कंपनी है, जो विमान इंजन, एवियोनिक्स, सेंसर और रक्षा प्रणालियों में अपने उच्च-प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिए जानी जाती है।
- Safran के सिस्टम का उपयोग विश्व स्तर पर सैन्य विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन में व्यापक रूप से किया जाता है।
- Safran के साथ सहयोग भारत के रक्षा उद्योग में वैश्विक प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता लाता है।

भारत का रक्षा उद्योग परिदृश्य

- रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (DPSUs): HAL, BEL, BDL, OPTEL, BEML जैसी संस्थाएं भारत के रक्षा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- रक्षा उत्पादन गलियारा: सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा औद्योगिक गलियारों को बढ़ावा दिया है।
- रणनीतिक साझेदारी: भारत क्षमता और स्वदेशीकरण को बढ़ाने के लिए वैश्विक रक्षा कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम और प्रौद्योगिकी सहयोग में तेजी से शामिल हो रहा है।

भारत ने MH-60R नेवी हेलीकॉप्टर सपोर्ट के लिए US के साथ ₹7,900 करोड़ की डील साइन की

भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री ने इंडियन नेवी के MH-60R मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर के लिए लंबे समय तक चलने वाला सस्टेनमेंट सपोर्ट खरीदने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के साथ लेटर्स ऑफ़ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस (LOAs) पर साइन किए हैं।

डील वैल्यू और फ्रेमवर्क

एग्रीमेंट की वैल्यू ₹7,900 करोड़ से ज़्यादा है। इसे फॉरेन मिलिट्री सेल्स (FMS) प्रोग्राम के तहत नई दिल्ली में फाइनल किया गया।

MH-60R मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर

आम जानकारी

- नाम: MH-60R सीहॉक
- टाइप: मल्टी-रोल नेवल हेलीकॉप्टर
- बनाने वाला: सिकोरस्की एयरक्राफ्ट (लॉकहीड मार्टिन)

- रोल: एंटी-सबमरीन वॉरफेयर (ASW), एंटी-सरफेस वॉरफेयर (ASuW), सर्च एंड रेस्क्यू (SAR), सर्विलांस, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट

हथियार:

- टॉरपीडो (MK 46/54)
- हेलफायर मिसाइल (हवा से सतह पर)
- मशीन गन (दरवाजे पर लगी)

रोल और क्षमताएं

- एंटी-सबमरीन वॉरफेयर (ASW): सोनार का इस्तेमाल करके सबमरीन का पता लगा सकता है, उन्हें ट्रैक कर सकता है और उनसे लड़ सकता है और टॉरपीडो।
- एंटी-सरफेस वारफेयर (ASuW): हेलफायर मिसाइलों से जहाजों को निशाना बनाने में सक्षम।
- सर्च एंड रेस्क्यू (SAR): मेडिकल इवैक्युएशन और इमरजेंसी रेस्क्यू के लिए तैयार।
- मैरीटाइम पेट्रोल और सर्विलांस: समुद्री रास्तों पर नज़र रखता है, जहाजों को ट्रैक करता है, और टोही करता है।
- लॉजिस्टिक्स सपोर्ट: जहाजों और किनारे के बीच सप्लाई, लोगों और सामान का ट्रांसपोर्ट।

अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए $686 मिलियन के F-16 अपग्रेड और सपोर्ट पैकेज को मंज़ूरी दी

संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट बेड़े के लिए $686 मिलियन के रक्षा बिक्री और अपग्रेड पैकेज को मंज़ूरी दे दी है। अमेरिकी रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी (DSCA) ने अमेरिकी कांग्रेस को इसकी जानकारी दी, जिससे अंतिम मंज़ूरी से पहले 30-दिन की समीक्षा अवधि शुरू हो गई है। इस पैकेज में एडवांस्ड एवियोनिक्स, लिंक-16 टैक्टिकल डेटा लिंक, सुरक्षित संचार उपकरण, नेविगेशन सिस्टम, मिशन-प्लानिंग सॉफ्टवेयर अपग्रेड, प्रशिक्षण, स्पेयर पार्ट्स और दीर्घकालिक तकनीकी सहायता शामिल है। इन अपग्रेड से पाकिस्तान के ब्लॉक-52 और मिड-लाइफ अपग्रेड F-16 जेट की ऑपरेशनल लाइफ 2040 तक बढ़ने और अमेरिकी और सहयोगी सेनाओं के साथ इंटरऑपरेबिलिटी बेहतर होने की उम्मीद है।

डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-अमेरिका संबंधों और क्वाड को मज़बूत करने वाले रक्षा कानून पर हस्ताक्षर किए

क्या हुआ:

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वित्त वर्ष 2026 के लिए नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट (NDAA) को कानून के तौर पर साइन कर दिया है। यह एक अहम सालाना रक्षा नीति बिल है जो भारत के साथ मज़बूत जुड़ाव पर ज़ोर देता है, जिसमें क्वाड्रीलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग (क्वाड) भी शामिल है।

मुख्य बातें:

यह कानून एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत और क्वाड के दूसरे सदस्यों के साथ बढ़े हुए सहयोग पर ज़ोर देता है। यह व्यापक रक्षा जुड़ाव की बात करता है, जिसमें सैन्य अभ्यास, रक्षा व्यापार, मानवीय सहायता और समुद्री सुरक्षा सहयोग शामिल हैं। यह एक्ट अमेरिका और भारत के बीच परमाणु देनदारी नियमों का आकलन करने और द्विपक्षीय रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक संयुक्त सलाहकार तंत्र का प्रावधान करता है।

यह क्यों मायने रखता है:

यह कानून अमेरिका और भारत के बीच गहरे रणनीतिक और रक्षा संबंधों को संस्थागत बनाता है, न केवल द्विपक्षीय सैन्य सहयोग में बल्कि जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड ढांचे के भीतर भी साझेदारी को मज़बूत करता है ताकि क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना किया जा सके, खासकर इंडो-पैसिफिक में चीन के बढ़ते प्रभाव का।

रणनीतिक महत्व:

भारत के साथ बढ़े हुए जुड़ाव को अमेरिकी कानून में शामिल करके, NDAA इंडो-पैसिफिक में रक्षा गठबंधनों और साझेदारियों को मज़बूत करने के लिए एक विधायी प्रतिबद्धता का संकेत देता है, जो बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल के बीच दोनों देशों के दीर्घकालिक रणनीतिक हितों को एक साथ लाता है।

माह के रक्षा/सैन्य अभ्यास

हरिमऊ शक्ति 2025

भारत और मलेशिया ने राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास 'हरिमऊ शक्ति 2025' किया है, जिससे द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई है। इस अभ्यास का मकसद दोनों देशों की सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी, सामरिक तालमेल और ऑपरेशनल तैयारी को बढ़ाना है। यह संयुक्त अभ्यास आतंकवाद विरोधी अभियानों, जंगल और अर्ध-रेगिस्तानी युद्ध, मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों पर केंद्रित है। दोनों देशों के सैनिकों ने संयुक्त प्रशिक्षण मॉड्यूल, फील्ड अभ्यास और सामरिक चर्चाओं में भाग लिया, जिससे उन्हें सर्वोत्तम प्रथाओं और ऑपरेशनल अनुभवों को साझा करने में मदद मिली। यह अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है और भारत की व्यापक एक्ट ईस्ट पॉलिसी का समर्थन करता है, जिसका मकसद दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ गहरे रक्षा और सुरक्षा जुड़ाव को बढ़ाना है।

EKUVERIN

एक्सरसाइज ओवरव्यू

भारत-मालदीव बाइलेटरल एक्सरसाइज EKUVERIN का 14वां एडिशन सालाना 2 दिसंबर से 15 दिसंबर तक केरल के तिरुवनंतपुरम में होगा। इंडियन आर्मी और मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्सेज के बीच होने वाली यह एक्सरसाइज मिलिट्री कोऑपरेशन और आपसी समझ को मजबूत करती है।

मकसद

- सेमी-अर्बन, जंगल और कोस्टल इलाकों में काउंटरइंसर्जेंसी और काउंटर-टेररिज्म ऑपरेशन्स में इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना।
- कोऑर्डिनेशन और एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए खास टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना।
- बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करना, जो भारत और मालदीव के रीजनल शांति और सिक्योरिटी के कमिटमेंट को दिखाता है।

महत्व

- "Ekuverin" का मतलब है 'दोस्त', जो दोनों देशों के बीच करीबी रिश्तों को दिखाता है।
- यह एक बाइलेटरल सालाना एक्सरसाइज है, जो भारत और मालदीव में बारी-बारी से होती है।

- एकुवेरिन भारत और मालदीव के बीच तीन बड़ी जॉइंट एक्सरसाइज में से एक है, इसके साथ ये भी हैं:
- एकाथा (दोनों देशों के बीच)
- दोस्ती (श्रीलंका के साथ तीन देशों के बीच)

सूर्यकिरण XIX – 2025

सालाना इंडिया-नेपाल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्यकिरण XIX – 2025 का 19वां एडिशन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ। यह एक्सरसाइज दो पड़ोसी देशों के बीच डिफेंस कोऑपरेशन फ्रेमवर्क का एक अहम हिस्सा है।

एक्सरसाइज के मकसद

UN मैंडेट के चैप्टर VII के तहत सब-कन्वेंशनल ऑपरेशन्स की रिहर्सल, जो इंटरनेशनल शांति और सिक्योरिटी से जुड़ा है।

बटालियन-लेवल की इंटरऑपरेबिलिटी को मज़बूत करना:

- जंगल युद्ध
- पहाड़ी इलाकों में काउंटर-टेररिज्म
- HADR (ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ)
- मेडिकल रिस्पॉन्स
- एनवायरनमेंटल कंज़र्वेशन
- इंटीग्रेटेड ग्राउंड-एविएशन ऑपरेशन

स्पेशल टेक्नोलॉजिकल फोकस (2025 एडिशन)

इस साल की एक्सरसाइज में खास और उभरती हुई डिफेंस टेक्नोलॉजी पर खास ज़ोर दिया गया है, जिसमें शामिल हैं:

- UAS (अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स)
- ड्रोन-बेस्ड ISR (इंटेलिजेंस, सर्विलांस एंड रिकॉनिसेंस)
- AI-इनेबल्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स
- अनमैन्ड लॉजिस्टिक व्हीकल्स
- आर्मर्ड प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म्स
- ये दोनों सेनाओं को बदलते ग्लोबल डायनामिक्स के हिसाब से काउंटर-टेरर ऑपरेशन्स के लिए टैक्टिक्स, टेक्निक्स और प्रोसीजर्स (TTPs) को बेहतर बनाने में मदद करेंगे।

एक्सरसाइज सूर्यकिरण के बारे में

- भारत और नेपाल में बारी-बारी से होने वाली सालाना बाइलेटरल एक्सरसाइज।
- किसी भी SAARC देश के साथ भारत की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज में से एक।
- पहला एडिशन 2011 में दो पिछली एक्सरसाइज को मिलाकर किया गया था:
- सूर्य किरण (भारत द्वारा)
- प्रतिकार (नेपाल द्वारा)

भारत-नेपाल डिफेंस संबंध

- गोरखा सैनिकों ने 200 से ज़्यादा सालों तक इंडियन आर्मी में सेवा दी है।
- नेपाल UN पीसकीपिंग मिशन में एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है।
- भारत नेपाली फोर्स को ट्रेनिंग, इक्विपमेंट और डिजास्टर रिलीफ सपोर्ट देता है।

UN चैप्टर VII

- शांति के लिए खतरों, शांति भंग करने और हमले के कामों के संबंध में एक्शन से डील करता है।
- इंटरनेशनल शांति और सिक्योरिटी बनाए रखने या बहाल करने के लिए फोर्स के इस्तेमाल को ऑथराइज करता है।

पिथौरागढ़ के बारे में

- उत्तराखंड के कुमाऊं इलाके में एक स्ट्रेटेजिक बॉर्डर ज़िला, जो इंडिया-नेपाल बॉर्डर के पास है।
- पहाड़ों पर लड़ाई और काउंटर-टेरर ट्रेनिंग के लिए बढ़िया।

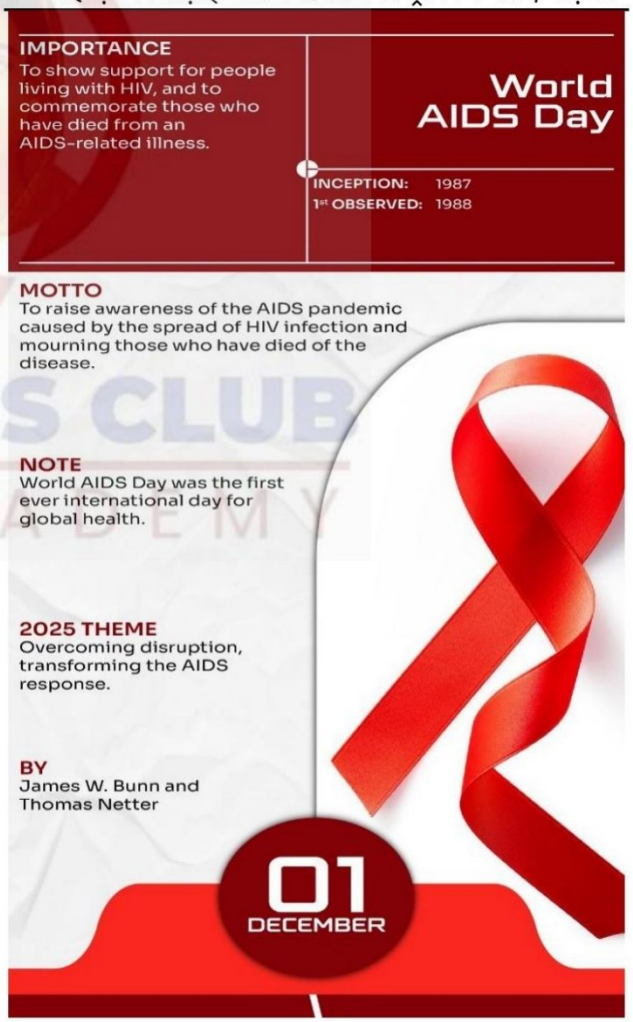

सामाजिक मुद्दे एवं योजनाएँ

NCW ने युवा रिसर्चर्स के लिए 'शक्ति स्कॉलर्स फेलोशिप' लॉन्च की

नेशनल कमीशन फॉर विमेन (NCW) ने 'शक्ति स्कॉलर्स फेलोशिप' लॉन्च की है, जो एक नई पहल है जिसका मकसद युवा रिसर्चर्स को महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर रिसर्च करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस फेलोशिप का मकसद भारत में महिलाओं के अधिकारों, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय से संबंधित सबूत-आधारित पॉलिसी बनाने और एकेडमिक रिसर्च को मजबूत करना है।

शक्ति स्कॉलर्स फेलोशिप के उद्देश्य

- महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर उच्च-गुणवत्ता वाली रिसर्च को बढ़ावा देना।
- जेंडर स्टडीज़ और पब्लिक पॉलिसी रिसर्च में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- महिलाओं से संबंधित कानूनों, योजनाओं और संस्थागत तंत्रों को बेहतर बनाने के लिए रिसर्च-आधारित इनपुट प्रदान करना।
- जेंडर-संवेदनशील रिसर्चर्स और पॉलिसी थिंकर्स का एक समूह बनाना।

नेशनल कमीशन फॉर विमेन (NCW) के बारे में

- NCW एक वैधानिक निकाय है जिसे नेशनल कमीशन फॉर विमेन एक्ट, 1990 के तहत स्थापित किया गया है।
- इसका गठन 1992 में हुआ था।
- NCW महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत काम करता है।

सरकार ने भारत टैक्सी लॉन्च की – ड्राइवरों के मालिकाना हक वाली राइड-हेलिंग पहल

भारत सरकार ने भारत टैक्सी लॉन्च की है, जो ड्राइवरों के मालिकाना हक वाला, कोऑपरेटिव-आधारित राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म है। इसका मकसद गिग इकॉनमी में ड्राइवरों के लिए सही इनकम, पारदर्शिता और भलाई सुनिश्चित करना है। यह पहल प्राइवेट राइड-हेलिंग एग्रीगेटर्स का एक स्वदेशी विकल्प देती है, जिसमें मालिकाना हक और फैसले लेने की शक्ति सीधे ड्राइवरों के हाथों में होती है।

संस्थागत और प्रशासनिक पहलू

इस पहल को सहकारिता मंत्रालय का समर्थन प्राप्त है।
इसे नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) के तकनीकी सहयोग से विकसित किया गया है। यह कोऑपरेटिव मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है।

कोऑपरेटिव मॉडल

ड्राइवर सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर नहीं, बल्कि सदस्य और मालिक भी हैं। कमीशन-आधारित मॉडल के विपरीत, मुनाफा ड्राइवर-सदस्यों के बीच बांटा जाता है। ड्राइवर फैसले लेने और गवर्नेंस में हिस्सा लेते हैं।

ऑपरेशनल फीचर्स

कम या ज़ीरो कमीशन को बढ़ावा देता है, जिससे ड्राइवरों की कमाई बढ़ती है। पारदर्शी किराया और न्यूनतम सर्ज प्राइसिंग सुनिश्चित करता है। सेवाओं में कार, ऑटो-रिक्शा और बाइक टैक्सी शामिल हैं।

आर्थिक और सामाजिक महत्व

सामाजिक सुरक्षा और काम की गरिमा के साथ गिग इकॉनमी को मज़बूत करता है। सहकारी उद्यमिता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। विदेशी स्वामित्व वाले राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म का घरेलू विकल्प प्रदान करता है।

नंदिनी कृषक समृद्धि योजना

नंदिनी कृषक समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख डेयरी विकास योजना है, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू किया गया है। इस योजना का मकसद किसानों की आय बढ़ाना, देसी मवेशियों की नस्लों को बढ़ावा देना और ग्रामीण डेयरी अर्थव्यवस्था को मज़बूत करना है।

योजना की मुख्य विशेषताएं

यह योजना नंद बाबा मिशन के तहत काम करती है, जो गाय संरक्षण, कल्याण और डेयरी-आधारित आजीविका पर केंद्रित है। लाभार्थियों का चयन एक पारदर्शी ई-लॉटरी सिस्टम के ज़रिए किया जाता है। सरकार आधुनिक डेयरी यूनिट स्थापित करने के लिए 50% वित्तीय सहायता (सब्सिडी) देती है। वित्तीय सहायता में इंफ्रास्ट्रक्चर, मवेशियों की खरीद और संबंधित डेयरी गतिविधियां शामिल हैं। यह योजना गिर, साहीवाल, थारपारकर और गंगातिरी जैसी देसी गायों की नस्लों के पालन को बढ़ावा देती है। उत्पादकता में सुधार के लिए सेक्स-सॉर्टेड सीमेन और आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन जैसे उन्नत प्रजनन सहायता को बढ़ावा दिया जाता है।

टेक्स-RAMPS स्कीम सरकार द्वारा लांच

भारत सरकार ने भारत के टेक्सटाइल इनोवेशन इकोसिस्टम को मज़बूत करने के लिए टेक्सटाइल-फोकस्ड रिसर्च, असेसमेंट, मॉनिटरिंग, प्लानिंग और स्टार्ट-अप स्कीम (टेक्स-RAMPS) को मंज़ूरी दे दी है।

केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री: गिरिराज सिंह द्वारा घोषित

- स्कीम का प्रकार: सेंट्रल सेक्टर स्कीम
- कुल खर्च: ₹305 करोड़
- अवधि: FY 2025-26 से 2030-31 (आने वाले फाइनेंस कमीशन साइकिल के साथ अलाइन्ड)

भारत के टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में

भारत की GDP में ~2.3% का योगदान देता है। 45 मिलियन से ज़्यादा डायरेक्ट जॉब्स देता है (एग्रीकल्चर के बाद दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर)। भारत दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल और क्लोदिंग एक्सपोर्टर है।

- मेजर टेक्सटाइल हब: सूरत, तिरुप्पुर, लुधियाना, पानीपत, वाराणसी, भीलवाड़ा।

संबंधित सरकारी स्कीम्स

- PM MITRA पार्क्स स्कीम – 7 इंटीग्रेटेड मेगा टेक्सटाइल पार्क्स।
- टेक्सटाइल्स के लिए PLI स्कीम – MMF अपैरल और टेक्निकल टेक्सटाइल्स पर फोकस।
- नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन (NTTM) – टेक्निकल टेक्सटाइल्स में इनोवेशन को बढ़ावा देता है।
- SAMARTH स्कीम – टेक्सटाइल सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट।

फाइनेंस कमीशन साइकिल का महत्व

Tex-RAMPS को FC साइकिल के साथ अलाइन किया गया है ताकि लॉन्ग-टर्म, स्टेबल फंडिंग सुनिश्चित हो सके।

रेयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम और ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की मंज़ूरी

1. कैबिनेट ने सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंज़ूरी दी

केंद्रीय कैबिनेट ने भारत में सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (REPM) की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ₹7,280 करोड़ की स्कीम को मंज़ूरी दी है। यह भारत की पहली इंटीग्रेटेड REPM मैन्युफैक्चरिंग पहल है, जिसका मकसद इम्पोर्ट पर निर्भरता कम करना और स्ट्रेटेजिक सेक्टर को मज़बूत करना है।

स्कीम की मुख्य बातें

- टारगेट कैपेसिटी: 6,000 मीट्रिक टन हर साल।
- प्रोजेक्ट का समय: 7 साल
- फैसिलिटी सेट अप करने के लिए 2 साल का जेस्टेशन पीरियड।
- बेनिफिशियरी: ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बिडिंग के ज़रिए चुनी गई 5 कंपनियाँ।

कवर किया गया प्रोसेस:

- रेयर अर्थ ऑक्साइड → मेटल
- मेटल → एलॉय
- एलॉय → फिनिश्ड मैग्नेट
- रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट का महत्व
- सबसे मज़बूत परमानेंट मैग्नेट में से एक।

मुख्य सेक्टर:

- इलेक्ट्रिक गाड़ियां (EVs)
- रिन्यूएबल एनर्जी (विंड टर्बाइन)
- एयरोस्पेस और डिफेंस
- कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स

भारत का REPM कंजम्पशन 2030 तक दोगुना होने की उम्मीद है। अभी, भारत काफी हद तक इम्पोर्ट पर निर्भर है, खासकर चीन पर।

उम्मीद के नतीजे

- ज़रूरी मटीरियल में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा।
- भारत के नेट ज़ीरो 2070 कमिटमेंट्स को सपोर्ट।
- एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी संख्या में रोज़गार पैदा करना।
- ज़रूरी मिनरल्स और ग्रीन ट्रांज़िशन टेक्नोलॉजी में भारत की ग्लोबल पोजीशन को मज़बूत करना।

2. कैबिनेट ने पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज़-2 को मंज़ूरी दी

- सरकार ने पुणे मेट्रो फेज़-2 के तहत लाइन 4 (खरडी–हडपसर–स्वरगेट–खड़कवासला) और लाइन 4A (नल स्टॉप–वारजे–माणिक बाग) को मंज़ूरी दे दी है। प्रोजेक्ट की खास बातें
- लागत: ₹9,857 करोड़
- पूरा होने का टाइमलाइन: 5 साल
- इस विस्तार से पुणे मेट्रो का नेटवर्क 100 km से आगे बढ़ जाएगा, जिससे सस्टेनेबल शहरी मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा।

फायदे

- ट्रैफिक जाम कम होगा।
- लास्ट-माइल कनेक्टिविटी बेहतर होगी।
- आर्थिक गतिविधियों और शहर के अंदर यात्रा को बढ़ावा मिलेगा।

3. CCEA ने ₹2,781 करोड़ के दो खास रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी

- आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (CCEA) ने दो बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी:
- देवभूमि द्वारका (ओखा) – कनालुस रेल लाइन
- लागत: ₹1,457 करोड़
- द्वारकाधीश मंदिर तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे सौराष्ट्र में धार्मिक पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- बदलापुर – कर्जत तीसरी और चौथी लाइन प्रोजेक्ट (महाराष्ट्र)
- लागत: ₹1,324 करोड़
- मुंबई सबअर्बन कॉरिडोर का हिस्सा; इससे भीड़ कम होगी और दक्षिणी भारत से कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

आम नतीजे

कुल नेटवर्क में बढ़ोतरी: गुजरात और महाराष्ट्र में 224 km।
यात्रियों की आवाजाही और माल ढुलाई की क्षमता में सुधार।

रेयर अर्थ एलिमेंट्स (REEs) के बारे में

भारत में दुनिया के रेयर अर्थ रिज़र्व का लगभग 6% हिस्सा है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु में है। IMC (इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड) और KMML रेयर अर्थ प्रोसेसिंग में भारत के बड़े प्लेयर हैं। चीन दुनिया भर में REPM प्रोडक्शन का लगभग 85–90% कंट्रोल करता है।

EV मिशन के लिए महत्व

REPMs (खासकर NdFeB मैग्नेट) का इस्तेमाल EV मोटर्स में किया जाता है; जो भारत के FAME-II और EV30@30 लक्ष्यों के लिए ज़रूरी हैं।

- भारत में मेट्रो प्रोजेक्ट्स
- भारत में अब 20 से ज़्यादा ऑपरेशनल मेट्रो सिस्टम हैं।
- पुणे मेट्रो को महामेट्रो (MAHA-METRO) चला रहा है, जो GoI और GoM का जॉइंट वेंचर है।

रेलवे का विस्तार

भारत का लक्ष्य 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का है, जिसमें ~70,000+ रूट km पहले ही इलेक्ट्रिफाइड हो चुके हैं।

मुंबई सबअर्बन नेटवर्क दुनिया के सबसे बिज़ी कम्यूटर नेटवर्क में से एक है (रोज़ाना ~7 मिलियन राइडर्स)।

लघु लेख

संचार साथी जाने विस्तार से: यह क्या है, यह क्या करता है, और यह विवादों में क्यों आया?

भारत ने मोबाइल फोन यूज़र्स को धोखाधड़ी, चोरी, स्कैम और उनके टेलीकॉम कनेक्शन के गलत इस्तेमाल से बचाने में मदद करने के लिए संचार साथी नाम की एक सरकारी पहल शुरू की है। इस नाम का सीधा सा मतलब है कम्युनिकेशन फ्रेंड, और इसका मकसद हर यूज़र को एक ऐसी जगह देना है जहाँ वे अपनी मोबाइल पहचान को सुरक्षित रूप से चेक और मैनेज कर सकें। हाल ही में, संचार साथी भारत में एक बड़ी बहस का केंद्र बन गया क्योंकि सरकार के एक निर्देश के अनुसार देश में बेचे जाने वाले सभी नए स्मार्टफ़ोन पर इसका मोबाइल ऐप अपने आप इंस्टॉल हो जाता। इससे प्राइवेसी, सुरक्षा, यूज़र की पसंद और सरकार डिजिटल टूल्स को अनिवार्य करने में कितनी दूर तक जा सकती है, इस बारे में एक बड़ी चर्चा शुरू हो गई।

संचार साथी क्या है?

संचार साथी मई 2023 में भारत के दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा चलाए जाने वाले एक वेब पोर्टल के रूप में शुरू हुआ। इसे आम मोबाइल यूज़र्स को फोन खोने, धोखाधड़ी, सिम के गलत इस्तेमाल और पहचान की चोरी जैसी आम समस्याओं से बचाने में मदद करने के लिए बनाया गया था। बाद में, जनवरी 2025 में, सरकार ने Android और iOS के लिए संचार साथी मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया, जिससे इन सेवाओं को स्मार्टफोन से एक्सेस करना आसान हो गया।

तो, यूज़र्स संचार साथी से दो तरीकों से फायदा उठा सकते हैं:

- वेब पोर्टल के ज़रिए — जिसे किसी भी ब्राउज़र पर एक्सेस किया जा सकता है,
- मोबाइल ऐप के ज़रिए — जिसे फोन पर डाउनलोड किया जा सकता है।

संचार साथी की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

संचार साथी प्लेटफॉर्म एक ही जगह पर कई उपयोगी टूल्स प्रदान करता है:

1. अपने नाम पर सभी मोबाइल नंबर चेक करें: आप अपनी पहचान का इस्तेमाल करके रजिस्टर्ड सभी सिम कार्ड देख सकते हैं। इससे आपको यह पता लगाने में मदद मिलती है कि किसी ने आपकी सहमति के बिना आपके नाम पर फोन नंबर या सिम तो नहीं लिया है।

2. खोए या चोरी हुए फोन को ब्लॉक करें: अगर आपका फोन खो गया है या चोरी हो गया है, तो संचार साथी आपको उस डिवाइस का IMEI नंबर (एक यूनिक 15-डिजिट पहचानकर्ता) ब्लॉक करने देता है। एक बार ब्लॉक होने के बाद, डिवाइस भारत में किसी भी नेटवर्क पर काम नहीं करेगा।

3. धोखाधड़ी वाले कॉल और मैसेज की रिपोर्ट करें: ऐप में चक्षु नाम का एक फीचर है, जो यूज़र्स को संदिग्ध कॉल, SMS, WhatsApp मैसेज, फ़िशिंग लिंक और अन्य टेलीकॉम स्कैम की रिपोर्ट करने देता है। इससे अधिकारियों को धोखाधड़ी के पैटर्न का पता लगाने में मदद मिलती है। 4. मोबाइल की प्रामाणिकता वेरिफाई करें: सेकंड-हैंड फोन खरीदने से पहले, यूज़र्स संचार साथी का इस्तेमाल करके यह चेक कर सकते हैं कि वह डिवाइस असली है या खो गया/चोरी हो गया है।

5. स्पैम और नुकसानदायक लिंक की रिपोर्ट करें: यूज़र्स स्पैम कॉल, अनचाहे कमर्शियल कॉल और मैसेज में आने वाले नुकसानदायक वेब लिंक की रिपोर्ट कर सकते हैं।

ये टूल्स संचार साथी को मोबाइल यूज़र्स के लिए एक वन-स्टॉप सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म बनाते हैं, खासकर ऐसे समय में जब फोन स्कैम और फ्रॉड तेज़ी से बढ़ रहे हैं।

सरकार हर फ़ोन में ऐप को पहले से इंस्टॉल क्यों करना चाहती थी?

नवंबर 2025 के आखिर में, टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने एक निर्देश जारी किया जिसमें सभी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों — जैसे Apple, Samsung, Xiaomi और अन्य — से कहा गया कि वे भारत में बेचे जाने वाले सभी नए फ़ोन में संचार साथी ऐप को पहले से इंस्टॉल करें। प्लान में यह भी कहा गया था कि यूज़र्स इस ऐप को हटा नहीं पाएंगे।

इसके पीछे का आइडिया आसान था:

इतने सारे मोबाइल स्कैम होने के कारण, सरकार ने तर्क दिया कि हर यूज़र के डिवाइस में पहले दिन से ही सुरक्षा के टूल्स होने चाहिए।

आधिकारिक डेटा के अनुसार, संचार साथी प्लेटफॉर्म ने पहले ही मदद की थी:

- लाखों खोए/चोरी हुए फ़ोन को ब्लॉक करने में,
- लाखों धोखाधड़ी वाले SIM कनेक्शन को बंद करने में,
- कई यूज़र्स को पोर्टल के ज़रिए संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने में मदद करने में।

इसलिए सरकार ने कहा कि ऐप को पहले से इंस्टॉल करने से पूरे भारत में मोबाइल सुरक्षा मज़बूत होगी — खासकर ऐसे देश में जहाँ 1.2 अरब से ज़्यादा मोबाइल यूज़र्स हैं।

इस कदम से विवाद क्यों हुआ?

सुरक्षा के लक्ष्यों के बावजूद, नए फ़ोन में ऐप को ज़बरदस्ती इंस्टॉल करने और उसे न हटाने लायक बनाने के प्रस्ताव से एक बड़ी सार्वजनिक बहस और अलग-अलग समूहों से विरोध हुआ:

1. प्राइवेसी की चिंताएँ: आलोचकों, डिजिटल अधिकार कार्यकर्ताओं और प्राइवेसी समर्थकों ने तर्क दिया कि हर डिवाइस पर सरकारी ऐप को ज़बरदस्ती इंस्टॉल करने से लोगों की प्राइवेसी का उल्लंघन हो सकता है और राज्य को बहुत ज़्यादा शक्ति मिल सकती है। उन्होंने कहा कि यूज़र्स के पास हमेशा यह तय करने का विकल्प होना चाहिए कि उनके फ़ोन में क्या है।
2. फ़ोन बनाने वालों का विरोध: कुछ स्मार्टफोन कंपनियों — खासकर Apple — ने कहा कि उनकी कंपनी की नीतियाँ बाहरी ऐप्स को डिफ़ॉल्ट रूप से इस तरह से इंस्टॉल करने की अनुमति नहीं देती हैं कि यूज़र्स उन्हें हटा न सकें। वैश्विक टेक नियमों और भारतीय विनियमों के बीच यह टकराव एक बड़ी समस्या बन गया।
3. सार्वजनिक हंगामा: कई यूज़र्स ने भी ऑनलाइन इस विचार की आलोचना की, यह कहते हुए कि अनिवार्य इंस्टॉलेशन सरकारी निगरानी जैसा लगता है, भले ही यह बताया गया इरादा न हो। आलोचकों ने इसकी तुलना दूसरे देशों की विवादास्पद सॉफ्टवेयर नीतियों से की।

आगे क्या हुआ? सरकार पीछे क्यूँ हट गई?

कड़े विरोध के कारण, सरकार ने दिसंबर 2025 की शुरुआत में अनिवार्य प्री-इंस्टॉलेशन ऑर्डर वापस ले लिया। अधिकारियों ने साफ किया कि:

- संचार साथी ऐप नए डिवाइस पर अनिवार्य नहीं होगा,
- यूज़र चाहें तो इसे डिलीट या अनइंस्टॉल कर सकते हैं,
- और कंपनियों को इसे अनडिलीट करने लायक बनाने की ज़रूरत नहीं होगी।
- केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद कहा कि यह ऐप साइबर सुरक्षा के लिए था, न कि निगरानी या जासूसी के लिए।

आखिरी विचार: सुरक्षा बनाम पसंद

- संचार साथी खुद मोबाइल यूज़र्स को धोखाधड़ी, चोरी और घोटालों से बचाने के लिए एक उपयोगी टूल बना हुआ है, जो बिना किसी कीमत के कई महत्वपूर्ण सुरक्षा सुविधाएँ प्रदान करता है।
- हालांकि, यह विवाद डिजिटल इंडिया में एक मुख्य तनाव को उजागर करता है - राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा लक्ष्यों को व्यक्तिगत गोपनीयता और यूज़र की स्वतंत्रता के साथ कैसे संतुलित किया जाए। सरकार का कहना है कि यह ऐप नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए है, जबकि आलोचकों को सहमति और व्यक्तिगत डिवाइस पर नियंत्रण के बारे में चिंता है।
- आखिर में, संचार साथी ऐप को अनिवार्य के बजाय वैकल्पिक बनाने का फैसला भविष्य में यूज़र की पसंद और मोबाइल सुरक्षा जागरूकता दोनों को बनाए रखने में मदद कर सकता है।

समानता की ओर एक कदम: सुप्रीम कोर्ट ने मां की जाति के आधार पर SC स्टेटस की इजाज़त दी

8 दिसंबर, 2025 को एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पुडुचेरी की एक नाबालिग लड़की को उसकी मां की जाति के आधार पर अनुसूचित जाति (SC) सर्टिफिकेट लेने की इजाज़त दी, भले ही उसके पिता SC समुदाय के नहीं थे। इस कदम से भविष्य में जाति प्रमाण पत्र जारी करने के तरीके पर असर पड़ सकता है, खासकर अंतर-जातीय विवाह से पैदा हुए बच्चों के लिए।

मामले में क्या हुआ?

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की बेंच ने पुष्टि की कि लड़की अपने पिता की जाति पर निर्भर रहने के बजाय अपनी मां की आदि द्रविड़ पहचान का इस्तेमाल करके अपना SC सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून को पूरी तरह से नहीं बदला, लेकिन उसने हाई कोर्ट के उस फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया जिसने लड़की को सर्टिफिकेट दिया था।

सुनवाई के दौरान, CJI ने एक सरल लेकिन शक्तिशाली सवाल पूछा:

"बदलते समय के साथ, जाति मां के साथ क्यों नहीं चलनी चाहिए?"

यह जाति विरासत के बारे में पारंपरिक मान्यताओं से संभावित बदलाव का संकेत था।

वर्तमान में कानून क्या कहता है?

भारत का संविधान अनुच्छेद 15 और 16 के तहत SC/ST समुदायों के लिए सकारात्मक कार्रवाई (जैसे शिक्षा और नौकरियों में सीटों का आरक्षण) की अनुमति देता है। लेकिन SC या ST के रूप में कौन योग्य है, यह अनुच्छेद 341 और 342 के तहत राष्ट्रपति के आदेशों के माध्यम से परिभाषित किया गया है, और ये सूचियां हर राज्य के लिए विशिष्ट हैं।

ऐतिहासिक रूप से, सरकारों और अदालतों ने एक सरल नियम का इस्तेमाल किया है:

- एक बच्चा आम तौर पर पिता की जाति विरासत में पाता है।
- यह आंशिक रूप से परंपरा और पुरानी कानूनी राय पर आधारित था, जिसमें 2003 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले (पुनीत राय) भी शामिल थे, जिसमें कहा गया था कि किसी भी वैधानिक कानून की अनुपस्थिति में, जाति सामान्य रूप से पिता के साथ चलेगी।
- हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि यह सिर्फ एक अनुमान है, कोई पक्का नियम नहीं है। इसका मतलब है कि अगर सबूत

अलग-अलग सामाजिक वास्तविकताओं को दिखाते हैं तो इसे चुनौती दी जा सकती है।

यह महत्वपूर्ण क्यों है?

रमेशभाई बनाम गुजरात राज्य जैसे पिछले मामलों में, अदालतों ने फैसला सुनाया कि जातिगत लाभ को विरासत में मिली संपत्ति की तरह नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि सामाजिक नुकसान और जीवन के अनुभव को संबोधित करना चाहिए - कि क्या किसी व्यक्ति ने SC समुदाय के सदस्यों द्वारा सामना किए जाने वाले समान नुकसान को सहा है। उन सिद्धांतों के तहत, अगर कोई बच्चा SC समुदाय में पला-बढ़ा है, उसे उस समुदाय की सामाजिक चुनौतियों का अनुभव हुआ है, और उसे उस समुदाय का हिस्सा माना जाता है, तो वह आरक्षण के फ़ायदों के लिए योग्य हो सकता है - भले ही पिता दूसरी जाति का हो।

इसे कैसे लागू किया जाएगा?

- इस खास मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश लड़की को सर्टिफिकेट देता है, जबकि बड़ा संवैधानिक सवाल अभी भी अनसुलझा है। इसका मतलब है:
- कोर्ट और अधिकारी अभी भी मानेंगे कि बच्चों की जाति उनके पिता की होती है, जब तक कि कोई मजबूत सबूत इसके खिलाफ न हो।
- लेकिन खास परिस्थितियों में, बच्चे अपनी माँ की जाति के आधार पर SC सर्टिफिकेट ले सकते हैं, खासकर जब सबूत दिखाते हैं कि उनका पालन-पोषण उस समुदाय के माहौल में हुआ है।

स्थानीय अधिकारी — जैसे तहसीलदार और सर्टिफिकेट वैलिडिटी कमेटियाँ — अब शायद इन सबूतों का आकलन करेंगे:

- माँ के समुदाय में पालन-पोषण का सबूत,
- सामने आई सामाजिक और शैक्षिक परेशानियाँ,
- समुदाय की स्वीकार्यता और असल ज़िंदगी के अनुभव।

परिणाम और व्यापक प्रभाव

कोर्ट का फैसला तुरंत सभी जाति कानूनों को नहीं बदलता है, लेकिन यह ऐसे और मामलों के लिए रास्ता खोलता है जहाँ माँ की जाति पर विचार किया जा सकता है। यह खासकर अंतर-जातीय विवाह से पैदा हुए बच्चों और अकेली माँओं के लिए प्रासंगिक है, जिन्हें पुराने नियम के तहत अपने बच्चों के लिए जाति प्रमाण पत्र हासिल करने में संघर्ष करना पड़ता है।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला जाति निर्धारण में समानता और लैंगिक समानता की दिशा में एक कदम का संकेत देता है। हालाँकि, अंतिम कानूनी परीक्षा इस बात पर निर्भर करेगी कि निचली अदालतें और सर्टिफिकेट अधिकारी भविष्य के आवेदनों में इस फैसले की व्याख्या कैसे करते हैं।

संक्षेप में:

- पिता की जाति अभी भी डिफ़ॉल्ट नियम है,
- लेकिन यह नियम एक अनुमान है, पूर्ण नहीं,
- और खास परिस्थितियों में, अब एक बच्चा माँ की जाति के माध्यम से SC सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत शामिल किया

इंडियन कोस्ट गार्ड (ICG) ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) में अपना पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया और बनाया गया प्रदूषण नियंत्रण पोत (PCV) शामिल किया है। यह शामिल होना समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया, पर्यावरण संरक्षण और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

प्रदूषण नियंत्रण पोत की मुख्य विशेषताएं

- तेल रिसाव जैसे समुद्री प्रदूषण का पता लगाने, नियंत्रित करने और कम करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया
- आधुनिक प्रदूषण प्रतिक्रिया उपकरण और उन्नत नेविगेशन सिस्टम से लैस
- खोज और बचाव, आपदा प्रतिक्रिया और समुद्री कानून प्रवर्तन अभियानों का समर्थन करने में सक्षम
- भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया

रणनीतिक महत्व

- समुद्री प्रदूषण की घटनाओं के खिलाफ भारत की तैयारी को बढ़ाता है
- तटीय सुरक्षा वास्तुकला को मजबूत करता है
- समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के स्थायी उपयोग और संरक्षण का समर्थन करता है
- इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में कार्य करता है

इंडियन कोस्ट गार्ड

- स्थापना: 1978
- महानिदेशक: परमेश शिवमणि
- रक्षा मंत्रालय के तहत संचालित होता है
- समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और खोज और बचाव के लिए जिम्मेदार

प्रदूषण नियंत्रण पोत (PCVs)

- PCVs विशेष जहाज हैं जिन्हें तेल और रासायनिक रिसाव प्रतिक्रिया को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है
- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्रदूषण सम्मेलनों के अनुपालन के लिए महत्वपूर्ण
- लंबी तटरेखा और बड़े EEZ वाले देशों के लिए आवश्यक

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL)

- रक्षा मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का शिपयार्ड
- नौसेना और तटरक्षक बल के लिए स्वदेशी जहाज निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है
- रक्षा उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता का समर्थन करता है
- स्थापना: 1957 में एस्टेलेइरोस नवाइस डी गोवा के रूप में
- अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक: ब्रजेश कुमार उपाध्याय

नौरादेही (वीरांगना दुर्गावती) टाइगर रिज़र्व मध्य प्रदेश में तीसरा चीता आवास बनेगा

मध्य प्रदेश सरकार ने वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिज़र्व, जिसे पहले नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य के नाम से जाना जाता था, को राज्य में तीसरे चीता आवास के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। यह कदम भारत के चल रहे चीता पुनर्प्रवेश और संरक्षण कार्यक्रम को मज़बूत करता है।

मध्य प्रदेश में मौजूदा चीता आवास

- कूनो नेशनल पार्क – भारत का पहला चीता पुनर्प्रवेश स्थल।
- गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य – दूसरा अधिसूचित चीता आवास।
- वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिज़र्व – प्रस्तावित तीसरा आवास।

वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिज़र्व के बारे में

- पहले इसे नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य के नाम से जाना जाता था।
- यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है।
- यह सागर, दमोह, नरसिंहपुर और रायसेन सहित कई जिलों में फैला हुआ है।
- इसमें घास के मैदान और शुष्क पर्णपाती वन हैं, जो चीतों के लिए उपयुक्त हैं।
- हाल ही में इसे टाइगर रिज़र्व के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिससे इसकी सुरक्षा स्थिति मज़बूत हुई है।

प्रोजेक्ट चीता – पृष्ठभूमि

- प्रोजेक्ट चीता का लक्ष्य 1950 के दशक में विलुप्त होने के बाद भारत में चीतों को फिर से लाना है।
- एक व्यवहार्य आबादी स्थापित करने के लिए चीतों को अफ्रीकी देशों से लाया जा रहा है।
- यह परियोजना आवास बहाली, शिकार आधार प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी पर केंद्रित है।
- भारत एकमात्र ऐसा देश है जो चीतों के अंतरमहाद्वीपीय पुनर्प्रवेश का प्रयास कर रहा है।

अतिरिक्त तथ्य

- चीते खुले घास के मैदानों और सवाना-प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र को पसंद करते हैं।
- उन्हें वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के तहत सूचीबद्ध किया गया है।
- घास के मैदान भारत में सबसे अधिक खतरे वाले पारिस्थितिकी तंत्र में से हैं।
- वन्यजीव गलियारे जीन प्रवाह और जानवरों की आवाजाही के लिए आवश्यक हैं।
- भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट चीता जैसे कई प्रमुख संरक्षण कार्यक्रम हैं।

विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 प्रदान किए

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में 24 जाने-माने वैज्ञानिकों और इनोवेटर्स को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 प्रदान किए। ये पुरस्कार कई क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हैं।

राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के बारे में

- राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार (RVP) भारत सरकार द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्टता को सम्मानित करने के लिए स्थापित एक राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है।
- इन पुरस्कारों का उद्देश्य देश में अनुसंधान, नवाचार और वैज्ञानिक उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देना है।
- यह विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में योगदान को मान्यता देता है और यह पुराने अलग-अलग विज्ञान पुरस्कारों की जगह लेने वाला एक पुनर्गठित ढांचा है।

राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 की श्रेणियां

विज्ञान रत्न पुरस्कार:

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आजीवन उपलब्धि के लिए सर्वोच्च सम्मान।
- 2025 में, यह पुरस्कार प्रसिद्ध खगोल भौतिक विज्ञानी और विज्ञान लोकप्रिय बनाने वाले प्रो. जयंत विष्णु नार्लीकर को मरणोपरांत दिया गया।

विज्ञान श्री पुरस्कार:

कृषि, परमाणु ऊर्जा, जैविक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इंजीनियरिंग, पर्यावरण विज्ञान, गणित और कंप्यूटर विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे विशिष्ट वैज्ञानिक क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान को मान्यता देता है।

विज्ञान युवा पुरस्कार:

विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में असाधारण अनुसंधान उपलब्धियों के लिए युवा वैज्ञानिकों को दिया जाता है।

विज्ञान टीम पुरस्कार:

- महत्वपूर्ण प्रभाव वाले सहयोगी योगदान के लिए वैज्ञानिकों/इनोवेटर्स की टीमों को दिया जाता है।
- 2025 में, यह पुरस्कार CSIR-अरोमा मिशन टीम को दिया गया, जिसे सुगंधित फसलों की खेती और संबंधित नवाचारों को आगे बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है।

अतिरिक्त उपयोगी मुख्य तथ्य:

प्रो. जयंत विष्णु नार्लीकर

- प्रसिद्ध भारतीय खगोल भौतिक विज्ञानी जो ब्रह्मांड विज्ञान में अपने काम के लिए जाने जाते हैं।
- ब्रह्मांड विज्ञान के वैकल्पिक सिद्धांतों और विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में योगदान दिया।

CSIR-अरोमा मिशन

- सुगंधित फसलों की खेती पर केंद्रित, विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्रों में लैवेंडर पर।
- कृषि-उद्यमिता को बढ़ावा देता है और ग्रामीण आजीविका को बढ़ाता है।
- यह दर्शाता है कि वैज्ञानिक अनुसंधान सामाजिक-आर्थिक विकास को कैसे आगे बढ़ा सकता है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 - पुरस्कार विजेता
- विज्ञान रत्न (जीवन भर की उपलब्धि के लिए सर्वोच्च सम्मान)
- प्रो.जयंत विष्णु नार्लीकर (मरणोपरांत) – भौतिकी
- विज्ञान श्री (विशिष्ट वैज्ञानिक योगदान)
- डॉ. ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह- कृषि विज्ञान
- डॉ. यूसुफ मोहम्मद शेख - परमाणु ऊर्जा
- डॉ. के थंगराज - जैविक विज्ञान
- प्रो. प्रदीप थलप्पिल - रसायन विज्ञान
- प्रो. अनिरुद्ध भालचंद्र पंडित - इंजीनियरिंग विज्ञान
- डॉ. एस वेंकट मोहन - पर्यावरण विज्ञान
- प्रो. महान एमजे - गणित और कंप्यूटर विज्ञान
- श्री जयन एन - अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

विज्ञान युवा - शांति स्वरूप भटनागर श्रेणी (युवा वैज्ञानिक)

- प्रो. अमित कुमार अग्रवाल - भौतिकी
- प्रोफेसर सुरहुद श्रीकांत मोरे - भौतिकी
- डॉ. जगदीस गुप्ता कपुगंती - कृषि विज्ञान
- डॉ. सतेंद्र कुमार मंगरौठिया- कृषि विज्ञान
- डॉ. दीपा अगाशे - जैविक विज्ञान
- श्री देबार्का सेनगुप्ता - जैविक विज्ञान
- डॉ. दिब्येंदु दास – रसायन विज्ञान
- डॉ. वलीउर रहमान - पृथ्वी विज्ञान
- प्रोफेसर अर्कप्रवा बसु - इंजीनियरिंग विज्ञान
- प्रो. सब्यसाची मुखर्जी - गणित और कंप्यूटर विज्ञान
- प्रोफेसर श्वेता प्रेम अग्रवाल - गणित और कंप्यूटर विज्ञान
- डॉ. सुरेश कुमार- मेडिसिन
- श्री अंकुर गर्ग - अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- प्रो. मोहनशंकर शिवप्रकाशम - प्रौद्योगिकी और नवाचार

विज्ञान टीम पुरस्कार (टीम पुरस्कार)

टीम - अरोमा मिशन, सीएसआईआर - कृषि विज्ञान

अमेरिका ने नोवो नॉर्डिस्क की ओरल वेट-लॉस पिल को मंज़ूरी दी

यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (US FDA) ने डेनिश फार्मास्युटिकल कंपनी नोवो नॉर्डिस्क द्वारा विकसित एक ओरल वेट-लॉस पिल को मंज़ूरी दे दी है, जो मोटापे के इलाज में एक बड़ी सफलता है। इस पिल में सेमाग्लूटाइड होता है, जो पहले मुख्य रूप से इंजेक्शन के रूप में उपलब्ध था, और यह लंबे समय

तक वज़न कंट्रोल के लिए टैबलेट-आधारित विकल्प प्रदान करता है।

यह मंज़ूरी क्यों महत्वपूर्ण है

- बेहतर पहुंच: ओरल टैबलेट इंजेक्शन की तुलना में लेना आसान होता है, जिससे मरीज़ों को आसानी होती है
- सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रासंगिकता: मोटापा मधुमेह और हृदय रोग जैसे गैर-संक्रामक रोगों के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है
- फार्मास्युटिकल इनोवेशन: यह दवा वितरण प्रणालियों और पुरानी बीमारियों के प्रबंधन में प्रगति को दर्शाता है
- वैश्विक बाज़ार पर प्रभाव: यह तेज़ी से बढ़ते मोटापे की देखभाल के बाज़ार में नोवो नॉर्डिस्क की स्थिति को मज़बूत करता है

यह दवा कैसे काम करती है

- सेमाग्लूटाइड GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट वर्ग से संबंधित है
- यह भूख को कम करता है, पेट भरा हुआ महसूस कराता है और पाचन को धीमा करता है
- मूल रूप से टाइप-2 मधुमेह के प्रबंधन के लिए विकसित किया गया था

मोटापे की परिभाषा:

- बॉडी मास इंडेक्स (BMI) ≥ 30 → मोटापा
- BMI 25–29.9 → अधिक वज़न

नियामक निकाय:

- US FDA: संयुक्त राज्य अमेरिका में दवाओं और चिकित्सा उत्पादों को मंज़ूरी देता है
- भारत का दवा नियामक: सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO)

इसरो कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक-2 लॉन्च करेगा

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) एक कमर्शियल एग्रीमेंट के तहत LVM3 लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करके ब्लू बर्ड ब्लॉक-2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करेगा, जिसका मकसद सीधे सैटेलाइट से स्मार्टफोन ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देना है।

मुख्य बातें

- लॉन्चिंग एजेंसी: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)
- सैटेलाइट का नाम: ब्लू बर्ड ब्लॉक-2
- सैटेलाइट का प्रकार: कम्युनिकेशन सैटेलाइट
- ऑर्बिट: लो अर्थ ऑर्बिट (LEO)
- लॉन्च व्हीकल: लॉन्च व्हीकल मार्क-III (LVM3)
- लॉन्च साइट: सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा
- मिशन का प्रकार: कमर्शियल लॉन्च मिशन
- कमर्शियल पार्टनर: AST SpaceMobile (USA)
- भारतीय कमर्शियल शाखा: न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL)

मिशन का उद्देश्य

- बिना किसी खास ग्राउंड इक्विपमेंट के सीधे सैटेलाइट से मोबाइल फोन कनेक्टिविटी देना।
- दूरदराज और कम सुविधा वाले इलाकों में वॉयस, डेटा और ब्रॉडबैंड सेवाओं को सपोर्ट करना।
- ग्लोबल कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट में भारत की स्थिति को मजबूत करना।

मिशन का महत्व

- भारी-भरकम कमर्शियल लॉन्च में ISRO की क्षमता को दिखाता है।
- अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में बढ़ते अंतरराष्ट्रीय सहयोग को उजागर करता है।
- अगली पीढ़ी के स्पेस-बेस्ड सेलुलर ब्रॉडबैंड नेटवर्क के विस्तार को सपोर्ट करता है।
- दुनिया भर में डिजिटल डिवाइड को पाटने में योगदान देता है।

US-रूस जॉइंट मिशन: सोयुज MS-28 लॉन्च

US-रूस के तीन सदस्यों वाले क्रू ने सोयुज MS-28 स्पेसक्राफ्ट पर सवार होकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) के लिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया है।

- लॉन्च व्हीकल: सोयुज बूस्टर रॉकेट
- लॉन्च साइट: बैकोनूर कॉस्मोड्रोम, कजाकिस्तान

क्रू मेंबर्स:

- क्रिस विलियम्स (NASA एस्ट्रोनॉट) – पहली स्पेसफ्लाइट
- सर्गेई मिकेव (रोस्कोस्मोस) – पहली स्पेसफ्लाइट
- सर्गेई कुड-स्वेरचकोव (रोस्कोस्मोस) – दूसरी स्पेसफ्लाइट
- मिशन ड्यूरेशन: ISS पर ~8 महीने

यह मिशन जियोपॉलिटिकल टेंशन के बावजूद स्पेस एक्सप्लोरेशन में US-रूस के चल रहे कोऑपरेशन को हाईलाइट करता है। क्रू ISS पर साइंटिफिक रिसर्च, मेंटेनेंस टास्क और टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन में सपोर्ट करेगा।

सोयुज स्पेसक्राफ्ट के बारे में

रोस्कोस्मोस (रूस की स्पेस एजेंसी) द्वारा ऑपरेट किया जाता है। हाई रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है और 1960 के दशक से इस्तेमाल किया जा रहा है। 3 एस्ट्रोनॉट्स ले जा सकता है।
लॉन्च साइट: बैकोनूर कॉस्मोड्रोम, जिसे रूस ने कज़ाकिस्तान से लीज़ पर लिया है।

ISS के बारे में

NASA (USA), रोस्कोस्मोस (रूस), ESA (यूरोप), JAXA (जापान), और CSA (कनाडा) का एक जॉइंट प्रोजेक्ट।
पहला मॉड्यूल 1998 में लॉन्च किया गया था। लगभग 400 km ऊंचाई पर पृथ्वी का चक्कर लगाता है। हर दिन ~16 चक्कर पूरे करता है।

NASA–रोस्कोस्मोस कोऑपरेशन

तनाव के बावजूद, दोनों एजेंसियां ISS पर लगातार इंसानों की मौजूदगी बनाए रखने के लिए क्रू एक्सचेंज एग्रीमेंट जारी रखे हुए हैं। रिडन्डेंसी पक्का करता है: NASA के एस्ट्रोनॉट्स सोयुज पर उड़ सकते हैं, और रूसी स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन पर उड़ सकते हैं।

ISS से जुड़े हालिया फैक्ट्स

भारत का पहला एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम: गगनयान, जिसे ISRO लीड कर रहा है। NASA के आर्टेमिस प्रोग्राम का मकसद 2020 के मध्य तक इंसानों को चांद पर वापस भेजना है। ISS के 2030 तक चालू रहने की उम्मीद है, जिसके बाद NASA कमर्शियल स्पेस स्टेशन पर शिफ्ट होने का प्लान बना रहा है।

PM ने स्काईरूट के इनफिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया और भारत के प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-I को पेश किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्काईरूट एयरोस्पेस के इनफिनिटी कैंपस का उद्घाटन करेंगे, जो प्राइवेट सेक्टर के स्पेस इनोवेशन के लिए एक बड़ी फैसिलिटी है। PM स्काईरूट के पहले ऑर्बिटल-क्लास लॉन्च व्हीकल विक्रम-I को भी पेश करेंगे, जो लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में सैटेलाइट्स को डिप्लॉय करने में सक्षम है।

1. स्काईरूट के इनफिनिटी कैंपस के बारे में

- जगह: हैदराबाद, तेलंगाना
- प्रोडक्शन कैपेसिटी: हर महीने 1 ऑर्बिटल रॉकेट बनाने की क्षमता — भारत की प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री के लिए पहली बार।
- यह फैसिलिटी भारत के प्राइवेट स्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

2. विक्रम-I ऑर्बिटल रॉकेट के बारे में

- टाइप: किसी भारतीय प्राइवेट कंपनी का पहला ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल।
- डेवलपर: स्काईरूट एयरोस्पेस
- कैपेबिलिटी: LEO में कई छोटे सैटेलाइट ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया।
- महत्व: ग्लोबल छोटे-सैटेलाइट लॉन्च मार्केट में भारत की प्रेजेंस को बढ़ाता है।

3. स्काईरूट एयरोस्पेस के बारे में

- फाउंडर: पवन चंदना एवं भारत डाका
- शुरू: 2018

खास कामयाबी:

- नवंबर 2022 में विक्रम-S (सब-ऑर्बिटल मिशन) लॉन्च किया।
- स्पेस में रॉकेट लॉन्च करने वाली पहली भारतीय प्राइवेट कंपनी बनी।
- भारत के स्पेस-सेक्टर लिबरलाइज़ेशन रिफॉर्म्स (2020 के बाद) की सफलता को दिखाता है।

गैवी और यूनिसेफ ने R21/मैट्रिक्स-M मलेरिया वैक्सीन तक पहुंच बढ़ाने के लिए नया एग्रीमेंट साइन किया – सरकारी एग्जाम फॉर्मेट

गैवी, वैक्सीन अलायंस, और यूनिसेफ ने मिलकर एक नए प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट की घोषणा की है, जिसका मकसद R21/मैट्रिक्स-M मलेरिया वैक्सीन को और सस्ता और आसान बनाना है, खासकर मलेरिया से प्रभावित देशों के लिए। इस पहल से दुनिया भर में मलेरिया की रोकथाम के प्रोग्राम काफी मजबूत होने की उम्मीद है।

R21/मैट्रिक्स-M और RTS,S/AS01 वैक्सीन के बारे में WHO प्रीक्वालिफिकेशन

WHO ने दो मलेरिया वैक्सीन को प्रीक्वालिफिकेशन दिया है:
R21/मैट्रिक्स-M – यूनिवर्सिटी ऑफ़ ऑक्सफ़ोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया (SII) द्वारा डेवलप की गई, जिसमें नोवावैक्स के मैट्रिक्स-M एडजुवेंट का इस्तेमाल किया गया है।
RTS,S/AS01 – GSK, PATH, और पार्टनर्स द्वारा डेवलप की गई।

इफिकेसी (फेज़ 3 ट्रायल्स)

दोनों वैक्सीन:

पहले साल में मलेरिया के मामलों में 50% से ज़्यादा की कमी।
ज़्यादा फैलने वाले इलाकों में मौसम के हिसाब से इस्तेमाल करने पर ~75% सुरक्षा देता है।
दूसरे साल में चौथी बूस्टर डोज़ सुरक्षा को बढ़ाती है।

Gavi और UNICEF की भूमिका

Gavi की भूमिका

खरीद, लॉजिस्टिक्स और मार्केट को आकार देने में मदद करता है। मलेरिया वैक्सीन को नेशनल इम्यूनाइज़ेशन प्रोग्राम में शामिल करता है। 24 अफ़्रीकी देशों में 40 मिलियन से ज़्यादा डोज़ पहले ही सप्लाई की जा चुकी हैं, जो दुनिया भर में मलेरिया के बोझ का 70% से ज़्यादा हिस्सा कवर करती हैं।

UNICEF की भूमिका

दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन खरीदार, जो हर साल 3 बिलियन+ डोज़ देता है। सबसे अच्छी कीमत दिलाने और सप्लाई में स्थिरता पक्का करने के लिए वैक्सीन बनाने वालों के साथ जुड़ता है।

ग्लोबल हेल्थ का महत्व

- मलेरिया से हर साल लगभग 500,000 बच्चे मरते हैं, ज़्यादातर अफ़्रीका में (WHO)।
- सस्ती मलेरिया वैक्सीन की शुरुआत मलेरिया खत्म करने की स्ट्रैटेजी में एक अहम मोड़ है।
- UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3: अच्छी हेल्थ और सेहत की तरफ़ तरक्की में मदद करता है।

R21 मलेरिया वैक्सीन के बारे में

इसे दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन प्रोड्यूसर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया ने बड़े पैमाने पर बनाया है। पहले की मलेरिया वैक्सीन के मुकाबले ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी हासिल की है, जिससे ग्लोबल डिमांड को पूरा करने में मदद मिली है।

संस्कृति एवं इतिहास

लुम्बिनी में भारत-नेपाल सांस्कृतिक महोत्सव शुरू

तीसरा भारत-नेपाल सांस्कृतिक महोत्सव नेपाल के लुम्बिनी में शुरू हुआ, जिसका आयोजन संयुक्त रूप से इन संस्थाओं ने किया:

- भारतीय दूतावास (काठमांडू)
- भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR)
- लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय

यह महोत्सव भारत और नेपाल के बीच साझा बौद्ध विरासत को उजागर करता है, जिससे लोगों के बीच जुड़ाव और सांस्कृतिक कूटनीति मजबूत होती है। लुम्बिनी—गौतम बुद्ध का जन्मस्थान—दोनों देशों के बीच सभ्यतागत बंधन का एक प्रमुख प्रतीक है।

1. सांस्कृतिक महोत्सव का महत्व

- यह भारत-नेपाल सांस्कृतिक महोत्सव का तीसरा संस्करण है।
- स्थान: लुम्बिनी, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल।
- उद्देश्य: साझा बौद्ध विरासत, शैक्षणिक आदान-प्रदान और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना।

2. मुख्य आयोजक

- काठमांडू में भारतीय दूतावास
- ICCR (भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद) – विदेश मंत्रालय के तहत
- लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, नेपाल

3. संगोष्ठी की मुख्य बातें

एक विशेष संगोष्ठी इन विषयों पर केंद्रित है:

- बौद्ध मूल्य: मेत्ता (प्रेम-दया), शांति, करुणा, धर्म (धार्मिकता)
- शैक्षणिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान
- बौद्ध कूटनीति के माध्यम से भारत-नेपाल मित्रता को मजबूत करना

4. व्यापक सांस्कृतिक संदर्भ

भारत के बौद्ध सर्किट में शामिल हैं:

- बोधगया (ज्ञान प्राप्ति)
- सारनाथ (पहला उपदेश)
- कुशीनगर (महापरिनिर्वाण)
- लुम्बिनी (नेपाल) बुद्ध के जन्मस्थान के रूप में इसे पूरा करता है, जिससे सीमा पार बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा मिलता है।

भारत के बाहर प्रमुख बौद्ध स्थल:

- लुम्बिनी (नेपाल)
- अनुराधापुरा (श्रीलंका)
- बामियान (अफगानिस्तान)

ICCR – मुख्य तथ्य

- स्थापना: 1950
- मुख्यालय: नई दिल्ली
- इसके तहत काम करता है: विदेश मंत्रालय (MEA)
- उद्देश्य: सांस्कृतिक कूटनीति, छात्रवृत्तियाँ, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, विदेशों में त्योहार।
- लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय
- स्थापना: 2004
- फोकस: बौद्ध अध्ययन, मठवासी शिक्षा, विरासत अनुसंधान।

पीएम मोदी को 'ऑर्डर ऑफ़ ओमान' से सम्मानित किया गया: भारत-ओमान रणनीतिक साझेदारी को मज़बूत करना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने उनकी दूरदर्शी लीडरशिप और भारत-ओमान द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने में उनके बेहतरीन योगदान के लिए ओमान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ़ ओमान' से सम्मानित किया। यह पुरस्कार प्रधानमंत्री की मस्कट यात्रा के दौरान दिया गया, जो दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती को दिखाता है। इस यात्रा का खास महत्व था क्योंकि भारत और ओमान राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, जो एक लंबे समय से चली आ रही सभ्यतागत, सांस्कृतिक और आर्थिक साझेदारी को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने यह सम्मान दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों और लोगों के बीच के रिश्तों को समर्पित किया।

भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA)

- इस यात्रा का एक बड़ा नतीजा भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) पर हस्ताक्षर करना था, जो द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग में एक मील का पत्थर है।
- इस समझौते का मकसद व्यापार, निवेश, श्रम गतिशीलता और सप्लाई चेन इंटीग्रेशन को बढ़ाना है।
- CEPA लगभग 20 साल के अंतराल के बाद ओमान का दूसरा द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है, जो भारत के रणनीतिक महत्व को दिखाता है।
- इससे रोज़गार के अवसर पैदा होने, बाज़ार तक पहुंच बेहतर होने और अनुमानित व्यापार नियमों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- इस समझौते पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ओमान के वाणिज्य, उद्योग और निवेश संवर्धन मंत्री, कैस अल यूसुफ ने दोनों नेताओं की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए।

ओमान:

- राजधानी: मस्कट
- मुद्रा: ओमानी रियाल
- समुद्री सहयोग: ओमान दुक्म बंदरगाह पर भारतीय नौसेना को पहुंच प्रदान करता है, जिससे भारत की समुद्री सुरक्षा पहुंच बढ़ती है

पीएम नरेंद्र मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा के दौरान इथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, "ग्रेट ऑनर निशान ऑफ़ इथियोपिया" प्रदान किया गया। यह सम्मान इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने अदीस अबाबा में पीएम मोदी के भारत-इथियोपिया द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में योगदान और उनके वैश्विक नेतृत्व की पहचान के रूप में प्रदान किया।

भारत-इथियोपिया संबंध:

- भारत और इथियोपिया के बीच लंबे समय से ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध हैं।
- इथियोपिया में विदेशी निवेश के सबसे बड़े स्रोतों में से एक भारत है।
- सहयोग व्यापार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी तक फैला हुआ है।
- भारत इथियोपिया को विकास सहायता, लाइन ऑफ़ क्रेडिट और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है।
- अदीस अबाबा अफ्रीका में एक प्रमुख राजनयिक केंद्र है।

इथियोपिया:

- राजधानी: अदीस अबाबा
- राष्ट्रपति: ताये अत्स्के सेलासी
- प्रधानमंत्री: अबी अहमद
- मुद्रा: बिर

अनंत अंबानी को वन्यजीव संरक्षण के लिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवॉर्ड मिला

अनंत अंबानी को ग्लोबल ह्यूमेन सोसाइटी द्वारा पशु कल्याण के लिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है, जिससे वह यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाले सबसे कम उम्र के और पहले एशियाई बन गए हैं। उन्हें गुजरात के जामनगर में स्थित एक बड़े पैमाने पर वन्यजीव बचाव, पुनर्वास और संरक्षण पहल, वंतारा की स्थापना में उनके नेतृत्व के लिए यह पुरस्कार मिला। वंतारा ने पशु कल्याण, पारिस्थितिकी तंत्र बहाली और लुप्तप्राय प्रजातियों की देखभाल के लिए अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। यह मॉडल आधुनिक पशु चिकित्सा पद्धतियों, आवास बहाली तकनीकों और दीर्घकालिक पुनर्वास ढांचे को एकीकृत करता है, जो भारत को वन्यजीव संरक्षण में एक उभरते वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करता है। यह पुरस्कार भारत के संरक्षण प्रयासों की वैश्विक प्रासंगिकता और राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्यों का समर्थन करने में निजी क्षेत्र की पहलों की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डालता है।

अतिरिक्त उपयोगी मुख्य तथ्य

ग्लोबल ह्यूमेन सोसाइटी अमेरिकन ह्यूमेन सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग है, जो 1877 में स्थापित दुनिया के सबसे पुराने पशु-कल्याण निकायों में से एक है। वंतारा लगभग 3,500 एकड़ में फैला है और विश्व स्तर पर सबसे बड़ी एकीकृत वन्यजीव बचाव और संरक्षण सुविधाओं में से एक है। वंतारा को हाल ही में पशु देखभाल, आवास गुणवत्ता, पशु चिकित्सा पद्धतियों, पोषण, संवर्धन और कल्याण में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए ग्लोबल ह्यूमेन सर्टिफाइड™ विशिष्टता प्राप्त हुई है।

यह दोहरे संरक्षण दृष्टिकोण पर कार्य करता है:

- बाह्य-स्थान देखभाल – बचाव, उपचार, पुनर्वास, कृत्रिम आवास।
- स्व-स्थान संरक्षण समर्थन – प्रजाति संरक्षण, पुनर्वनीकरण, पारिस्थितिकी तंत्र पुनरुद्धार।
- वंतारा की हाथी कल्याण पहलों (राधे कृष्ण मंदिर हाथी कल्याण ट्रस्ट के माध्यम से) को पहले कॉर्पोरेट श्रेणी में भारत का राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार मिला था।
- यह पुरस्कार भारतीय संरक्षण नेतृत्व के लिए एक मील का पत्थर है, जो वैश्विक मानकों के अनुरूप अधिक वैज्ञानिक, बड़े पैमाने पर जैव विविधता पहलों को प्रोत्साहित करता है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2023 और 2024 प्रदान किए

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2023 और 2024 प्रदान किए, जिसमें भारत के बेहतरीन मास्टर शिल्पकारों को सम्मानित किया गया। इन पुरस्कारों का उद्देश्य भारत की पारंपरिक हस्तशिल्प विरासत को बढ़ावा देना, संरक्षित करना और पुनर्जीवित करना है, साथ ही कारीगरों की आजीविका में भी सहायता करना है। राष्ट्रपति ने इस बात पर ज़ोर दिया कि हस्तशिल्प क्षेत्र ग्रामीण रोज़गार का एक प्रमुख चालक है, जो 32 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देता है, जिनमें से 68% महिलाएँ हैं, जो इस क्षेत्र को महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। वर्ष 2023 और 2024 के लिए कुल 12 कारीगरों को शिल्प गुरु पुरस्कार और 36 कारीगरों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। सरकार ने हाल ही में हस्तशिल्प पर GST 18% से घटाकर 5% कर दिया है, जिससे ये ज़्यादा किफायती हो गए हैं और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी मदद मिली है। कपड़ा मंत्रालय ने हस्तशिल्प उत्पादों के लिए 2031-32 तक ₹1 लाख करोड़ का निर्यात लक्ष्य भी तय किया है।

मुख्य पुरस्कार विजेता

- **शिल्प गुरु पुरस्कार 2023**
- अजीत कुमार दास (पश्चिम बंगाल) – हाथ से पेंट किए गए वस्त्र
- डी. शिवम्मा (आंध्र प्रदेश) – चमड़े की कठपुतली कला

राष्ट्रीय पुरस्कार 2023

- हीराबाई झरेका बघेल (छत्तीसगढ़) – धातु शिल्प
- इम्तियाज़ अहमद (उत्तर प्रदेश) – हाथ से बनी कालीन
- रोशन छिपा (राजस्थान) – कलात्मक वस्त्र

शिल्प गुरु पुरस्कार 2024

- सुभाष अरोड़ा (हरियाणा) – धातु शिल्प
- मोहम्मद दिलशाद (उत्तर प्रदेश) – लकड़ी की नक्काशी

राष्ट्रीय पुरस्कार 2024

- टी. भास्करन (तमिलनाडु) – पत्थर की नक्काशी
- रूपबन चित्रकार (पश्चिम बंगाल) – चित्रकला
- बलदेव बाघमारे (मध्य प्रदेश) – आदिवासी शिल्प
- इसके अलावा, मणिपुर के तीन मास्टर शिल्पकारों—लैशराम मेमिचा, येंगखोम ओंगबी इंदिरा देवी, और ए. बिमोला देवी—को कपड़ा मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया जाएगा।

राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कारों के बारे में

- स्थापना: 1965 में कपड़ा मंत्रालय द्वारा।
- श्रेणियाँ: शिल्प गुरु, राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार।
- उद्देश्य: शिल्पों का संरक्षण, मास्टर कारीगरों को पहचानना, अगली पीढ़ी की शिल्प कौशल को प्रोत्साहित करना। आयोजक: विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय।

हस्तशिल्प के लिए सरकारी योजनाएँ

- अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (AHVY) – क्लस्टर-आधारित विकास।
- पीएम विश्वकर्मा योजना (2023) – पारंपरिक कारीगरों के लिए सहायता।
- हस्तशिल्प स्वयं सक्षम योजना – कौशल उन्नयन।
- पर्यटन और वस्त्र सहयोग के तहत मेगा क्राफ्ट विलेज।

आर्मंड डुप्लांटिस, मैकलॉघलिन-लेवरोन वर्ल्ड एथलेटिक्स के एथलीट ऑफ़ द ईयर चुने गए

आर्मंड डुप्लांटिस (स्वीडन) और सिडनी मैकलॉघलिन-लेवरोन (USA) को 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड्स में वर्ल्ड एथलीट ऑफ़ द ईयर चुना गया।

डुप्लांटिस का रिकॉर्ड तोड़ने वाला सीज़न

- 2025 में पुरुषों का पोल वॉल्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड चार बार तोड़ा।
- सभी 16 कॉम्पिटिशन में बिना हारे रहे, इनडोर और आउटडोर दोनों वर्ल्ड टाइटल जीते।
- मॉडर्न एथलेटिक्स में लगातार दो साल तक एक ही इवेंट में बिना हारे रहने वाले पहले पुरुष पोल वॉल्टर बने।
- पुरुषों का फील्ड एथलीट ऑफ़ द ईयर भी चुना गया।

मैकलॉघलिन-लेवरोन की ऐतिहासिक उपलब्धि

टोक्यो में महिलाओं की 400m रेस का टाइटल 47.78 सेकंड में जीता, जिससे 42 साल पुराना वर्ल्ड चैंपियनशिप रिकॉर्ड टूट गया। 400m फ्लैट और 400m हर्डल्स दोनों में वर्ल्ड टाइटल जीतने वाले पहले एथलीट बने।

विमेंस ट्रैक एथलीट ऑफ द ईयर का अवॉर्ड मिला।

दूसरे बड़े अवॉर्ड विनर

- आउट-ऑफ-स्टेडियम एथलीट ऑफ द ईयर:
- मारिया पेरेज़ (स्पेन) – रेसवॉकिंग
- सबेस्टियन सावे (केन्या) – लॉन्ग-डिस्टेंस रनिंग

मेन्स ट्रैक एथलीट ऑफ द ईयर:

- इमैनुएल वान्योनी (केन्या) – 800m
- विमेंस फील्ड एथलीट ऑफ द ईयर:
- निकोला ओलिसलागर्स (ऑस्ट्रेलिया) – हाई जंप

राइजिंग स्टार अवॉर्ड्स

- एडमंड सेरेम (केन्या)
- झांग जियाले (चीन)
- दोनों को उनके वर्ल्ड मेडल जीतने वाले परफॉर्मेंस के लिए पहचान मिली।

56वां IFFI गोवा में खत्म हुआ; 'स्किन ऑफ़ यूथ' ने बेस्ट फीचर फिल्म का गोल्डन पीकॉक जीता

56वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ़ इंडिया (IFFI) गोवा के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में एक ग्रैंड क्लोजिंग सेरेमनी के साथ खत्म हुआ।

श्रद्धांजलि और खास बधाई

- धर्मेंद्र को उनकी विरासत के लिए श्रद्धांजलि दी गई।
- रजनीकांत को इंडियन सिनेमा में 50 साल पूरे करने पर सम्मानित किया गया। रणवीर सिंह ने सरप्राइज, हाई-एनर्जी अपीयरेंस दी।

बड़े अवॉर्ड्स

गोल्डन और सिल्वर पीकॉक अवॉर्ड्स

- गोल्डन पीकॉक (बेस्ट फ़ीचर फ़िल्म): स्किन ऑफ़ यूथ (डायरेक्टर: एश्ले मेफ़ेयर)
- सिल्वर पीकॉक (बेस्ट डायरेक्टर): संतोष दावखर (गोंधल)
- स्पेशल जूरी अवॉर्ड: अकिनोला डेविस जूनियर (माई फ़ादर'स शैडो)

एक्टिंग अवॉर्ड्स

- बेस्ट एक्टर (मेल): उबेइमार रियोस
- बेस्ट एक्टर (फ़ीमेल): जारा सोफ़िजा ओस्तान (लिटिल ट्रबलगर्ल्स)

डेब्यू अवॉर्ड्स

सिल्वर पीकॉक (बेस्ट डेब्यू फ़ीचर फ़िल्म):

- माई डॉटर्स हेयर (हेसम फ़रहमंद)
- फ्रैंक (टोनिस पिल)
- बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर – इंडियन फ़ीचर फ़िल्म: करण सिंह त्यागी (केसरी 2)

स्पेशल अवॉर्ड्स

- ICFT-UNESCO गांधी मेडल: सेफ़ हाउस (डायरेक्टर: एरिक स्वेन्सन)
- OTT बेस्ट इंडियन पैनोरमा: बंदिश बैंडिट 2

खेल-कूद

ईस्ट बंगाल FC ने SAFF महिला क्लब चैंपियनशिप का खिताब जीता

ईस्ट बंगाल FC ने फाइनल में अपने विरोधी को 3-0 से हराकर SAFF महिला क्लब चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया, जो क्षेत्रीय स्तर पर भारतीय महिला क्लब फुटबॉल के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

SAFF:

SAFF का मतलब साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है, जो दक्षिण एशिया में फुटबॉल को चलाने वाली क्षेत्रीय संस्था है। SAFF टूर्नामेंट का मकसद दक्षिण एशियाई देशों के बीच फुटबॉल के विकास और मुकाबले को बढ़ावा देना है।

- गठन: 1997
- मुख्यालय: ढाका, बांग्लादेश
- अध्यक्ष: काजी सलाहुद्दीन
- उपाध्यक्ष: सुंदर नरसिंह जोशी
- महासचिव: पुरुषोत्तम कट्टेल

पाकिस्तान ने भारत को हराकर U-19 एशिया कप का खिताब जीता

पाकिस्तान की अंडर-19 क्रिकेट टीम ने दुबई में हुए चैंपियनशिप मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में भारत को हराकर U-19 एशिया कप का खिताब जीत लिया।

- उल्लेखनीय प्रदर्शन: समीर मिन्हास (पाकिस्तान)

मुख्य बातें

समीर मिन्हास ने 172 रनों की रिकॉर्ड तोड़ पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम कम स्कोर पर ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान ने अपना दूसरा U-19 एशिया कप खिताब जीता।

अतिरिक्त तथ्य:

- U-19 एशिया कप का आयोजन एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) करता है।
- यह टूर्नामेंट भविष्य के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों के लिए टैलेंट पाइपलाइन का काम करता है।
- कई सीनियर अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों ने अपने करियर की शुरुआत U-19 टूर्नामेंट से की है।
- ऐतिहासिक खेल प्रतिद्वंद्विता के कारण भारत और पाकिस्तान के मैच खास ध्यान आकर्षित करते हैं।
- युवा क्रिकेट टूर्नामेंट राष्ट्रीय टीम के लंबे समय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप: भारतीय निशानेबाज़ों का शानदार प्रदर्शन

68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाज़ों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश की बढ़ती ताकत को दर्शाया।

प्रमुख विजेता और उपलब्धियां

- अनंतजीत सिंह नरुका और दर्शन राठौर ने सीनियर स्कीट मिक्स्ड टीम में स्वर्ण पदक जीता।
- मनु भाकर और सिमरनप्रीत कौर ब्रार ने अपने-अपने इवेंट्स में स्वर्ण पदक हासिल किए।
- राइज़ा ढिल्लों ने शॉटगन इवेंट्स में दो स्वर्ण पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया।

राष्ट्रीय राइफल संघ (NRAI)

- स्थापना: 1951
- मुख्यालय: नई दिल्ली
- अध्यक्ष: कालिकेश नारायण सिंह

अंतरराष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ (ISSF)

- स्थापना: 17 जुलाई 1907
- मुख्यालय: म्यूनिख, जर्मनी
- अध्यक्ष: लुसियानो रोसी

भारत ने 2025 FIH जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में पहला कांस्य पदक जीता

भारत ने चेन्नई में हुए 2025 FIH जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में अपना पहला कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। एक रोमांचक मैच में, भारत ने अर्जेंटीना को 4-2 से हराया, दो गोल से पिछड़ने के बाद 11 मिनट के अंदर चार गोल करके शानदार वापसी की। भारत के लिए गोल करने वालों में अंकित पाल, मनमीत सिंह, शारदानंद तिवारी और अनमोल एक्का शामिल थे, जबकि अर्जेंटीना ने शुरू में निकोलस रोड्रिग्ज और सैंटियागो फर्नांडीज के गोल से बढ़त बनाई थी। यह भारत के जूनियर हॉकी कार्यक्रम के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और वैश्विक आयु-समूह हॉकी प्रतियोगिताओं में देश की स्थिति को मजबूत करता है।

FIH जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप के बारे में

- आयोजक: अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ (FIH)।
- आयु वर्ग: अंडर-21।
- भारत ने पहले 2001 और 2016 में स्वर्ण पदक जीते हैं।
- 2025 संस्करण की मेजबानी भारत (चेन्नई) ने की थी।
- पिछले संस्करण के विजेता (2021): अर्जेंटीना।

भारतीय हॉकी के बारे में

- भारत ने पुरुष हॉकी में 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं।
- प्रमुख राष्ट्रीय टूर्नामेंट: हॉकी इंडिया लीग, राष्ट्रीय चैंपियनशिप।
- शासी निकाय: हॉकी इंडिया।
- वर्तमान फोकस: युवा विकास, खेलो इंडिया कार्यक्रम, जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण।

सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा बने दुनिया के सबसे कम उम्र के रेटेड शतरंज खिलाड़ी

मध्य प्रदेश के 3 साल के लड़के सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, FIDE की आधिकारिक रेटिंग मिलने के बाद इतिहास के सबसे कम उम्र के रेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने कई रेटेड टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर और FIDE क्लासिकल रेटिंग के लिए ज़रूरी न्यूनतम प्रदर्शन हासिल करके यह उपलब्धि हासिल की। इस उपलब्धि से भारत एक बार फिर असाधारण युवा शतरंज प्रतिभाओं को पैदा करने के लिए वैश्विक स्तर पर सुर्खियों में आ गया है। यह पहचान सर्वज्ञ को पिछले रिकॉर्ड धारकों से छोटा बनाती है और आर प्रज्ञानानंद, डी गुकेश और निहाल सरीन जैसे खिलाड़ियों के उदय के बाद एक वैश्विक शतरंज पावरहाउस के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को और मजबूत करती है। उनकी शुरुआती सफलता COVID-युग के ऑनलाइन शतरंज बूम, चेन्नई में शतरंज ओलंपियाड 2022 की शुरुआत और "खेलो इंडिया" कार्यक्रम जैसे सरकार समर्थित पहलों के बाद भारत में शतरंज में बढ़ती रुचि को दर्शाती है, जो माइंड स्पोर्ट्स को बढ़ावा देता है।

FIDE (अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ) के बारे में

- स्थापना: 1924
- मुख्यालय: लॉज़ेन, स्विट्जरलैंड
- भारत FIDE में शामिल हुआ: 1947
- अध्यक्ष: अर्कादी ड्वोरकोविच

अर्जुन एरिगैसी ने जेरूसलम मास्टर्स 2025 जीता, फाइनल में विश्वनाथन आनंद को हराया

भारतीय ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगैसी ने जेरूसलम मास्टर्स 2025 का खिताब जीत लिया है। उन्होंने ऑल-इंडियन फाइनल में पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को हराया। दोनों खिलाड़ियों के रैपिड गेम ड्रॉ होने के बाद, चैंपियनशिप का नतीजा ब्लिट्ज़ टाई-ब्रेक से निकला।

जेरूसलम मास्टर्स के बारे में

- हर साल होने वाला एलीट इनविटेशनल शतरंज इवेंट
- फॉर्मेट: रैपिड + ब्लिट्ज़
- ग्लोबल शतरंज कल्चर को बढ़ावा देने के लिए जेरूसलम में आयोजित
- इसमें टॉप रैंक वाले इंटरनेशनल खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं

इंडियन विमेंस हॉकी टीम के चीफ कोच हरेंद्र सिंह ने पद छोड़ा

क्या हुआ

हरेंद्र सिंह ने पर्सनल कारणों का हवाला देते हुए इंडिया विमेंस हॉकी टीम के हेड कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस मौके के लिए शुक्रिया अदा किया और इंडियन हॉकी को बढ़ावा देने की कोशिशों को सपोर्ट करते रहने का वादा किया।

कार्यकाल का संदर्भ

सिंह ने अप्रैल 2024 में विमेंस टीम की कमान संभाली थी। उनके गाइडेंस में, टीम ने 2024 में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीती — जो एक बड़ी कामयाबी थी। हालांकि, 2024-25 का सीजन निराशाजनक रहा: इंडिया 2024-25 FIH प्रो लीग में आखिरी स्थान पर रहा और 16 मैचों में सिर्फ 2 जीत के साथ रेलिगेट हो गया।

इंडिया विमेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम

- निकनेम: विमेन इन ब्लू
- एसोसिएशन: हॉकी इंडिया (2008–अभी तक); इंडियन हॉकी फेडरेशन (1925–2008)
- कन्फेडरेशन: एशियन हॉकी फेडरेशन
- कैप्टन: सलीमा टेटे
- सबसे ज़्यादा कैप: वंदना कटारिया (320)
- टॉप स्कोरर: रानी रामपाल (120)

सुल्तान अज़लान शाह कप: भारतीय टीम को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा

मलेशिया में हुए सुल्तान अज़लान शाह कप 2025 के फ़ाइनल में बेल्जियम ने भारत को 1-0 से हराकर जीत हासिल की। मैच का फ़ैसला थिब्यू स्टॉकब्रोक्स के 34वें मिनट में किए गए गोल से हुआ, जिससे बेल्जियम को सिर्फ़ दूसरी बार खेलते हुए अपना पहला टाइटल मिला।

सुल्तान अज़लान शाह कप

- खेल: फील्ड हॉकी
- शुरूआत: 1983
- टीमों की संख्या: 6
- सबसे नया चैंपियन: बेल्जियम (पहला टाइटल) (2025)
- सबसे ज़्यादा टाइटल: ऑस्ट्रेलिया (10 टाइटल)

जावोखिर सिंडारोव अब तक के सबसे कम उम्र के FIDE वर्ल्ड कप चैंपियन बने

उज़्बेक ग्रैंडमास्टर जावोखिर सिंडारोव, 19 साल के, भारत के गोवा में हुए 2025 FIDE वर्ल्ड कप के रैपिड टाईब्रेक में चीन के वेई यी को हराकर अब तक के सबसे कम उम्र के FIDE वर्ल्ड कप चैंपियन बन गए। क्लासिकल गेम्स में दो ड्रॉ के बाद, सिंडारोव ने टाईब्रेक में शानदार एंडगेम स्किल दिखाते हुए, 60 चालों में आखिरी रैपिड गेम जीत लिया। सिंडारोव, जो सिर्फ़ 12 साल की उम्र में GM बन गए थे, ने इस इवेंट में 16वीं सीड के तौर पर एंट्री की और एक मुश्किल नॉकआउट फील्ड से गुज़रते हुए, सेमीफ़ाइनल में अपने ही देश के नोडिरबेक याकूबबोएव को हराया — वह भी टाईब्रेक के ज़रिए। सिंडारोव और वेई यी दोनों ने 2026 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफ़ाई कर लिया है, जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप साइकिल का आखिरी क्वालिफ़ाइंग इवेंट है।

भारत ग्लोबल डोपिंग लिस्ट में टॉप पर

वर्ल्ड एंटी-डोपिंग एजेंसी (वाडा) द्वारा जारी डेटा के अनुसार, भारत लगातार तीसरे साल डोपिंग उल्लंघन के मामले में दुनिया का सबसे आगे वाला देश बन गया है। 2024 में, 260 भारतीय एथलीट प्रतिबंधित परफॉर्मेंस बढ़ाने वाले पदार्थों के लिए पॉजिटिव पाए गए, जिससे भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बन गया है जहाँ 200 से ज़्यादा पॉजिटिव मामले हैं। यह भारतीय खेलों की ईमानदारी पर गंभीर सवाल खड़े करता है और भारत की अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतिष्ठा पर बुरा असर डाल सकता है, जिसमें 2036 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करने की उसकी महत्वाकांक्षा भी शामिल है।

हाई डोपिंग मामलों के पीछे के कारण

ग्लोबल डोपिंग लिस्ट 2025

टॉप 5 देश (2024 में सबसे ज़्यादा डोपिंग उल्लंघन)

रैंक	देश	डोपिंग के पॉजिटिव मामले (एडवर्स फाइंडिंग्स)
1	भारत	260 (सबसे अधिक)
2	फ्रांस	लगभग 91
3	इटली	लगभग 85
4	रूस	लगभग 76
5	संयुक्त राज्य अमेरिका	लगभग 76

सबसे नीचे के 5 देश (प्रमुख टेस्टिंग देशों में सबसे कम डोपिंग उल्लंघन)

रैंक	देश	डोपिंग स्थिति / प्रमुख तथ्य
1	जापान	हज़ारों टेस्ट के बावजूद सिंगल-डिजिट पॉजिटिव; बेहद सख्त एंटी-डोपिंग अनुपालन
2	चीन	उच्च टेस्टिंग वॉल्यूम के बावजूद पॉजिटिव मामलों की संख्या कम
3	यूनाइटेड किंगडम	किए गए कुल टेस्ट की तुलना में मामूली डोपिंग पॉजिटिव
4	ऑस्ट्रेलिया	बहुत कम पॉजिटिविटी दर दर्ज की गई
5	कनाडा	टेस्टिंग दरों के मुकाबले न्यूनतम पॉजिटिव फाइंडिंग्स

भारत के लिए इसके असर

ओलंपिक की उम्मीदों के लिए खतरा: खराब एंटी-डोपिंग रिकॉर्ड इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की नज़र में भारत की विश्वसनीयता को कमजोर कर सकता है

इस मुद्दे से निपटने के लिए उठाए गए कदम

- नेशनल एंटी-डोपिंग एजेंसी (NADA) ने टेस्टिंग और शिक्षा कार्यक्रमों को तेज किया है
- एथलीट जागरूकता अभियानों पर ध्यान, खासकर जमीनी स्तर पर
- 2025 की शुरुआत के डेटा से पता चलता है कि पॉजिटिविटी रेट घटकर लगभग 1.5% हो गया है, जो शुरुआती सुधार दिखाता है

वर्ल्ड एंटी-डोपिंग एजेंसी (WADA):

- स्थापना 1999 में
- वैश्विक एंटी-डोपिंग प्रयासों की देखरेख करती है और वर्ल्ड एंटी-डoping कोड जारी करती है
- मुख्यालय: मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा
- अध्यक्ष: विटोल्ड बांका

नेशनल एंटी-डोपिंग एजेंसी (NADA):

एंटी-डोपिंग नियमों को लागू करने के लिए भारत की सर्वोच्च संस्था

टेस्टिंग, जागरूकता और अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है

- महानिदेशक: आशीष भार्गव

आर्मंड डुप्लांटिस, मैकलॉघलिन-लेवरोन वर्ल्ड एथलेटिक्स के एथलीट ऑफ़ द ईयर चुने गए

आर्मंड डुप्लांटिस (स्वीडन) और सिडनी मैकलॉघलिन-लेवरोन (USA) को 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड्स में वर्ल्ड एथलीट ऑफ़ द ईयर चुना गया।

डुप्लांटिस का रिकॉर्ड तोड़ने वाला सीज़न

- 2025 में पुरुषों का पोल वॉल्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड चार बार तोड़ा।
- सभी 16 कॉम्पिटिशन में बिना हारे रहे, इनडोर और आउटडोर दोनों वर्ल्ड टाइटल जीते।
- मॉडर्न एथलेटिक्स में लगातार दो साल तक एक ही इवेंट में बिना हारे रहने वाले पहले पुरुष पोल वॉल्टर बने।
- पुरुषों का फील्ड एथलीट ऑफ़ द ईयर भी चुना गया।

मैकलॉघलिन-लेवरोन की ऐतिहासिक उपलब्धि

टोक्यो में महिलाओं की 400m रेस का टाइटल 47.78 सेकंड में जीता, जिससे 42 साल पुराना वर्ल्ड चैंपियनशिप रिकॉर्ड टूट गया। 400m फ्लैट और 400m हर्डल्स दोनों में वर्ल्ड टाइटल जीतने वाले पहले एथलीट बने। विमेंस ट्रैक एथलीट ऑफ द ईयर का अवॉर्ड मिला।

दूसरे बड़े अवॉर्ड विनर

- आउट-ऑफ-स्टेडियम एथलीट ऑफ द ईयर:
- मारिया पेरेज़ (स्पेन) – रेसवॉकिंग
- सबेस्टियन सावे (केन्या) – लॉन्ग-डिस्टेंस रनिंग

मेन्स ट्रैक एथलीट ऑफ द ईयर:

- इमैनुएल वान्योनी (केन्या) – 800m
- विमेंस फील्ड एथलीट ऑफ द ईयर:
- निकोला ओलिसलागर्स (ऑस्ट्रेलिया) – हाई जंप

राइजिंग स्टार अवॉर्ड्स

- एडमंड सेरेम (केन्या)
- झांग जियाले (चीन)
- दोनों को उनके वर्ल्ड मेडल जीतने वाले परफॉर्मेंस के लिए पहचान मिली।

निधन

मशहूर साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन

जाने-माने हिंदी लेखक और साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का छत्तीसगढ़ के रायपुर में निधन हो गया। वह आधुनिक हिंदी साहित्य की सबसे खास आवाज़ों में से एक थे और उन्होंने कविता, उपन्यास और कहानियों के ज़रिए महत्वपूर्ण योगदान दिया।

विनोद कुमार शुक्ल के बारे में

- जाने-माने हिंदी कवि, उपन्यासकार और कहानीकार
- अपनी लेखन शैली में सादगी, संवेदनशीलता और सूक्ष्म अतियथार्थवाद के लिए जाने जाते हैं
- उनकी रचनाओं में अक्सर रोज़मर्रा की ज़िंदगी और इंसान के अंदर के अनुभवों को दिखाया जाता है

प्रमुख साहित्यिक रचनाएँ

- नौकर की कमीज़ – मशहूर उपन्यास जिसे बाद में फ़िल्म में भी बनाया गया
- दीवार में एक खिड़की रहती थी – पुरस्कार विजेता उपन्यास
- लगभग जय हिंद – पहला कविता संग्रह
- खिलेगा तो देखेंगे और एक चुप्पी जगह – उल्लेखनीय रचनाएँ

पुरस्कार और सम्मान

- ज्ञानपीठ पुरस्कार – भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान: छत्तीसगढ़ के पहले लेखक जिन्हें यह पुरस्कार मिला
- साहित्य अकादमी पुरस्कार: दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए सम्मानित
- विश्व साहित्य में उनके योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पहचान मिली

मलयालम सिनेमा को नया रूप देने वाले तेजतर्रार व्यंग्यकार श्रीनिवासन का 69 साल की उम्र में निधन

वयोवृद्ध मलयालम फिल्म हस्ती श्रीनिवासन का कोच्चि में लंबी बीमारी के बाद 69 साल की उम्र में निधन हो गया, जो भारतीय सिनेमा के लिए एक बड़ा नुकसान है। उन्होंने 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और मलयालम फिल्मों के सबसे जाने-पहचाने चेहरों में से एक बन गए। उन्होंने कई यादगार फिल्में लिखीं और डायरेक्ट कीं जो सांस्कृतिक मील का पत्थर बन गईं। उन्हें समाज पर गंभीर टिप्पणी के साथ हास्य को संतुलित करने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता था।

पुलित्ज़र पुरस्कार विजेता युद्ध संवाददाता पीटर अर्नेट का निधन

अनुभवी युद्ध पत्रकार पीटर अर्नेट, जो पुलित्ज़र पुरस्कार विजेता और 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली विदेशी संवाददाताओं में से एक थे, का 91 साल की उम्र में अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया में निधन हो गया। न्यूज़ीलैंड के रिवर्टन में 1934 में जन्मे अर्नेट बाद में अमेरिकी नागरिक बन गए और उनका पत्रकारिता करियर पाँच दशकों से ज़्यादा लंबा रहा, जिसमें उन्होंने दुनिया के कुछ सबसे महत्वपूर्ण संघर्षों को कवर किया। अर्नेट ने 1966 में एसोसिएटेड प्रेस (AP) के साथ काम करते हुए वियतनाम युद्ध की अपनी साहसी और ज़मीनी रिपोर्टिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्ज़र पुरस्कार जीता। उन्होंने 1962 से 1975 के बीच वियतनाम से रिपोर्टिंग की, अक्सर सक्रिय युद्ध अभियानों में सैनिकों के साथ रहते थे, और युद्ध के प्रत्यक्ष विवरण देते थे। 1981 में, अर्नेट CNN में शामिल हुए, जहाँ पहले खाड़ी युद्ध (1990-91) के दौरान उन्हें वैश्विक पहचान मिली। वह बगदाद से लाइव रिपोर्टिंग के लिए घर-घर में जाना-पहचाना नाम बन गए, जिससे वह अमेरिकी नेतृत्व वाले हवाई हमलों के दौरान इराक में रहने वाले कुछ पश्चिमी पत्रकारों में से एक बन गए। उनके प्रसारण, जो कभी-कभी मिसाइल विस्फोटों और हवाई हमले के सायरन से बाधित होते थे, 24 घंटे लाइव युद्ध रिपोर्टिंग में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए। अर्नेट ने खाड़ी युद्ध के दौरान इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन और 1997 में अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन सहित प्रमुख वैश्विक हस्तियों के साथ हाई-प्रोफाइल साक्षात्कार किए, जिससे वह 9/11 के हमलों से कई साल पहले अल-कायदा नेता का साक्षात्कार लेने वाले पहले पश्चिमी पत्रकार बन गए। अपने करियर में बाद में, अर्नेट ने NBC

के साथ काम किया, लेकिन इराक युद्ध के दौरान इराकी राज्य टेलीविजन को एक साक्षात्कार देने के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया, जहाँ उनकी टिप्पणियों को अमेरिकी सैन्य रणनीति की आलोचना के रूप में देखा गया। उन्होंने कहा कि उनका कर्तव्य ज़मीन से तथ्यों को निष्पक्ष रूप से रिपोर्ट करना था। उनका निधन प्रोस्टेट कैंसर के लिए हॉस्पिस केयर लेते समय परिवार से घिरे हुए हुआ।

युद्ध पत्रकारिता का महत्व:

पीटर अर्नेट को एम्बेडेड और लाइव युद्धक्षेत्र रिपोर्टिंग का अग्रणी माना जाता है, जिन्होंने आधुनिक संघर्ष पत्रकारिता को आकार दिया।

मशहूर मूर्तिकार राम वनजी सुतार का 100 साल की उम्र में निधन

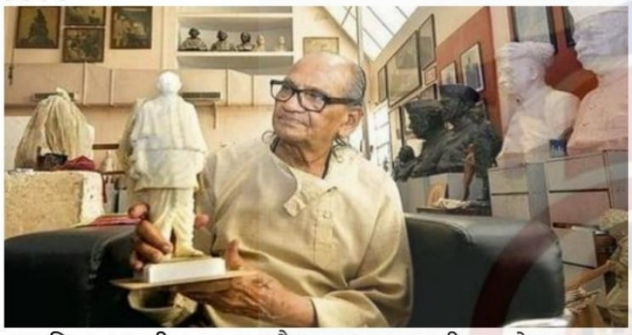

आधुनिक भारतीय कला और वास्तुकला की सबसे मशहूर हस्तियों में से एक, जाने-माने भारतीय मूर्तिकार राम वनजी सुतार का 100 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश के नोएडा में उनके घर पर निधन हो गया। उन्हें गुजरात में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, सरदार वल्लभभाई पटेल को समर्पित 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' को डिज़ाइन करने के लिए व्यापक रूप से सराहा गया था। धुले जिले (अब महाराष्ट्र में) में 1925 में जन्मे राम वनजी सुतार मुंबई के सर जेजे स्कूल ऑफ़ आर्ट से गोल्ड मेडलिस्ट थे, जो भारत के बेहतरीन ललित कला संस्थानों में से एक है। उनकी कलात्मक विरासत बड़े सार्वजनिक मूर्तियों से जुड़ी है जो यथार्थवाद को राष्ट्रीय प्रतीकवाद के साथ मिलाती हैं।

प्रमुख योगदान और उपलब्धियां

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी

- ऊंचाई: 182 मीटर
- स्थान: केवडिया, गुजरात, नर्मदा नदी पर
- समर्पित: सरदार वल्लभभाई पटेल को
- उद्घाटन: 2018
- दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति के रूप में मान्यता प्राप्त
- संसद परिसर की मूर्तियां
- बैठी हुई, ध्यान मुद्रा में महात्मा गांधी की मूर्ति
- छत्रपति शिवाजी महाराज की घुड़सवार मूर्ति

पुरस्कार और सम्मान

- पद्म श्री – 1999
- पद्म भूषण – 2016
- महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार – राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार

पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का 91 साल की उम्र में निधन

पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिवराज पाटिल का महाराष्ट्र के लातूर में लंबी बीमारी के बाद 91 साल की उम्र में निधन हो गया।

शिवराज पाटिल का राजनीतिक करियर कई दशकों तक शानदार रहा। उन्होंने कई उच्च पदों पर काम किया, जिनमें शामिल हैं:

- केंद्रीय गृह मंत्री (2004–2008)
- लोकसभा अध्यक्ष (1991–1996)
- लातूर से लोकसभा सदस्य—सात बार चुनाव जीता
- केंद्रीय कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण विभागों को संभाला

उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसदीय कामकाज और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

दिग्गज अभिनेता कल्याण चट्टोपाध्याय का 82 साल की उम्र में निधन

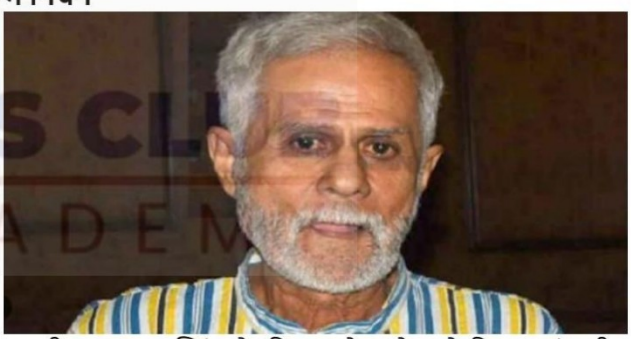

अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाने वाले दिग्गज बंगाली फिल्म और थिएटर एक्टर कल्याण चट्टोपाध्याय का 82 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनका जन्म 1942 में बहरामपुर, मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) में हुआ था। वह फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII), पुणे के पूर्व छात्र थे। उन्होंने 1968 में तपन सिन्हा की फिल्म "अपनजन" से फिल्मों में डेब्यू किया था। यह एक लैंडमार्क फिल्म थी जिसने बंगाली में बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल फिल्म अवॉर्ड (1969) जीता था। चट्टोपाध्याय ने सत्यजीत रे, तरुण मजूमदार और तपन सिन्हा जैसे जाने-माने निर्देशकों के साथ काम किया और इन फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाईं:

- प्रतिद्वंदी (सत्यजीत रे)
- सगीना महतो (तपन सिन्हा)
- धन्नी मेये (तरुण मजूमदार)
- सफेद हाथी (बच्चों की फिल्म)
- पार (नेशनल अवॉर्ड जीतने वाली फिल्म)
- कहानी (2012 की हिंदी फिल्म)

अपने पूरे करियर में, वह 400 से ज़्यादा फिल्मों, कई टीवी सीरियल और OTT प्रोजेक्ट्स में नज़र आए। उनके निधन पर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने गहरा दुख जताया है।

मशहूर आर्किटेक्ट फ्रैंक गेहरी का निधन

मशहूर आर्किटेक्ट फ्रैंक गेहरी का 96 साल की उम्र में सांता मोनिका में उनके घर पर सांस की बीमारी के बाद निधन हो गया।

विरासत और मशहूर काम

- गुगेनहाइम म्यूज़ियम बिलबाओ – अपनी मूर्तिकला, घुमावदार आकृतियों और दुनिया भर में तारीफ़ के लिए मशहूर।
- वॉल्ट डिज़्नी कॉन्सर्ट हॉल, लॉस एंजिल्स – अपने नए डिज़ाइन और अकूस्टिक्स के लिए मशहूर।
- DZ बैंक बिल्डिंग, बर्लिन – अपने खास आर्किटेक्चरल स्टाइल के लिए मशहूर।
- सिलिकॉन वैली का असर – मार्क ज़करबर्ग के कहने पर फेसबुक हेडक्वार्टर का विस्तार डिज़ाइन किया।

मिजोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का 73 साल की उम्र में निधन

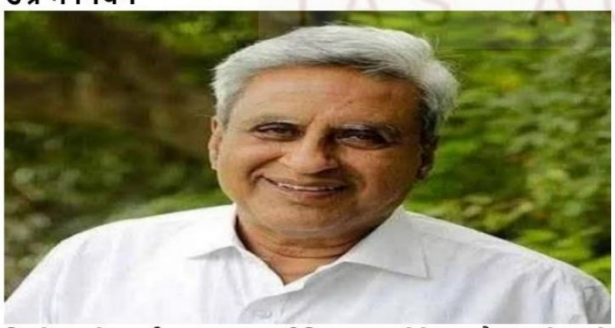

मिजोरम के पूर्व राज्यपाल, सीनियर एडवोकेट और जाने-माने संवैधानिक विशेषज्ञ स्वराज कौशल का 73 साल की उम्र में निधन हो गया। वह पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज के पति और बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के पिता थे। 12 जुलाई 1952 को हिमाचल प्रदेश के सोलन में जन्मे कौशल ने 1990 से 1993 तक मिजोरम के राज्यपाल के रूप में कार्य किया और हरियाणा से संसद सदस्य (राज्यसभा) भी रहे (1998-2004)। एक जाने-माने वकील और पूर्वोत्तर मामलों के विशेषज्ञ, उन्होंने 1986 के मिजोरम शांति समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे राज्य में उग्रवाद खत्म हुआ। बाद में वह 1987 में मिजोरम के पहले एडवोकेट जनरल बने।

मिजोरम शांति समझौता (1986) के बारे में

- हस्ताक्षर करने वाले: भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट (MNF)।
- मुख्य हस्ताक्षरकर्ता: लालडेंगा (MNF), राजीव गांधी सरकार।
- मिजोरम में दो दशकों से चले आ रहे उग्रवाद को समाप्त किया।
- 1987 में मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला।
- स्वराज कौशल शांति प्रक्रिया में एक प्रमुख वार्ताकार थे।

मुख्य पद

- मिजोरम के राज्यपाल: 1990-1993
- राज्यसभा सांसद (हरियाणा): 1998-2004
- मिजोरम के पहले एडवोकेट जनरल: 1987
- भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल: 1987-1990

पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल का 81 साल की उम्र में निधन

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल का 81 साल की उम्र में निधन हो गया।

राजनीतिक सफर और विरासत

- जायसवाल कानपुर से तीन बार सांसद (1999–2014) रहे।
- UPA के समय में केंद्र सरकार में, उन्होंने गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री और बाद में कोयला/स्टील मंत्री जैसे अहम पद संभाले।
- अपने करियर की शुरुआत में, उन्होंने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (2000–2002) के अध्यक्ष के तौर पर काम किया था।

पॉलिटिकल हिस्ट्री:

- लोकसभा के मेंबर: 1999–2014
- भारत सरकार के कोयला मंत्री: 19 जनवरी 2011 – 26 मई 2014
- भारत सरकार के गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री: 23 मई 2004 – 22 मई 2009
- उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट: 4 दिसंबर 2000 – 3 जुलाई 2002

माह के महत्वपूर्ण दिन

दिन	मनाया जाता है	महत्व/थीम
जनवरी 1	वैश्विक परिवार दिवस	इस विचार को बढ़ावा देने के लिए कि पृथ्वी एक वैश्विक परिवार है और हमें शांति से रहना चाहिए
जनवरी 4	विश्व ब्रेल दिवस	लुई ब्रेल की जयंती मनाने हेतु
जनवरी 9	प्रवासी दिवस	भारत के विकास के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिह्नित करने हेतु
जनवरी 10	विश्व हिंदी दिवस	1975 में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की जयंती को चिह्नित करने हेतु
जनवरी 12	राष्ट्रीय युवा दिवस	स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाने हेतु
जनवरी 15	सेना दिवस	फील्ड मार्शल के एम करियप्पा 15 जनवरी 1949 को स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे
जनवरी 24	राष्ट्रीय बालिका दिवस	लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना कि हर लड़की को उनके समकक्षों के समान महत्व मिले
जनवरी 25	राष्ट्रीय मतदाता दिवस	भारत के चुनाव आयोग (ECI) के स्थापना दिवस को चिह्नित करने हेतु
जनवरी 26	भारत का गणतंत्र दिवस	भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा को चिह्नित करने के लिए जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा घोषित किया गया था
जनवरी 27	अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस	द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई प्रलय की त्रासदी को याद करने हेतु
जनवरी 30	शहीद दिवस	मोहनदास करमचंद गांधी जी की हत्या को चिह्नित करने हेतु

पुस्तकें एवं लेखक

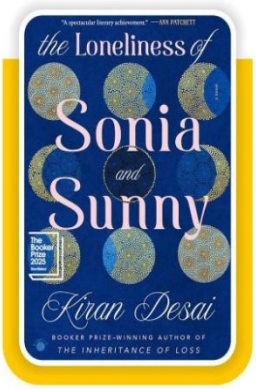

पुस्तक
द लोनलिनेस ऑफ़ सोनिया एंड सनी

.....

लेखक
किरण देसाई

.....

बारे में
यह किताब एक गहरी और दिलचस्प कहानी बताती है जो अलग-अलग जगहों और पीढ़ियों में मॉडर्न ज़िंदगी के इमोशनल उतार-चढ़ाव को दिखाती है।

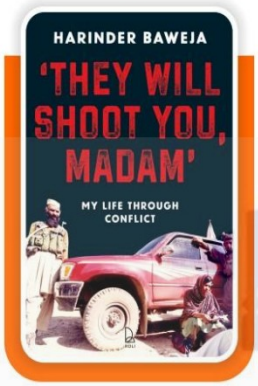

पुस्तक
दे विल शूट यू, मैडम: माय लाइफ थ्रू कॉन्फ्लिक्ट

.....

लेखक
हरिंदर बावेजा

.....

बारे में
यहाँ लेखिका भारत और विदेशों में संघर्ष वाले इलाकों में 40 से ज़्यादा सालों की रिपोर्टिंग की कहानियाँ शेयर करती हैं, और युद्ध पत्रकारिता के जोखिमों और नैतिक चुनौतियों पर एक संक्षिप्त, ईमानदार नज़र डालती हैं।

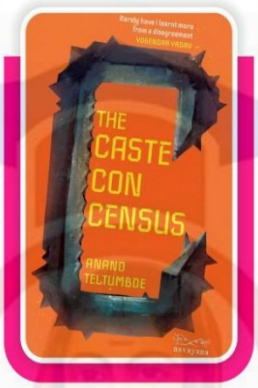

पुस्तक
द कास्ट कॉन सेंसस

.....

लेखक
आनंद तेलतुंबडे

.....

बारे में
यह किताब भारत में जाति-आधारित डेटा के बारे में बहस की जांच करती है, यह समझाती है कि जाति जनगणना क्यों ज़रूरी है, इसके पीछे की राजनीति और इसके सामाजिक और नीतिगत प्रभाव क्या हैं।

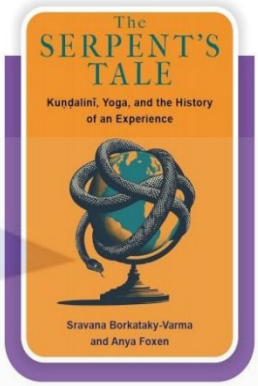

पुस्तक
द सर्पेंट्स टेल: कुंडलिनी, योग, एंड दी हिस्ट्री ऑफ़ ऐन एक्सपीरियंस

.....

संपादक
श्रावणा बोरकाटकी-वर्मा और आन्या फॉक्सन

.....

बारे में
यह किताब कुंडलिनी के विचार को एक्सप्लोर करती है, योग और आध्यात्मिक परंपराओं में इसकी जड़ों का पता लगाती है और समय के साथ इसे कैसे समझा जाये, ये बताती है।

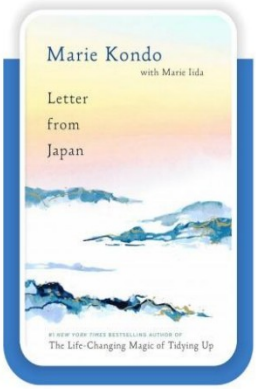

पुस्तक
लैटर फ्रॉम जापान

.....

लेखक
मैरी कोंडो और मैरी इडा

.....

बारे में
यह किताब जापानी समाज और संस्कृति पर व्यक्तिगत विचार पेश करती है, जो एक विचारशील कहानी के ज़रिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी, मूल्यों और शांत अनुभवों को दर्शाती है।

पुस्तकें एवं लेखक

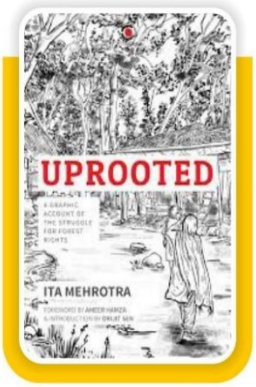

पुस्तक
अपरूटेड: अ ग्राफ़िक अकाउंट ऑफ़ द स्ट्रगल फॉर फॉरेस्ट राइट्स

.....

लेखक
इता मेहरोत्रा

.....

बारे में
यह पुस्तक ज़मीन, आजीविका और अपने अधिकारों की कानूनी मान्यता के लिए लड़ रहे आदिवासी और वन समुदायों की कहानी बताती है।

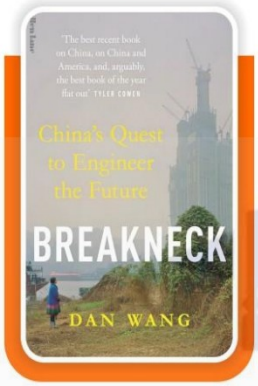

पुस्तक
ब्रेकनेक: चाइनाज़ क्वेस्ट टू इंजिनियर द फ्यूचर

.....

लेखक
डैन वांग

.....

बारे में
यह पुस्तक बताती है कि चीन अपने वैश्विक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और समाज को तेज़ी से कैसे बदल रहा है।

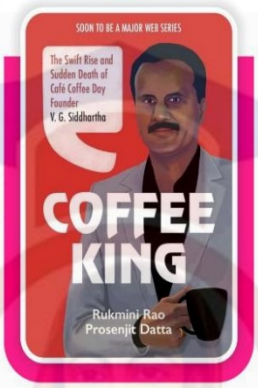

पुस्तक
कॉफ़ी किंग: द स्विफ्ट राइज एंड सड्डेन डेथ ऑफ़ कैफ़े कॉफ़ी डे फाउंडर वी जी सिद्धार्थ

.....

लेखक
रुक्मिणी राव और प्रोसेनजीत दत्ता

.....

बारे में
यह पुस्तक कैफ़े कॉफ़ी डे के संस्थापक वी जी सिद्धार्थ के तेज़ी से आगे बढ़ने और उन दबावों और चुनौतियों के बारे में बताती है जिनकी वजह से उनकी अचानक मौत हुई।

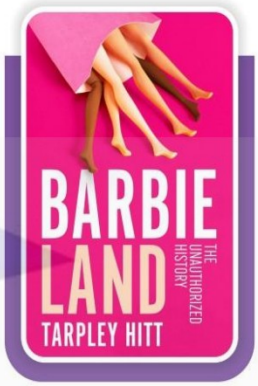

पुस्तक
बार्बीलैंड: द अनऑथराइज्ड हिस्ट्री

.....

लेखक
टार्पली हिट

.....

बारे में
यह पुस्तक बार्बी ब्रांड और उसके ग्लोबल प्रभाव के पीछे सांस्कृतिक प्रभाव, विवादों और छिपे हुए इतिहास के बारे में बताती है।

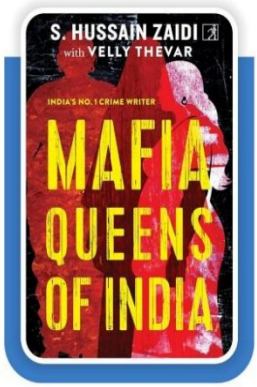

पुस्तक
माफ़िया क्वींस ऑफ़ इंडिया

.....

लेखक
एस हुसैन ज़ैदी और वेली थेवर

.....

बारे में
यह पुस्तक उन महिलाओं की सच्ची कहानियाँ बताती है जो भारत की आपराधिक दुनिया में सत्ता में आईं, और अपराध और लिंग के बारे में पारंपरिक विचारों को चुनौती दी।

2020
HAPPY
NEW
YEAR

CALENDAR

2026

JANUARY

S	M	T	W	T	F	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

FEBRUARY

S	M	T	W	T	F	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

MARCH

S	M	T	W	T	F	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

APRIL

S	M	T	W	T	F	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

MAY

S	M	T	W	T	F	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

JUNE

S	M	T	W	T	F	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

JULY

S	M	T	W	T	F	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

AUGUST

S	M	T	W	T	F	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

SEPTEMBER

S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

OCTOBER

S	M	T	W	T	F	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

NOVEMBER

S	M	T	W	T	F	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

DECEMBER

S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

TOPPERS CLUB IAS ACADEMY

TOPPERS CLUB
IAS ACADEMY

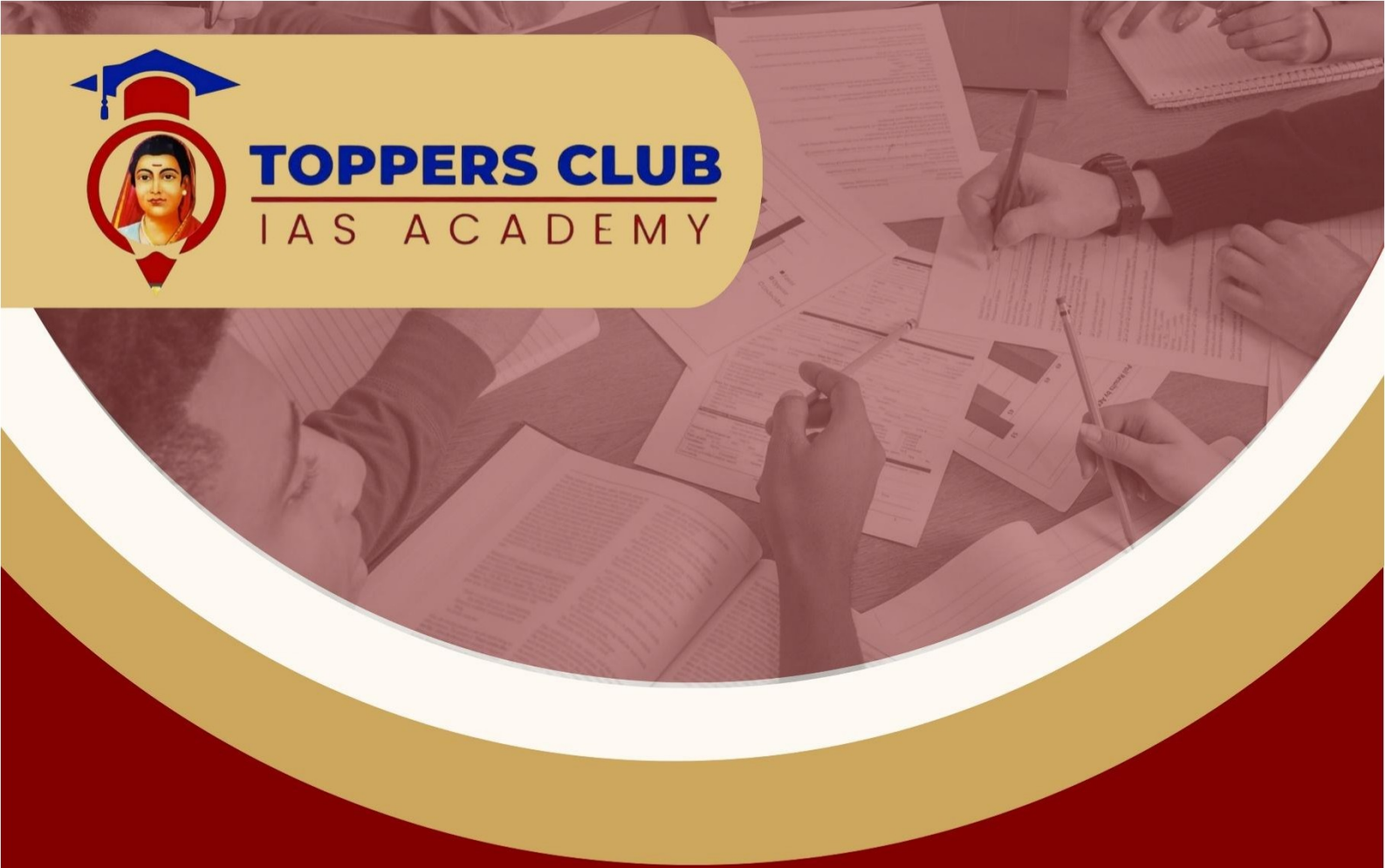

Monthly CURRENT AFFAIRS

By - Toppers Club

Staying updated with current affairs is crucial for academic and professional growth. It enhances knowledge, sharpens critical thinking, and improves decision-making. Awareness of global issues aids in competitive exams, essays, and interviews. Beyond academics, it reflects adaptability and curiosity—key traits in today's fast-changing world. Being informed broadens perspective, builds confidence, and opens up new opportunities.

+91 6388671098
dpsctc@gmail.com
Toppers CLUB IAS
www.topperclubiasacademy.in
Sec 12 HNO 687 MUNSHI PULIYA INDIRA NAGAR LUCKNOW 226016